राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का ४५ वां दिवस [संख्या ३३

सोमवार,

दिनांक ११ अप्रेल, १९६६

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर २ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, समाज कल्याण, खादी ग्रामोद्योग एवं वित्त–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री दलपतसिंह !

अध्यापकों के रिफ्रेशर कोर्स का समय

९९७. **श्री दलपतसिंह** (आबू) [**श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालौर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पिंडवाड़ा क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को रिफ्रेशर कोर्स के लिए एक महीने के लिये दिनांक १०-३-६६ से आबू ट्रेनिंग सेन्टर में भेजा गया है ? यदि हां, तो सभी शिक्षकों को अथवा कुछेक को ?

(२) क्या यह सही है कि दिनांक १०-३-६६ से इस वजह से पंचायत समिति पिंडवाड़ा की तमाम प्राथमिक पाठशालाएं एक माह के लिए बंद कर दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि आगामी अप्रेल मास में पाठशालाओं में वार्षिक परीक्षाएं होंगी और इन छुट्टियों का असर बच्चों, जो छोटी उमर के होते हैं, उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा जिससे परिणाम खराब आयेगा ?

(४) यदि इस तरह पढ़ाई पर असर पड़ता है तो सरकार ने इन दिनों रिफ्रेशर्स कोर्स में भेजने के बदले गर्मियों की छुट्टियों में भेजने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) इस प्रशिक्षण शिविर में पिंडवाड़ा पंचायत समिति के समस्त अध्यापकों को शिविर में प्रशिक्षण के लिये बुलाया गया है । इसमें उन अध्यापकों को नहीं बुलाया गया है जिनको बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठना है ।

(२) जी हां । दिनांक १०–३–६६ से पंचायत समिति पिंडवाड़ा की तमाम प्राथमिक शालाएं उपरोक्त कारण से एक माह के लिये बन्द रखी गई हैं । क्योंकि बिना

Page No. 2

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अध्यापकों के शाला चलना सम्भव नहीं है। परन्तु इस कमी को ग्रीष्मावकाश में शालाओं को खोल कर पूरा किया जायेगा।

(३) इन छुट्टियों से बच्चों की पढ़ाई पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा, क्योंकि ग्रीष्मावकाश में शालायें खुलेंगी जो पढ़ाई बकाया रह गई है उसे पूरा किया जायगा और परीक्षा अप्रेल के बजाय जून में होंगी।

(४) भाग ३ के उत्तर से स्पष्ट है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा क्योंकि न तो विद्यार्थियों के विद्याध्ययन में कुछ भी कटौती होती है और न अवकाश की अवधि में कुछ वृद्धि होती है। शाला का ग्रीष्मावकाश जो डेढ़ माह का होता है उसका एक माह उस समय मना लिया जाता है जब अध्यापक प्रशिक्षण में होते हैं और क्योंकि एक माह देरी से स्कूल बन्द होता है अतः इस समय १५ दिन का ही अवकाश मिलता है। सरकार यदि ग्रीष्मावकाश में ही प्रशिक्षण रखे तो साल भर में केवल एक ही समिति के अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा साल भर में १० समितियों के अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार प्रशिक्षण कार्य भी सुचारु रूप से चल सकता है और इसकी वजह से किसी प्रकार की हानि भी बच्चों को उठानी नहीं पड़ेगी।

श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़) : विद्यार्थियों की समर वेकेशन कब होंगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वेकेशन ग्रीष्मावकाश की होती है वह एक महीने इधर हो जाती है और १५ दिन की उधर ले ली जायगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यापकों के लिए कब रहेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनके अवकाश का प्रशिक्षण और अध्यापन दोनों में समावेश हो जाता है। यह वे मानते हैं।

श्री गोविन्दसिंह : आपने फर्माया कि अभी छुट्टी हो जायगी तो क्या बच्चों की पढ़ाई का हर्जाना नहीं होगा ? अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे खेलेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि जो ग्रीष्मावकाश मिलता है डेढ़ महीने का उस डेढ़ महीने में से, जब अध्यापक प्रशिक्षण के लिए चले जाते हैं, तो एक महीने का इधर मिल गया और पन्द्रह दिन का उधर मिलेगा और अवकाश में बच्चे खेलते ही हैं, भले ही कभी हो।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : लेकिन इससे पढ़ाई नहीं होगी !

श्री निरंजननाथ आचार्य : पढ़ाई क्यों नहीं होगी ? गर्मी का एक महीना ले लिया जाता है तो उसमें पढ़ाई हो जायगी। इधर के एक महीने का काम उधर पूरा हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया !

Page No. 3

बिना लाइसेंस पेड़ों की कटाई

६६८. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाडिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लसाडिया तहसील में भू० पू० जागीरदार धरियाबद ने भकलावदा नाम की सतरह सौ बीघा जमीन उदयपुर के १०-१२ व्यक्तियों को, जो कत्थे एवं लकड़ी के ठेकेदार थे, पांच वर्ष पूर्व बेची थी ?

(२) क्या उक्त पार्टी ने भकलावदा की जमीन से हरे वृक्ष काटने का लाईसेन्स उप जिलाधीश, बल्लभनगर से प्राप्त करके वहां से कत्था, कोयला, एवं टिम्बर (सागवान) का निकास किया था ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने अपने भकलाबदा के हरे वृक्ष काटने की आड़ में हजारों कत्थे के राजकीय राजस्व विभाग के वृक्ष बिना कीमत दिये हुए और बगैर लाइसेन्स काट कर निकास कर दिये थे और उसकी शिकायत होने पर नायब तहसीलदार, कानोड़, श्री मोहनलाल, ने मौके की जांच कर लाखों के बजाय बीस हजार रुपया वसूल करने की रिपोर्ट दी थी ?

(४) क्या इस रिपोर्ट के आधार पर उप-जिलाधीश, बल्लभनगर ने मौका देख कर मौके का नुकसान का पर्चा बनाया और बीस हजार रुपये की रकम को अपनी जांच से कमी-वेशी करके रकम ठेकेदार से वसूल की ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

(५) उक्त वृक्षों के नुकसान के कागज अब किस स्टेज पर हैं ? क्या अब भी उनकी कार्यवाही करके सरकार अपना नुकसान पूरा करके अपराधी को दण्ड देने का विचार रखती है ?

(६) क्या इसमें धरियावद नायब तहसीलदार की भी साजिश है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) मुकदमा चल रहा है।

(६) जी नहीं।

श्री उदयलाल वर्दिया : यह मुकदमा कब से और किस जगह चल रहा हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ४-१-६५ से।

श्री उदयलाल वर्दिया : और किस जगह चल रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उप जिलाधीश के पास।

श्री उदयलाल वर्दिया : उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शहादत हो रही है।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : यह बतायें कि पेड़ काटे गये उसके कितने दिन के बाद जानकारी प्राप्त हुई ?

Page No. 4

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पेड़ काटने की तारीख मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना अवश्य मालूम है कि यह तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई ?

श्री दयाचन्द सोन : जब माननीय सदस्य ने लिख कर कलेक्टर को दिया और मिनिस्टर साहब को भी दिया तो आपको जानकारी करनी चाहिए थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां हां, तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी गई है और इन्सपेक्टर हल्का, नायब-तहसीलदार, सरपंच, नम्बरदार और दूसरे रेंजर ऑफिसर हैं–इनके शामलात से उप-जिलाधीश, बल्लभनगर ने मौका देख लिया और कार्यवाही चालू कर दी। अब जल्दी ही निर्णय लिया जायगा।

श्री उदयलाल वर्दिया : किस तारीख को यह हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ४–१–६५ के बाद।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या जो पेड़ काटे गये हैं उनको तहवील में लिख रखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसकी लिस्ट बना रखी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह कहां है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकारी तहवील में।

श्री उदयलाल वर्दिया : वह सरकार ने किस जगह पर रखे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह निगरानी में है। उनको इकट्ठा करके किसी मकान में बन्द कर दिया गया हो–यह बात नहीं है।

श्री उदयलाल वर्दिया : एक मामला एक-दो पेड़ का नहीं है। मेरा निवेदन है कि सवा तीन सौ ट्रक माल निकला है और वह अहमदाबाद गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो पेड़ बचे थे और लकड़ियां बची थी वह तहवील में ली गई। जो पेड़ काट कर ले गया वह ले गया और इसलिए एस. डी. ओ. के पास मुकदमा पेड़ की कीमत का, नुकसान का रुपया वसूल करने का चल रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : बरामदगी हुई है उसकी तहरीर हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो पेड़ काटे थे, वह कितने पेड़ काटे थे उसको इस आधार पर पता लगाया है कि कहीं कहीं पर लकड़ी मौके पर मिली है, इसके अलावा पेड़ काटने से ठूंठ रह जाते हैं। उससे पेड़ काटने का अनुमान लगाया है कि उसने कितने पेड़ काटे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, ठूंठ से और एक्चुअल जितनी लकड़ी मिली इससे जो अनुमान लगाया है वह आपके तहवील में है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि नब्बे और सौ के लगभग पेड़ के ठूंठ के हिसाब से तहवील मुकर्रर की है, वह नब्बे और सौ पेड़ अनधिकृत रूप से काटे गये हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जो पेड़ पड़े थे और जिसका अधिकार था उसकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बिला नाम सरकारी भूमि थी उससे पेड़ काटने वाली बात है वह करीब नब्बे और सौ के बीच बताई गई है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं निवेदन करता हूँ कि जो पेड़ के ठूंठ रह गये उसके आधार पर कूंता गया है, उसकी एक्चूअल लकड़ी कब्जे में आने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि कहीं लकड़ी बची थी, उसका सवाल है, और आम तौर पर जो पेड़ के ठूंठ रह जाते हैं उनसे अनुमान लगा लिया जाता है।

श्री उदयलाल वर्दिया : प्रश्न यह है कि जो लकड़ी उसने लाइसेन्स से काटी उसके लिए मेरी कम्प्लेन्ट नहीं है। मेरी कम्प्लेन्ट है कि बिना लाइसेन्स के उसने सवा चार एकड़ जमीन काटी। उसकी तत्काल जो लकड़ी मौके पर पड़ी थी कलेक्टर और मिनिस्टर को सूचना दे दी लेकिन ६५ में कहते हैं कि नब्बे पेड़ काटे हैं और फिर भी आज तक फैसला नहीं हो रहा है। मैं उस वक्त मौके पर ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन मुझे सुना नहीं और उसके बाद न पंचनामा बनाया गया, और यदि पंचनामा बनाया गया तो उसमें किन किन आदमियों को शरीक किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि उप-जिलाधीश ने सरपंच, नंबरदार, रेंजर ऑफिसर, इन्सपेक्टर हल्का, नायब-तहसीलदार, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह उस वक्त ऑफिशियेटिंग नायब तहसीलदार था, जो धरियाबद में उस वक्त काम करता था, इनके उसमें बल्लभनगर के एस० डी० ओ० ने पंचनामा बनाया है। वह ऑफिशियटिंग नायब-तहसीलदार के सामने नहीं किया है, लेकिन जो नायबत-हसील-दार था परमानेन्ट उसके शामलात से और साथ साथ सरपंच, पटवारी और दूसरे नम्बरदार इन सबकी शामलात से निरीक्षण किया है।

श्री उदयलाल वर्दिया : ऑफिशियेटिंग नायब तहसीलदार ने क्या रिपोर्ट की थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें, माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपको भी गलतफहमी हो रही है और उस वक्त भी गलतफहमी हो रही थी, वह यह थी कि आपका कहना था कि मंडावी, फलवदा दोनों हल्के हैं, इन दोनों से लकड़ी काटी गई। मंडावी की पंचायत की सीमा है वह गलत बता देने से गलतफहमी पैदा हुई। मंडावी सरपंच, नम्बरदार, वगैरह मौके पर गये, तो देखा कि मंडावी पंचायत क्षेत्र से पेड़ नहीं काटे गये हैं, बल्कि फलवदा क्षेत्र से काटे हैं। आपका जो अनुमान है वह दोनों को मिलाकर होता है।

श्री उदयलाल वर्दिया : मेरा प्रश्न यह है कि ऑफिशियेटिंग नायब-तहसीलदार ने कितने नुकसान की रिपोर्ट दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऑफिशियेटिंग नायब-तहसीलदार ने जानकारी जो की थी वह आपके कहने से की थी, और वह नक्शे के

Page No. 6

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आधार पर नहीं था। इसलिए एस० डी० ओ० ने खुद ने मौका देख कर इस बात को पटवारी की शामलात में, दूसरे हल्के के लोगों की शामलात में दुरुस्त किया।

श्री उदयलाल वर्दिया : कितना नुकसान होने की रिपोर्ट पास की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नुकसान की एक्चुयल रकम तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह कह सकता हूँ कि लगभग ६० या १०० पेड़ों को काटना पाया गया, उसके बारे में कम्पेन्सेशन और रकम वसूल करने आदि की जो भी कानूनी कार्यवाही होगी उसकी जांच कराई जा रही है।

श्री उदयलाल वर्दिया: एस० डी० ओ० कार्यवाही करता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब तहसीलदार कम्पलेन्ट करता है तभी एस० डी० ओ० उस पर कार्यवाही करता है।

श्री उदयलाल वर्दिया : इस सम्बन्ध में उप-जिलाधीश ने मौका देखकर मौके की नुकसान का पर्चा बनाया और बीस हजार रुपये की रकम को अपनी जांच में कमी-बेशी करके रकम ठेकेदार से वसूल करने को कहा। वहां नायब-तहसीलदार मौके पर गया और पंचनामा बनाया और लाखों के नुकसान की जगह २० हजार रुपया वसूल करने की रिपोर्ट दी और उसके बाद तहसील में केस पहुँचा तो वहां पर ६० या १०० पेड़ ही काटने का रखा और अब जो है वह ८ या ६ ही रखना चाहते हैं। ये फिगर्स हैं ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जो फिगर्स हैं वे फाइल पर हैं। लगभग ६० या १०० पेड़ काटना बताया गया है। आप कहते हैं कि ८ या ६ रखे जायेंगे यह रखना न तो उनके हाथ में है और न अपने हाथ में है। अगर कोई ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : नायब तहसीलदार ने कितना नुकसान होना बताया है ?

श्री अध्यक्ष : Next.

बहुत से प्रश्न अभी बाकी हैं।

श्री उदयलाल वर्दिया : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच जल्दी खत्म की जावे, जिससे....

श्री अध्यक्ष : जांच समाप्त हो गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, चल रही है।

श्री अध्यक्ष : इनको भी उसकी जांच में शामिल होने का मौका दिया जावे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य एस० डी० ओ० से जाकर जो बात कहनी चाहें कह सकते हैं और मैं भी उनको सूचित कर दूंगा कि वे भी उनकी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : Next.

कन्या माध्यमिक पाठशाला का भवन

६६६. **डा० श्री जीवराजसिंह** (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कस्बा उदयपुर जिला झुंझुनू में कन्या माध्यमिक पाठशाला का भवन बन गया है ?

(श्री जीवराजसिंह)

(२) यदि हां, तो क्या स्कूल ६६--६७ के बजट में खोला जावेगा ?

उप मंत्री शिक्षा, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं; अभी तक भवन पूर्ण नहीं हुआ है ।

(२) ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर दूसरे स्कूलों के साथ साथ इस पर भी विचार किया जा सकेगा ।

ठा० श्री जीवराजसिंह : भवन तो महीने-बीस रोज में तैयार हो जावेगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो विचार किया जावेगा ।

ठा० श्री जीवराजसिंह : क्या वहां पर ६६--६७ के बजट में स्कूल खोला जावेगा?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विचार में दोनों ही पक्ष हैं ।

श्री अध्यक्ष : Next.

चूरू कस्बे की बीड़

७००. श्री **रावतराम** (सादूलपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा चूरू की बीड़ की देखभाल के सम्बन्ध में रेवेन्यू विभाग ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या और कब ?

(२) क्या यह सही है कि चूरू की बीड़ की फिलहाल अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण बीड़ में वृक्षों को लोग काटते रहते हैं ?

(३) क्या सरकार उक्त बीड़ को वन विभाग को सौंपने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कस्बा चूरू के तीन तरफ ७६६८ बीघा ४ बिस्वा बीड़ है । इसमें से २२१४ बीघा १६ बिस्वा बीड़ की आराजी वन विभाग को राजस्व विभाग की आज्ञा दिनांक २६–२–६५ के आदेशानुसार हस्तांतरित किया गया है बाकी ५४८३ बीघा ५ बिस्वा निगरानी पिंजरापोल, चूरू के है ।

(२) ऐसी कोई शिकायत सरकार की जानकारी में नहीं है ।

(३) राजस्व विभाग द्वारा जो भूमि वन विभाग को दी जा सकती थी वह पहले ही दी जा चुकी है ।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, यह ७००० बीघा बीड़ था और उसमें से आपने दो हजार बीघा जमीन फोरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी और बाकी ५ हजार बीघा जमीन उनके पास उनकी निगरानी में है । आप कहते हैं कि कोई इसके लिये शिकायत नहीं है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाकी की जो जमीन थी उसमें से तीन वर्षों में जितने पेड़ थे उनको काट लिये गये और आपको इतनी भूमि को पिंजरापोल के पास रखने से क्या फायदा है ? पिंजरापोल की गायें तो चर सकती हैं और उसके बाद में भी चर सकती हैं । इससे आपको क्या नुकसान है अगर आप ले लें और बीड़ को फोरेस्ट डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक वृक्षों के काटने का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करूंगा कि केवल पाला ही काटा गया है और वह भी इजाजत से। प्रार्थना-पत्र सरकार के पास दिये गये और सरकार की इजाजत से पाला काटा है। इसलिये पाला काटा है वह तो गवर्नमेंट को पूछ कर काटा है। इसके अलावा डिफरेन्ट व्यक्तियों ने पिंजरापोल में जमीन दी है कुछ हिस्सा उनको बिना नाम के दिया है। बाकी के हिस्से में गौशाला के और दूसरे पशु भी चरते हैं। और इसके अलावा इस प्रकार का कलेक्टर के यहां से प्रस्ताव आया उसको स्वीकृत किया गया और उसकी स्वीकृति दी गई।

श्री रावतराम : आप कहते हैं कि वहां पर पाला ही काटा गया। मैं निवेदन करूंगा कि पाला तो हर साल कटता है। पाला ही नहीं काटा गया बल्कि दूसरे पेड़ भी बराबर कट रहे हैं और कटते जा रहे हैं और बहुत से पेड़ों को काट कर लेगये और इस प्रकार का हाल कर दिया है कि वहां पर वृक्ष बहुत कम रह गये हैं। बेकार आपने ५ हजार बीघा जमीन को इनके हवाले कर रखा है। समझ में नहीं आता कि इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है? सरकार यह तो बतावे कि सरकार को इससे यह फायदा है, यह तो कम से कम आप बतावें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको व्यक्तियों ने जमीन दी थी।

श्री रावतराम : कौन व्यक्ति थे आप बतावें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बीड़ पीथाना उत्तरादा सेठ रूपानन्द राधाकिशन बागला के नाम से ३,३४३ बीघा बीड़ आराजी राज है।

(२) बीड़ आथूना मदनगोपाल बागला के नाम से २१४० बीघा आराजी राज है। बीड़ डावला अगुनी तरफ खेराज श्री कृष्णदास छापेवाले के नाम से है जो २२१४।।। ४ बीघा है।

श्री रावतराम : वह दो हजार बीघा में क्या फायदा रहा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई एतराज नहीं हुआ, दे दी।

श्री रावतराम : इस पर भी एतराज नहीं होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कलेक्टर से प्रस्ताव आवेगा हम उस पर बराबर विचार करेंगे।

मैंने कहा कि बीड़ डाबला अनूथी खेमराज श्री कृष्णदास छापेवाले के नाम से था। व बहुक्म दफ्तर, साहब सहायक राजस्व सचिव दिनांक २६--२--६५ के अनुसार खसरा नं० ६६०, ६५८, ६५१, ३२५, ३२६, ४०३, तादादी २२१४।।।)४ बीघा वन विभाग को दी गई है। उन्होंने प्रस्ताव भेजा था, हमने वन विभाग के सुपुर्द कर दी।

श्री अध्यक्ष : पिंजरापोल में कितने जानवर होंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जानवरों की संख्या मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगर थोड़े ही जानवर रहते हैं और ५ हजार बीघा जमीन है तो इस पर विचार करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कलेक्टर साहब के यहां से प्रस्ताव आने पर हम जरूर उस पर विचार करेंगे।

श्री रावतराम : आप इसकी जानकारी करके अपनी तरफ से क्यों नहीं करते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम जानकारी करेंगे कि कितने जानवर हैं। लिये जाने के बारे में कोई एतराज नहीं है। इसके बारे में पहले कन्सीडर करके प्रस्ताव रखें; उस प्रस्ताव पर हम जरूर विचार करेंगे।

प्रश्न संख्या ७०१

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीलाल गोठवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

तालाब की आगोर में काश्त

७०२. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम भावी, जिला जोधपुर में तालाब की आगोर में काश्त करने की इजाजत तहसीलदार, बिलाड़ा ने दी है ?

(२) यदि हां, तो ऐसे पंचायत क्षेत्र के अधीन भूमि पर क्या अनाधिकृत काश्त करने वालों से राज्य सरकार लगान वसूल कर सकती है ?

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार अनाधिकृत रूप में पंचायत भूमि (सार्वजनिक) पर काश्त करने वालों से जो लगान वसूल कर लिया है, उसे पंचायत को देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि तहसील की ओर से ऐसी अनियमितताओं के कारण स्थानीय पंचायत ने तहसील को पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो आज तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

(५) यदि आज तक ऐसे मामलों में कार्यवाही नहीं हुई तो अब सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करेगी ? क्या इस प्रकार की अवैध कार्यवाही पंचायतों के हितों पर आघात नहीं है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) सरकार द्वारा कोई लगान वसूल नहीं किया गया, इसलिये पंचायत को देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : प्रश्न के भाग (३) में पूछा गया है कि क्या सरकार इस प्रकार अनाधिकृत रूप में पंचायत भूमि पर काश्त करने वालों से जो लगान वसूल कर लिया है उसे पंचायत को देगी ? मेरा निवेदन यह है कि जो सरकार ने सेक्शन ६१ के अन्तर्गत पैनल्टी इम्पोज की

(श्री तेजाराम गहलोत)

है उस पैनल्टी को पंचायतों को देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य जिसको आगोर बताते है, वह २०१२ को तहसील आगोर में दर्ज हुई और इससे पहले नहीं थी। आगोर में यह पहले दर्ज नही थी; १६५७ से ५ आदमियों ने ५० बीघा जमीन को एक साल के लिये टेम्पॉरेरी तौर पर तहसीलदार ने अलॉटमेंट कर दिया और वह ईयर बाई ईयर अलॉट होता है। एक तो यह है और दूसरा ५८ बीघा भूमि का ट्रेसपासर का है उसके खिलाफ सेक्शन ६१ के खिलाफ तहसील में कार्यवाही चल रही है। उसका निर्णय होगा तब होगा इसलिये आपको लगान देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। जैसे मैनेजमेंट के लिये पंचायतों को देते हैं इसका कोई लगान नहीं देते हैं, उसकी देख भाल करते हैं उसका जो लाभ होता है उसको जाता है। उसको सेक्शन ६१ के अन्डर में हमें इजेक्ट करना चाहिये। चूंकि पहले आगोर था ही नहीं और अब दर्ज किया है। अब तक दिया नहीं गया है।

अब तीसरा सवाल यह है कि दिया जा सकता है या नहीं। दिया जा सकता है या नहीं, इस पर मैंने अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया हैं। I shall apply my mind and if it is possible then we will see.

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो नीति का प्रश्न था कि जिस जमीन को पंचायत को हस्तान्तरित कर दिया है उस जमीन के सम्बन्ध में दफा ६१ के तहत किया गया जुर्माना पंचायत को देने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इस केस में खर्चा पंचायत ने दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एन्क्रोचमेंट हो गया है, पंचायत ने सूट किया, तहसीलदार ने इजेक्ट करने की कार्यवाही की, इजेक्टमेंट में जो पेनल्टी लगाई जाती है वह पंचायत को दें, यह आप कहते हैं। एक्ट में न इस प्रकार का प्रावधान है न इस प्रकार की नीति है।

श्री तेजाराम गहलोत : फूड एडल्टरेशन में चालान किए हुये मामलों में जो फाइन किया जाता है वह म्युनिसिपैलिटी को दिया जाता है, तो आबादी के अन्दर या बाहर जो भूमि पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी गई है और उसके सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा पेनल्टी इम्पोज की जाती है तो वह पंचायतों को देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : मन्त्री महोदय ने गलत बताया है ....

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन। आप पहले तो पूछते नहीं हैं।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : वे बीच में खड़े हो गये थे।

श्री अध्यक्ष : आपका हक है, आप पहले तो बोलते नहीं।

श्री भीमसेन !

लेबोरेटरी के निर्माण हेतु धनराशि का प्रावधान

७०३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नापासर के नागरिकों द्वारा जन सहयोग के रूप में साइन्स लेबोरेटरी के निर्माण हेतु ढाई हजार की राशि सन् १९६१-६२ में विभाग के पास जमा कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त राशि का उक्त कार्य हेतु अब तक उपयोग क्यों नहीं हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि ६१–६२ या इसके बाद प्रतिवर्ष विभाग भवन निर्माण हेतु धनराशि का प्रावधान करता रहा है ? अगर हां, तो उक्त स्कूल के लिए साइन्स लेबोरेटरी के निर्माण हेतु कोई धनराशि खर्च न करने का क्या कारण है ?

(३) क्या राज्य सरकार अगले वर्ष ६६–६७ में उक्त कार्य हेतु धनराशि मुहैया करने का विचार करेगी ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) नापासर की जनता के द्वारा २५००) रु. की धनराशि विज्ञान का सामान क्रय करने के लिये दी थी जिसका सामान क्रय करके उच्च विद्यालय, नापासर को दे दिया गया, इसके अलावा सरकार ने भी ६२–६३ व ६४–६५ में ३३७५.६७ पैसे का विज्ञान का सामान शाला के लिए क्रय किया।

(२) विज्ञान कमरों के निर्माण के लिए जो धनराशि १९५६ से १९६१ तक स्वीकृत की गई थी, उसमें जो कमियां रह गईं, वे फण्ड उपलब्ध न होने के कारण पूरी न हो सकीं। कहीं कहीं पर तो काम शुरू भी नहीं किया जा सका। नापासर में भी विज्ञान कक्ष का निर्माण शुरू न हो सका।

(३) वर्ष १९६६–६७ में भी शिक्षा के लिए बहुत कम धनराशि स्वीकृत की गई है अतः इस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री भीमसेन : विज्ञान की लेबोरेटरी १९६१ में शुरू नहीं हो सकी तो क्या अब सरकार विचार कर रही है, वहां स्थान का अभाव है, मांग बहुत है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : विचारणीय विषय है, विचार किया जाना चाहिये इन विषयों पर।

श्री भीमसेन : क्या विचार करेंगे ?

प्रश्न संख्या ७०४

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

सिंध से आये अध्यापकों को पेन्शन

७०५. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सिंध के आये हुए अध्यापकों को राजस्थान सरकार ने सेवा में लेकर उनकी

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

पूर्व काल की सेवाओं को पेन्शन के लिए गिनने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

(२) क्या सरकार के पास इस प्रकार सिंधी विस्थापित पेन्शनरों के पेन्शन के मामले पैंडिग में हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उनके निर्णय किये जाने में देरी क्यों हो रही है ?

(३) क्या राज्य सरकार ने कोई अस्थाई पेन्शन देने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो वह क्रियान्वित क्यों नहीं हुआ ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) सिंध से आये हुए अध्यापकों की राजस्थान सरकार की सेवा में आने से पूर्व की सेवाओं को पेन्शन के लिए मान लिया गया है ।

(२) शिक्षा विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग ३२ अध्यापकों के पेन्शन के मामले अनिर्णित हैं क्योंकि कुछ मामलों में इन अध्यापकों के फिक्सेशन के कारण अधिक चुकारे की रकम उनके विरुद्ध निकल रही है तथा कुछ मामलों में कुछ विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं ताकि इन मामलों का निबटारा शीघ्र किया जा सके ।

(३) जी हां । सरकारी आज्ञा को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : कुल कितने मामले थे, जिनमें से ३२ बाकी होना बताते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कितने मामले का निर्णय हुआ है, यह तो सूचना मेरे पास नहीं हैं । पर निर्णय हुए हैं, यह मैं कह सकता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : इसके बगैर यह कह देना कहां तक युक्तिसंगत है कि सिर्फ इतना काम बाकी है । इस तरह से तो अन्दाजा लगाना कठिन ही नहीं नामुमकिन है । आपको यह जानकारी होनी चाहिये कि सौ या २०० मामले थे, उनमें से इतने निबटा दिये और इतने बाकी हैं । मैं तो आपकी सूचना के लिए यही निवेदन करूंगा कि जितने मामले पैंडिग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निबटा दीजिये । जो रिफ्यूजीज आए हुए हैं, उनकी यह मांग है, इनके मामलों को जल्दी से जल्दी डिस्पोज् ऑफ करने की ओर सरकार विशेष ध्यान दें ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सिंधी शिक्षकों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से स्वयं दिलचस्पी ले रहा हूं । आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्साह दिलाऊंगा ।

प्रश्न संख्या ७०६

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्यां ७०७

श्रीमती गोरी पूनिया !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री दिग्विजयसिंह ।

बनेठा में जमीन का अलॉटमेंट

७०८. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(श्री दिग्विजयसिंह)

(१) क्या यह नियम है कि जिस व्यक्ति के पास १५ बीघा जमीन खुदकाश्त में हो उसे भूमिहीन नहीं माना जाय और जमीन एलॉट नहीं की जा सकती है ?

(२) क्या यह सत्य है कि दिनांक २६-४-६५ को गलवा कमांड के एरिया का बनेठा में उप-जिलाधीश द्वारा जमीन का अलॉटमेंट किया गया था ?

(३) इस अलॉटमेंट के वास्ते कुल कितनी अर्जियां ग्राम बनेठा, त० उनियारा जिला टोंक के निवासियों ने दी थीं और उनमें से कितनों को भूमि दी गई और जिनको नहीं दी गई उसका क्या कारण था ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) दी राजस्थान कोलोनाइजेशन (मीडियम एण्ड माईनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट) रूल्स, १९५७ के नियम २ के खण्ड (६) में भूमिहीन कृषक ऐसे व्यक्ति को माना है जो वास्तविक कृषक हो, जो खुदकाश्त करता हो या जिससे स्वयं खेती करने की कोई वास्तविक आशा व्यक्त होती हो और जिसके पास उसके खुद के नाम पर या उसके संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई भूमि न हो और यदि हो तो वह एक एकड़ से अधिक न हो ।

(२) जी हां । लेकिन आवंटन बनेठा में न होकर तहसील केन्द्र अलीगढ़ के मुकाम पर हुआ ।

(३) इस भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ग्राम बनेठा के १२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से तीन प्रार्थियों को भूमि आवंटन की गई व शेष ६ के प्रार्थनापत्र नियमानुसार भूमिहीन न होने के कारण अस्वीकार कर दिये गये ।

श्री दिग्विजयसिंह : जिन ३ व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई क्या वे बिल्कुल भूमिहीन थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा ही मान कर किया जाना जाहिर होता है ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करूं कि इन तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास १६ बीघा जमीन थी । क्या इस सम्बन्ध में एस. डी. ओ. से जानकारी लेंगे और यदि यह सही पाया जाय और इस प्रकार की नाजायज कार्यवाही की गई है तो क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नाम बताइये ।

श्री दिग्विजयसिंह : पहले आप नाम बताइये कि किन किन को आवंटित की गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : श्री सौभाग्यमल को ८ बीघा १५ बिस्वा, श्री कल्याण को १० बीघा, श्री ईदूशाह पुत्र मछलीशाह मुसलमान को १३ बीघा १ बिस्वा ।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या सौभाग्यमल बिल्कुल भूमिहीन था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा, भूमिहीन मान कर इन ३ व्यक्तियों को दी । बाकी ९ को नहीं दी । मैं तो मानता हूं कि जो एक्ट में डिफाइन्ड है उसी के अनुसार भूमि आवंटित की हुई है । आपको कोई

Page No. 14

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सूचना हो तो मुझे बता दीजिये, मैं जांच करूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह : सौभाग्यमल के पास १६ बीघा १४ बिस्वा जमीन ऑलरेडी थी। आपने इसको फेवर करने के लिए अलॉटमेंट किया है, इस सम्बन्ध में देखें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा I shall find out.

प्रश्न संख्या ७०६

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा सिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज !

रेकार्ड की तलाश

७१०. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वर्ष १६६४ में बाली तहसील के ग्राम नाणा में तत्कालीन रेवेन्यू इन्सपेक्टर सर्किल बेड़ा ने नायब तहसीलदार (बाली) के जो निरिक्षणार्थ वहां थे, रेकार्ड, कागज, पत्रादि कुए में डाल दिये थे और उनका आज तक कोई पता नहीं लगा ?

(२) क्या राज्य सरकार के किसी अधिकारी ने इस वाके की जांच की है ? यदि हां, तो किस किस ने ? इस जांच से कौन कौन दोषी पाये गये हैं और किसको क्या सजा दी गई है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहनराज : आप फरमा रहे हैं नाणा गांव में कोई रेकर्ड फेंका ही नहीं गया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने ६४ का कहा है इसलिए मैंने जी नहीं कहा। वैसे ऐसी घटना २१-२-६५ को होना कहा गया है।

श्री मोहनराज : क्या इसकी जांच होने के बाद कागजात बरामद हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बस्ता था वह तो उसी समय मालूम पड़ने पर निकाल लिया गया, नुकसान नहीं पहुंचा।

बस्ता फेंके जाने की रिपोर्ट सज्जनसिंह, रेवेन्यू इंसपेक्टर ने की कि वह नायब-तहसीलदार अपने मित्र भोपालसिंह के पास ठहरा था। जब बस्ते की जरूरत पड़ी तो मालूम पड़ा कि बस्ता नहीं था और उसके बाद में एक कुंए में बस्ता तैरता हुआ पाया गया। उसको निकाला गया और यह अनुमान किया गया कि सज्जनसिंह, रेवेन्यू इन्सपेक्टर ने ही यह बस्ता कुएं में डाला होगा क्योंकि उस रात को आपस में उनके बोल-चाल हो गई थी।

श्री मोहनराज : जांच किन किन अधिकारियों ने की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जांच शुरू से एस०डी०ओ० और कलेक्टर के द्वारा की गई और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में यह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मामला भेजा गया। अभी मैंने कल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मालूम किया तो मालूम हुआ कि इनके खिलाफ कोई चश्मदीद शहादत न होने की वजह से सज्जनसिंह, रेवेन्यू इन्सपेक्टर को इस दोष से मुक्त किया गया है।

श्री मोहनराज : जो कलेक्टर और एस० डी० ओ० ने जांच की तो शहादत उपलब्ध हो गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आंखों देखी शहादत तो उस समय भी नहीं थी, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एवीडेन्स को वेट देते हुए उनके खिलाफ आरोप मानकर उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा था। कल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मालूम पड़ा कि उसको निर्दोष मानकर मुक्त किया गया है और लिखा है कि चश्मदीद शहादत नहीं है।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : सर्कम्सटान्शियल एवीडेन्स बहुत स्ट्रोंग थी और कलेक्टर ने भी उसको दोषी पाया।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : माननीय सदस्य जानते हैं कि सबके रूल्स हैं। रूल्स के अनुसार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाइएस्ट कॉम्पीटेंट ऑथोरिटी है, उसने निर्णय दिया है जिससे मैंने सदन को सूचित किया है। मैंने पत्रावली या एवीडेन्स नहीं देखी है। कल फोन से ही मालूम किया है कलेक्टर से उन्होंने बताया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा है तो वहां से मालूम किया, जो सूचना मिली वह आपको बतादी। अगर सारे रेकॉर्ड्स में जाने के अधिकारी आपने आप समझते हैं तो उन सारे रेकॉर्ड्स को देखकर किया जा सकता है, उसके संबंध में कह सकता हूं, लेकिन अभी तक जो पोजीशन है उसकी जांच कराई गई।

श्री मोहनराज : मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बता दूं कि कलेक्टर और एस० डी० ओ० ने जांच की तो वहां पंचायत के सदस्यों के बयान हुए हैं जिन्होंने कहा है कि यह काम सज्जनसिंह, इन्सपेक्टर ने किया है और हरकत के कारण भी बताए गए हैं, ऐसी हालत में....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कलेक्टर के यहां रेवेन्यू इन्सपेक्टर के खिलाफ चार्जेज प्रूव मान गये, लेकिन उन्होंने जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या निर्णय लिया, वह आपको बता दिया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप कहते हैं कि आपने देखा नहीं। आप खुद सैटिस्फाई हो गए ? सरकार कहां तक सैटिस्फाइड है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने तो देखा नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप देख लें।

श्री **मोहनराज** : मंत्री महोदय स्वयं कागजों की जांच-पड़ताल करेंगे ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : सब कागजों को मगांकर स्वयं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

ग्राम नीमोला में माध्यमिक शाला

७११. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No. 16

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(१) क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा ग्राम नीनोला में स्कूल भवन माध्यमिक स्कूल के लिए पर्याप्त है ?

(२) क्या यह सही है कि यहां की जनता ने इस गांव के वीरगति को प्राप्त एक सैनिक के नाम पर यहां माध्यमिक शाला खोलने की मांग की है ?

(३) क्या यह सही है कि जिला परिषद् ने भी माध्यमिक शाला खोलने की मांग सरकार से की है ?

(४) क्या सरकार यहां माध्यमिक शाला खोलने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं। तहसील पीपल्दा के ग्राम नीमोला में स्कूल भवन माध्यमिक शाला के लिए पर्याप्त नहीं है।

(२) ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(३) जी नहीं। ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(४) यह शाला माध्यमिक शाला में प्रोन्नत करने के नियमों को पूर्ण नहीं करती, अतः वर्तमान में संभव प्रतीत नहीं होता।

श्री लक्ष्मीचंद : मंत्री महोदय ने फरमाया कि वहां पर कोई भवन प्राप्त नहीं है। भवन प्राप्त है। वहां की जनता ने भवन बना दिया, वह बना हुआ है। छात्र तैयार हैं। वहां की पंचायत समिति और जिला परिषद् ने मांग की है। वहां के ही एक आदमी ने वीरता का परिचय दिया है और उस वीर के नाम पर जनता ने मांग की है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस शाला में १०० छात्र हैं तथा कक्षा ५ में केवल ८ हैं जबकी ३० होने चाहिए। दूसरे ८ कमरे २४ × २० होने चाहिए वो नहीं हैं। इस तरह से ये दोनों कन्डीशन्स पूरे नहीं हों तब तक इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता। रहा सवाल कि मांग आ रही है या नहीं, आप जिला परिषद् की बात करते हैं, वहां से तो कोई मांग नहीं आई।

श्री लक्ष्मीचंद : जिला परिषद की मीटिंग में गया था। उन्होंने बताया कि हमने मांग की है और वह सरकार को भेज दी गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बीच में ही होगी।

श्री **दयाचन्द सोन** (बारां-पु०) : आप प्रोसीडिंग्ज मंगवा लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा विभाग में प्रोसीडिंग्ज नहीं आतीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि जब तक दोनों कन्डीशन्स फुलफिल नहीं होतीं तब तक आप कहीं भी मिडल स्कूल या इस प्रकार का स्कूल नहीं खोलेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बैकवर्ड एरियाज के लिए और रेगिस्तानी व बोर्डर एरियाज के लिए अपवाद होते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : बोर्डर और रेगिस्तानी एरियाज के सिवा दूसरी

(श्री विजयसिंह झाला)

जगह इन कन्डीशन्स के अतिरिक्त मिडल स्कूल नहीं खोलेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बैकवर्ड एरियाज और बोर्डर एरिया।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इसको आप बैकवर्ड एरिया नहीं मानते?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह पिछड़े वर्ग वहां पर हों, बाकी तो नहीं।

श्री लक्ष्मीचंद : यह शिड्यूल्ड ट्राइब्स का इलाका है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा ही इलाका होगा तो देख लेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इसमें हरिजन जाति के लोगों का ही बाहुल्य है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा है तो जांच करके अगर रियायत करनी होगी तो करेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय,............

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आश्वासन दे चुके हैं कि अगर यह बात है तो जानकारी करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। अभी 'हां' उनसे भरवाना चाहें तो वह नहीं करेंगे।

(विराम)

कुमारी उमा माथुर।

तहसील अलवर में भूमि का आवंटन

७१२. **कुमारी उमा माथुर** (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) तहसील अलवर, जिला अलवर में सन् १९६५ में कितनी सिवाय चक भूमि का कृषि के लिए आवंटन किया गया ?

(२) आवंटन की गई भूमि में से कितनी भूमि पर कब्जा दिला दिया गया व कितनी भूमि के संबंध में मुकदमें चल रहे हैं ?

(३) ऐसे कितने मुकदमें भूमि आवंटन के संबंध में चल रहे हैं, जिसमें राजस्व अधिकारियों की गलती से किन्हीं लोगों की खातेदारी अथवा कब्जे की भूमि को सिवाय-चक दर्ज करा कर आवंटन कर दी गई है ?

(४) क्या यह सही है कि राजस्व कर्मचारियों की गलतियों के कारण आधे से अधिक भूमि पर आज तक लोगों को कब्जा नहीं दिलाया गया है और सैकड़ों मुकदमें चल रहे हैं ?

यदि हां तो सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ४२२१ एकड़ भूमि का आवंटन किया गया।

(२) २८६६ एकड़ भूमि पर दखल दिया जा चुका है। २३५ एकड़ भूमि के संबंध में मुकदमें चल रहे हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) कोई नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुमारी उमा माथुर : आपने प्रश्न संख्या (३) के उत्तर में कहा कि कोई नहीं। यह सूचना गलत है। आपने किस आधार पर कहा ? आप बता सकते हैं कि किस लिए मुकदमे चल रहे हैं, किस बेसिस पर चल रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुकदमें कई कारणों से चल रहे हैं। एक यह हो सकता है कि एलॉटमेंट के विरुद्ध उन गांव वालों या कुछ लोगों को एतराज हुआ, वह नहीं डिस्पोज़ल हुआ। दूसरे भूमि एलॉट हुई तो एलॉटमेन्ट कमेटी के निर्णय के विरुद्ध कलेक्टर या एस० डी० एम० के पास अपील कर रहे हैं, और झगड़े भी हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुकदमें चल सकते हैं। मैं हर मुकदमे के बारे बताऊं कि कौन सा मुकदमा किस कारण से चल रहा है, इसकी डिटेल्स तो प्रश्नोत्तर में देने में मजबूर हूं।

कुमारी उमा माथुर : मेरा यही प्रश्न था। मंत्री महोदय के उत्तर से ही इस बात की पुष्टि हो गई कि अलॉट की गई आधे से अधिक भूमि पर आज तक लोगों को कब्जा नहीं दिलाया गया उसका कारण रेवेन्यू ऑथोरिटीज की अकर्मण्यता और बेईमानी है, क्यों कि वे जब एलॉटमेन्ट कमेटी के समने भूमि की तफसील बनाकर पेश करते हैं उसी आधार पर एलॉटमेन्ट होती है, वह उस भूमि की जो लोगों की २०-२०, ३०-३० साल की काश्त की हुई हैं उसको सिवाय चक दर्ज करते हैं। अन्य केसेज में जिस समय एलॉटमेन्ट कमेटी ने एलॉटमेन्ट किया उस समय वह भूमि बंजर है लेकिन पटवारी लोग अलॉटमेंट के बाद काफी दिनों तक वहां पर जाकर कब्जा नहीं दिलाते हैं और करते क्या हैं कि इस बीच में दूसरे लोगों से पैसे लेकर भूमि को काश्त करवाते हैं। इसलिये मैंने यह प्रश्न पूछा था अलॉट की हुई केवल आधी भूमि पर कब्जा दिया गया हो और बाकी के संबंध में मुकदमें चल रहे हैं यह किस आधार पर चल रहे हैं। अगर मंत्री महोदय जानकारी करा दें तो उनके सामने यह बात स्पष्ट हो जाय कि गलत रिकार्ड पेश किया गया है और लोगों की धांधलियां हैं। आपने जो सर्क्यूलर निकाला कि हरिजनों और दूसरे लोगों को प्राथमिकता देना चाहिये, वह प्राथमिकता सब बेकार हो जाती है जब कि लोग एलॉटमेंट के बाद उस भूमि पर बहुत सा पैसा खर्च करते हैं और बीच में गड़बड़ी और धांधली चलती है, इसलिए इस बात की जानकारी करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने माननीय सदस्या के आरोपों को बहुत ध्यान पूर्वक सुना और मैं उनकी बातों को केवल एक ही बात से स्पष्टीकरण करना चाहता हूं और वह यह है कि जिस जमीन का कब्जा नहीं दिया जा सकता वह किन कारणों से नहीं किया जा सकता। प्रश्न के अन्दर केवल मुकदमे के क्षेत्र के ऊपर पूछा था उसमें मैंने कहा था कि २३५ एकड़ के बारे में मुकदमा चल रहा है। जमीन अलॉट की गई और जो जमीन अवशेष रह जाती है, मैं आपके प्रश्न की किस्म को जानते हुए ही उसके ब्रेक अप को

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बताना चाहता हूं । रकबा नाकाबिल काश्त १०१४ एकड़ इस पर कब्जा नहीं दिया । पहाड़ और डूंगर इस तरह का था । लेकिन वह वहां के रिकॉर्ड में अवेलेबल फोर अलॉटमेन्ट होने से उसको अलॉट कर दिया गया । यह हो सकता है कि हर जमीन पर जाकर देखें लेकिन वह नहीं देखी जा सकती और जो खसरा नम्बर अवेलेबल फोर अलॉटमेन्ट है उसके अनुसार ही अलॉटमेन्ट किया जा सकता है । किसी ने अपील की और ऊपर की ऑथोरिटी ने उसको स्टे दे दिया, इसलिए २३५ एकड़ का कब्जा नहीं दिया जा सकता । नौतोड़ हो जाने से १० एकड़ का कब्जा नहीं दिया जा सकता । ट्रेसपास होगया । जलमग्न होने से ७ एकड़ पर कब्जा नहीं दिया जा सका । छोटे-छोटे टुकड़े होने से ४४ एकड़ पर कब्जा नहीं दिया जा सकता और दाखिला न लेने आने के कारण भी कब्जा नहीं दिया जा सका । इस प्रकार कुल १३५५ एकड़ जमीन पड़ी है । अलॉटमेन्ट हो जाने पर भी कब्जा उसका नहीं दिया गया है अथवा लेने नहीं भी आये हैं । सारी बातों का ब्रेक अप यह है ।

कुमारी उमा माथुर : माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि पन्द्रह-बीस पंचायतों को भूमि अलॉट हो गई और मेरी जानकारी में मेरे क्षेत्र में उस भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया और अभी खाली है । पंचायतों की ओर से बार-बार दरख्वास्तें दी गई लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है । मंडोरी पंचायत के सरपंच करीब दस बार लिख चुके हैं । गांव दडीकर है वहां पर ३० हरिजनों को भूमि अलॉट की गई थी । अब तक दरख्वास्तें दी जा रही हैं । कब्जा नहीं दिया गया । क्यों नहीं दिया जा रहा है ? इसके अतिरिक्त १०१४ एकड़ जमीन मंत्री महोदय ने बताया कि नाकाबिल काश्त है । इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि आपके यहां का रिकार्ड कैसा है कि १०१४ एकड़ जमीन जो नाकाबिल काश्त है और उसको अलॉट कर चुके हैं और लगान लेने के लिए । इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि १५ अप्रेल को फिर अलॉटमेन्ट होने वाला है इसलिये कलेक्टर को आदेश दें कि कम से कम वह जमीन स्वयम् देख लें कि कौनसी भूमि काबिल अलॉटमेन्ट है और कौनसी नहीं है और सही रूप में रिकार्ड पेश करें, नहीं तो परिणाम यह होता है कि कलेक्टर महोदय से शिकायत की जाती है अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में तो वे कहते हैं कि यह अलॉटमेन्ट कमेटी करती है जिसमें आप लोग हैं, इस तरह से सरपंच, एम. एल. ए. को गलत तरीके से बदनाम किया जाता है जबकि उनके सामने कोई इलाज नहीं है और जो रिकार्ड तहसीलदार वगैरा रख देते हैं उसके अनुसार अलॉटमेन्ट, अलॉटमेन्ट कमेटी कर देती है । लोग परेशान होते हैं इस प्रकार के अलॉटमेन्ट होने से । इसलिये कलेक्टर को यह हिदायत हो कि जब तक रिकार्ड ठीक न हो तब तक न रखें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्या ने दो मुद्दे उठाये । एक तो यह है कि पंचायतों को अलॉटमेन्ट के आदेश दिये गये, उन्हें कब्जा नहीं दिया गया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व अधिकारियों को यह हिदायत करूंगा कि कब्जा देने में पंचायतों को प्राथमिकता दें ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रिकार्ड की दुरुस्ती का जहां तक सवाल है, पहले सैटलमेन्ट नहीं हुआ था और हो गया था तो रिकार्ड नहीं आया था इसलिये पुराने इन्द्राज को आधार मान कर ही अलॉटमेन्ट किया करते थे। उसमें कई जगह गलतियां होना सम्भव है। अब रेडरेन्ट रिपोर्ट आ चुकी है, तहसील में जा चुकी है. उसके आधार पर जमीन का सही नक्शा होगा और आयन्दा जो अलॉटमेन्ट होगा तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी असुविधा हुई वैसी होना स्वाभाविक नहीं होगा।

कुमारी उमा माथुर : जैसा मन्त्री महोदय कह रहे हैं सैटलमेन्ट के आधार पर किया जावेगा। मैं पहले प्रश्न पूछ चुकी हूं और यह साबित हो चुका है। अलवर तहसील में अलॉटमेन्ट हुए और जिसके अनुसार किया उसका रिकार्ड ८० परसेन्ट गलत है और दुबारा अलॉटमेन्ट किया जावेगा उसके आधार पर तो दुबारा परेशानियां होंगी इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम कलेक्टर को आप यह आदेश दे देंगे कि जिस जमीन के अलॉटमेन्ट के ऑर्डर्स देते हैं उसको मौके पर जाकर देख लें। नाकाबिल काश्त की भूमि है, छोटे-छोटे टुकड़े हैं उनको कम से कम अलॉट न करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

चर्मोद्योग का विकास

७१३. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सांचोर पंचायत समिति में चर्मोद्योग के विकास के लिये पिछले पांच सालों में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

(२) क्या सरकार इस उद्योग के प्रशिक्षण के लिये सांचोर में कोई छोटा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? अगर हाँ, तो कब तक? अगर नहीं, तो वहां के चर्म उत्पादकों के प्रशिक्षण के लिये क्या किया जावेगा ?

खादी ग्रामोद्योग मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) सांचोर पंचायत समिति में चर्मोद्योग की सहकारी समितियों के विकास-कार्य हेतु संलग्न सूची के अनुसार यह ऋण-सहायता दी गई है।

(२) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की योजना नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैंने कारण पूछा है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं ? इतनी सोसाइटीज और चर्म उद्योग का स्कोप है तो खोलने में क्या कठिनाई है ? स्कोप नहीं मानते और यदि मानते हैं तो छोटा सा प्रशिक्षण केन्द्र होना चाहिये।

श्री अमृतलाल यादव : ये समितियां जितनी काम कर रही हैं उनके लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसी पोसिबिलिटी है तो इन्कार करने को कोई बात नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पोसिबिलिटी तो है। आपके सामने आंकड़े आ चुके हैं। पुराने तरीके से लोग धन्धा करते हैं। स्कोप तो है। बहुत सी सोसाइटी तो अभी रजिस्टर नहीं हुई हैं। होने की संभावना है। ऐसा स्कोप होने पर आपको एक छोटा सा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये विचार करना चाहिये।

प्रश्न संख्या ७१४

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७१५

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : प्रश्न संख्या ७१५।

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछ लीजिये।

तहसील मालपुरा के अधिकारी

७१६. **श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) तहसील मालपुरा में सन् १९५५ से अब तक कौन-कौन तहसीलदार कितने-कितने अर्से तक रहे ? वर्तमान तहसीलदार कितने अर्से से वहां तैनात हैं ?

(२) क्या मालपुरा के एस० डी० ओ० भी तीन साल से अधिक काल से वहां हैं ?

(३) क्या तीन वर्ष से अधिक उन्हीं अधिकारियों को एक ही स्थान पर रखने में कोई विशेष प्रयोजन रहा है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) श्री मन्नालाल सन् १९५५ के पूर्व से ६-७-५५

(२) श्री बृजकिशोर शर्मा ७–७–५५ से ५–६–५६
(३) श्री जगदीश प्रसाद दीक्षित १८-६-५६ से १५-६-५६
(४) श्री सुन्दरलाल महर्षि २–७–५७ से ११–४–५८
(५) श्री गेंदालाल शर्मा १२–४–५८ से १–१०–६५
(६) श्री जगदीशप्रसाद शर्मा १७–११–६५ से अब तक। वर्तमान तहसीलदार १७–११–६५ से तैनात है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या कारण था कि दूसरे तहसीलदारों के तीन तीन महीने और छः छः महीनों में ट्रान्सफर कर दिये जाते हैं और श्री गेंदालाल शर्मा जिसके विषय में इस सदन में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं उनको साढ़े सात साल तक एक ही जगह पर तहसीलदार बनाये रखा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई शिकायत इस किस्म की नहीं थी जिससे उनका तबादला किया जाय। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स से एक आदमी को कम समय के लिये रखा जाता है और दूसरे को अधिक समय तक के लिये।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : किन आधार पर ट्रान्सफर करते हैं ? शिकायतें करने पर ही ट्रान्सफर करते हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शिकायत करने से कोई तबादला ही करना इलाज नहीं हैं ।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री राधाकृष्ण गोयल : उनके विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वे दलगत राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे है, अतः उनका वहां से ट्रान्सफर किया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जैसा जबाब में कहा १-१०-६५ से वहां पर नहीं है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं आपको सूचना दूं, उनका ट्रान्सफर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उनको चार्ज देना था, जगन्नाथ चन्देल ने चार्ज नही दिया, उनको वहीं पर तहसीलदार से बी० डी० ओ० बना दिया गया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बी० डी० ओ० का राजस्व विभाग से सम्बन्ध नहीं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ७।। साल तक उनको एक ही स्थान पर तहसीलदार रखा गया उन्होंने वहां पर राजनीति में खुल कर भाग लिया अब उनको वहीं पर बी० डी० ओ० बनाकर भेज दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बी० डी० ओ० का राजस्व विभाग से संबंध नहीं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जिस प्रकार का कार्य इसने वहां पर तहसीलदार रहते हुए किया उसी के बारे में प्रश्न पूछा गया था । एक ही स्थान पर इनको साढ़े सात साल तक रखा गया दूसरे तहसीलदार कोई तीन महीना, कोई चार महीना, साल भर से कोई अधिक नहीं रहा । इनसे ऐसा क्या मोह है जिसके कारण इनको सात साल से भी अधिक समय तक वहां रखा गया जबकि इनके खिलाफ शिकायतें थी ? उसके बाद जब उनको वहां बी० डी० ओ० लगाया तो उसके लिये आपने राजस्व विभाग से रिलीव क्यों किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक रिलीव करने का सवाल है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नाम मांगता है जिनके नाम विकास विभाग को भेजते हैं वे उनको उचित समझते हैं बी० डी० ओ० लगा देते है; वैसे भी बी० डी० ओज० की शोर्टेज है बहुत सारे तहसीलदार इसमें लिये गये हैं, हो सकता है, ये भी लिये गये हों ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या यह गेंदीलाल शर्मा का जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ट्रान्सफर हो गया था ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): श्री गेन्दीलाल शर्मा जिस समय तहसीलदार थे सात बार उनके स्थानान्तरण के लिये आदेश जारी किये गये थे जो कैन्सिल कर दिये गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सात बार आदेशों की जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ऐसी स्थिति में इसको आयन्दा के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न में भी जानकारी नहीं चाही गई थी ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह जो प्रश्न आया है थोड़ा सा परिवर्तन होकर आया है । मैंने पूछा कितने अधिकारियों का कैंसिल हो गया और किन किन कारणों से हुआ; ऐसे कौन से अधिकारी हैं ? यह प्रश्न गेन्दीलाल शर्मा के बारे में खास तौर से रखने की आवश्यकता यों भी नहीं थी कि इसके बारे में दसों बार सदन में आरोप लगाये गये थे कि ये दलगत राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप फिर इसी प्रकार का प्रश्न पूछते ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसने २,२०० नोटिसेज बेदखली के दिये हैं । जनरल इलेक्शन के समय बीस हजार आदमियों को बेदखली का नोटिस दिया है । यह शिकायत सदन में बार बार आती रही है कि उनका ट्रान्सफर किया जाय, उनका ट्रान्सफर करने के ऑर्डर्स हुए सात बार, लेकिन सातों ही बार कैन्सिल कर दिये गये, जयपुर में उनका ट्रान्सफर हुआ लेकिन उनको चार्ज नहीं दिया । उनकी सेवायें पंचायत विभाग को दे दी गईं, बी०डी०ओ० बना दिया गया । जब उनका सात बार ट्रान्सफर हुआ तो उनको बी० डी० ओ० के लिये रिलीज़ करने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे इस समय बी० डी० ओ० हैं, जैसा कि आप कहते हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या उनके बारे में यहां विधान सभा में भी शिकायतें हुईं, उन पर चार्जेज़ लगाये गये कि वे राजनैतिक पार्टियों में भाग लेते हैं ? क्या यह उनके ट्रान्सफर का उपयुक्त कारण आप नहीं मानते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार के चार्जेज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने आये हों तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है इस प्रकार की शिकायतें मेरे पास नहीं आईं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यहां पर जो बात कही जाती है उसको आप महत्व नहीं देते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, वे तहसीलदार नहीं रहे, विकास विभाग में चले गये हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : हैं तो वहीं पर ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्व विभाग से उसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ जो एलीगेशन्स लगाये गए हैं वे काफी सीरियस नेचर के हैं । अमूमन इस प्रकार की शिकायतें की जाती हैं । गवर्नमेंट की रेवेन्यू एजेन्सी, तहसीलदार, एस० डी० ओ० वगैरह का पार्टी इन्टरेस्ट के लिए पोलिटिक्स में उनका दुरुपयोग किया जा रहा है ऐसी शिकायतें अमूमन आती हैं । यह इन्सीडेन्स जो सदन के समक्ष है इसमें भी यही कहा गया है कि जो व्यक्ति सरकार के साथ पोलिटिक्स पर्पज़ के लिए काम करता है ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गलत बात है ।

श्री अमरसिंह : इस आधार पर इल्जाम लगाया जाता है । उस अधिकारी को एक ही जगह पर सात साल तक रखना, यह कहां तक वाजिब है ? यह असाधारण बात है कि एक तहसीलदार को एक ही स्थान पर इतने अरसे तक रखा जाय, उसके बाद भी उसको रिलीज किया गया तो उसी जगह उसको बी. डी. ओ. लगाया गया । मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय कमसे कम इस बात का आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, इन महानुभाव को फौरन वहां से हटा कर दूसरी जगह भेज देंगे और उस जगह ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जिसके बारे में लोगों को विश्वास हो कि यह पोलिटिक्स में भाग नहीं लेता है । इस व्यक्ति का सात बार ट्रान्सफर हो जाने के बाद भी मुतवातिर कैंन्सिल हो जाना रहस्य से खाली नहीं हो सकता ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजनैतिक उपयोग के लिए किसी को कहीं पर भी नही रखा जाता है । जहां तक उनको वहां पर बी. डी. ओ. नहीं रखने का सवाल है उसके लिए में कॉम्पीटेन्ट नहीं हूँ क्योंकि वे विकास विभाग के अन्तर्गत हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या उनके सम्बन्ध में यहां शिकायतें नहीं हुईं, आपको नहीं तो मैं मुख्य मन्त्री को यह याद दिलाता हूं इस गेन्दीलाल के आचरण के सम्बन्ध में कि यह दलगत राजनीति में भाग लेता है, लिखित में शिकायत मुख्य मंत्री के सामने प्रस्तुत की गई थी और उसके संबंध में जांच भी करवाई गई थी ?

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगू) : शिकायतों के आधार पर तबादला नहीं करते हैं तो आप किस आधार पर तबादला करते हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मुख्य मन्त्री को अधिकार है जिन तहसीलदार के बारे में दलगत राजनीति में भाग लेने का आरोप हो और जो साढ़े सात साल तक एक ही जगह पर तहसीलदार के पद पर रहा हो उसको फिर उसी स्थान पर बी० डी० ओ० बना कर भेजा जाता है आप इसके बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जातियों के लोगों को नियुक्तियां

७०१. **श्री गोपीलाल गोठवाल** (फागी) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अगस्त, ६२ में स्पेशल रिक्रूटमेन्ट बोर्ड का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उसका कार्यालय कहां है और यह किस तारीख से कार्य कर रहा है ?

(२) क्या इस बोर्ड ने यह ज्ञात किया है कि किस विभाग में किन पद व श्रेणी

(श्री गोपीलाल गोठवाल)

आदि के कितने स्थान सुरक्षित हैं और उन पर कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(३) क्या समस्त विभागों से यह सूचना मांगी गई है ? यदि हां, तो क्या यह सूचना प्राप्त हो गई है और क्या जिन विभागों ने यह सूचना नहीं दी है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) अगस्त सन् १९६२ में रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई गठन नहीं किया गया था।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

तहसील जैतारण में भूमि का एलॉटमेंट

७०४. **श्री मांगीलाल** (रायपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्ष १९६४ व १९६५ में तहसील जैतारण में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने लोगों को कितनी भूमि अलॉट की गई है ?

उत्तर

ऐसे ४ व्यक्तियों को २४ एकड़ भूमि अलॉट की गई है।

अनाज की पैदावार के आंकड़े

७०६. **श्री केसरीसिंह** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

१९५५ से १९६५ तक राजस्व बोर्ड द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों से किस किस वर्ष में किस किस्म के अनाज की कितनी पैदावार प्रति एकड़ हुई ?

उत्तर

वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छात्रों में दूध वितरण

७०७. **श्रीमती गौरी पुनिया** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राज्य में ६–११ आयु वर्ग के छात्रों को दोपहर में दूध वितरण की सुविधा कब से प्रारम्भ हुई ?

(२) जोधपुर शहर में सरदारपुरा की स्कूलों में से ये सुविधा किन किन स्कूलों को उपलब्ध है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) यह योजना अक्टूबर १९६२, से चालू हुई।

(२) सरदारपुरा की स्कूलों में से दूध वितरण की सुविधा निम्नलिखित स्कूलों को नेशनल क्रिश्चन कौन्सिल रिलीफ कमेटी (चर्च वर्ल्ड सर्विस न्यू दिल्ली) के द्वारा दी जाती है:–

(श्री शिक्षा मन्त्री)

१. मिशन स्कूल, एन्ड्रूज हॉल सरदार-पुरा जोधपुर।

२. रिफ्यूजी कोलोनी स्कूल, सरदारपुरा जोधपुर।

३. राजकीय प्राथमिक शाला, सरदारपुरा, जोधपुर।

राजस्थान केग्रर स्कूल फीडिंग स्कीम के ग्रन्तर्गत जोधपुर शहर के किसी भी स्कूल को कोई लाभ नहीं दिया जाता।

जायल हाई स्कूल के भवन के लिये अनुदान

७०६. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जायल हाई स्कूल का भवन पंचायत समिति के निजी कोष से बनाया गया है ? यदि हां, तो पंचायत समिति द्वारा कितनी राशि लगाई गई है व कितनी रकम जनता द्वारा चन्दे के रूप में दी गई है ?

(२) सरकार ने इस भवन निर्माण हेतु कितनी रकम का अनुदान दिया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि डीडवाना बांगड़ हाई स्कूल भवन में भी सरकार द्वारा अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई ?

(४) क्या सरकार डीडवाना में बांगड़ हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु अनुदान की रकम दी गई उतनी ही अनुदान की रकम जायल हाई स्कूल भवन के लिये देने का विचार रखती है ?

(५) क्या सरकार जायल हाई स्कूल के छात्रावास के लिये भी कोई रकम देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(अ) जायल हाईस्कूल भवन पंचायत समिति की निजी आय व जनता के चन्दे से बनाया गया है। इसमें अब तक कुल रुपया १,३१,५४२) व ६१ पैसे खर्च हुये हैं जिनमें से ८४,६४६) रु० २ पैसे निजी आय से व ४१,८६३ रु० ८६ पैसे जनता के चन्दे के हैं।

(ब) सरकार ने इस भवन के निर्माण हेतु केवल ५०००) रु० का अनुदान दिया है।

(स) बांगड़ हाईस्कूल के भवन के लिये एक लाख १४ हजार रुपया राज्य सरकार ने अनुदान दिया है। एक लाख सेठ बांगड़ लगायेंगे व जमीन आदि का व्यय भी वही वहन करेंगे।

(द) अर्थाभाव के कारण इतनी धनराशि जायल को देना संभव नहीं है।

ई—अर्थाभाव के कारण यह संभव प्रतीत नहीं होता।

चित्तौड़गढ़ जिले में भूमिहीनों को जमीन

७१४. **श्री शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री शंकरलाल)

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में सन् १९६४–६५ व ६५-६६ में कितनी भूमि कितने भूमिहीन किसानों को मिली और उनमें से कितनों को अभी तक नाप कर भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है ?

(२) कब्जा नहीं देने का कारण क्या है ?

(३) तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) जिला चित्तौड़गढ़ में सन् ६४--६५ व ६५--६६ में ३७१९१।। एकड़ भूमि १०११० भूमिहीन किसानों को आवंटन की गई है । इसमें ८५३ व्यक्तियों को कब्जा देना शेष है ।

(२) कब्जा न हो सकने के कारण निम्नलिखित हैं:—

१—तहसील निम्बाहेड़ा और तहसील बेंगू के क्रमश: २० और ४६४ व्यक्ति जमीन पसन्द न आने से कब्जा लेने से इन्कार हुवे । कुल ४८४ व्यक्ति ।

२—२४० व्यक्तियों की उज्रदारी होने के कारण (तहसील निम्बाहेड़ा ४०, बेंगू १९९, चित्तौड़गढ़ १) ।

३—२७ व्यक्तियों को जमीन देने की मंजूरी के मामले तहसील बड़ी सादड़ी में विचाराधीन है ।

४—९ व्यक्तियों की जमीन नगरपालिका की सीमा में आ जाने से कार्यवाही तहसील बड़ी सादड़ी में जेर-कार है ।

५—४९ व्यक्तियों को आवंटन दिनांक २५–२–६६ को होने के कारण अब कब्जा दिया जाने की कार्यवाही तहसील चित्तौड़गढ़ में चल रही है ।

६—तहसील राशमी में ३६ व्यक्ति आवंटित भूमि पसन्द न आने से लेने से इन्कार हुये ।

(३) तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

टोंक रियासत के कर्मचारियों को पेन्शन

७१५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भूतपूर्व टोंक रियासत के कई कर्मचारियों को तो पेन्शन दे दी गई हैं और कई कर्मचारियों को नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

पेन्शन नियमानुसार दी जाती है अतः यह स्वाभाविक है कि जो कर्मचारी पेन्शन पाने का अधिकारी है उसे पेन्शन दी गई है और जो पेन्शन पाने का नियमानुसार अधिकारी नहीं है उसे पेन्शन नहीं दी गई है ।

(१२.८ म. प.)

श्री सदाशिव व्यास की भूख-हड़ताल विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह): श्री सदाशिव व्यास, सहायक अध्यापक, प्राथमिक शाला नम्बर १, सांभर में जनवरी १९६३ से कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व वे हाई स्कूल सांभर में व्यायाम निर्देशक (पी. टी. आई.) के पद पर कार्य कर रहे थे। हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ अनबन रहने के कारण उनका स्थानान्तरण प्राथमिक शाला में हुआ था। हाई स्कूल के सेवाकाल से सम्बन्धित अपने निजी मामलों को लेकर उन्होंने दिनांक ४-४-१९६६ को उप शिक्षा संचालक, जयपुर के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी। इस सम्बन्ध में उप-संचालक, शिक्षा निरीक्षका एवं अतिरिक्त शिक्षा निरीक्षक, जयपुर ने उनसे बातचीत करके उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में उन्हें दिनांक ७-४-६६ को समुचित लिखित रूप से उत्तर दिया परन्तु उन्होंने अपनी भूख-हड़ताल जारी रख अब निम्न प्रकार मांगें रखी हैं :

१. वी. टी. सी. शिक्षकों की समस्या हल की जावे।

२. पुरानी बकाया वेतन धन-राशि का भुगतान हो।

३. ग्रेड इन्क्रीमेन्ट समय पर लगायें जावें।

४. हिन्दी परीक्षाओं को दी जाने वाली १९६१ से पूर्व की ग्रेड पुनः जारी की जाय।

वी. टी. सी. शिक्षकों की समस्या

श्री सदाशिव व्यास के मांग पत्र में वी. टी.सी. अध्यापकों की समस्या पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। अब तक सरकार के सामने इस श्रेणी के अध्यापकों की निम्न २ प्रकार की समस्यायें आई हैं।

१. राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाइज्ड पे स्केल) रूल्स, १९६१ के अनुसार इन अध्यापकों को वेतन शृंखला ७५-५-९५-५-१०५-ई.बी.५-१३०ई.बी.५-१६० में १०५ तक ही वेतन मिलना चाहिये था क्योंकि ये मैट्रिक की योग्यता नहीं रखते हैं। परन्तु भूल से इनमें से कुछ एक अध्यापकों का वेतन १०५) रुपये से अधिक पर निर्धारित हो गया। इस प्रकार जो अधिक वेतन राशि मिल चुकी है वह वापिस ली जा रही है।

२. नई वेतन शृंखला में जो अध्यापक मैट्रिक पास नहीं हैं वे १०५) से अधिक वेतन नहीं प्राप्त कर सकते। वी. टी. सी. अध्यापक और अन्य पुराने अध्यापक जो मैट्रिक पास नहीं हैं वे यह मान कर चलते हैं कि उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए उन्हें १०५) से आगे तक जाने दिया जाय।

जहां तक वेतन निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त नियमों के नियम ८ व ९ के अनुसार राज्य कर्मचारियों को यह छूट दी गई थी कि यदि वे नई वेतन शृंखला के अनुसार वेतन नहीं लेकर अपनी पुरानी वेतन शृंखला में ही रहना चाहें तो नियमों के प्रभावशाली होने की तिथि १८-१२-१९६१ से चार माह के अन्दर अपने कार्यालयाध्यक्ष को सूचित कर दें अन्यथा यह मान लिया जायगा कि उन पर नई वेतन शृंखला लागू होगी। अधिकतर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

वी. टी. सी. अध्यापकों ने इस तरह की सूचना अपने कार्यालयाध्यक्ष को नहीं भेजी है। इस सूचना के अभाव में उन पर नये वेतन नियम लागू हो चुके हैं जिनके अनुसार मैट्रिक पास न करने वाले अध्यापकों को १०५) से अधिक वेतन नहीं मिल सकता। ऐसी दशा में उन अध्यापकों को १-६-६१ से १०५) रुपया से अधिक वेतन देना सम्भव नहीं है।

नई वेतन शृंखला का निर्धारण करते हुए यह सिद्धान्त सामने रखा गया था कि परिवर्तित वेतन स्केल केवल उन व्यक्तियों को प्राप्त होगी जो उसके हेतु निर्धारित योग्यता रखते हों या जो बाद में प्राप्त कर लें। निर्धारित योग्यता से कम योग्यता रखने वालों का दक्षता अवरोध लागू है जिसको वे बिना योग्यता प्राप्त किये पार नहीं कर सकते। वी. टी. सी. अध्यापकों में जो मैट्रिक पास नहीं हैं वे १९६१ से पूर्व अधिकतम महंगाई भत्ते के अतिरिक्त अधिकतम ८०) पाने के अधिकारी थे। इसके लिये नई वेतन शृंखला में १०५) पर दक्षता अवरोध होने के कारण कोई विशेष हानि नहीं हुई है। अब भी इनके लिये मैट्रिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य नहीं किया गया है परन्तु यदि वे १०५) से अधिक वेतन पाना चाहें तो उनको मैट्रिक पास करना होगा।

बकाया रकम का भुगतान

सदन को समय समय पर बताया गया है कि अध्यापकों की बकाया रकम का चुकारा करने हेतु शिक्षा विभाग ने विशेष प्रबन्ध किया है जिसके फलस्वरूप गत २ वर्षों से करीब ६००० मामलों को निपटाया जाकर १० लाख रुपया की रकम चुकायी जा चुकी है। बकाया रकम होने का एक कारण यह भी दृष्टिगोचर हुआ कि अध्यापकों को उचित समय पर तरक्कियां नहीं दी जाती थीं। भविष्य में इस तरह की बकाया रकम नहीं चढ़े इस बात को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त संचालक ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यह आदेश दे दिये हैं कि भविष्य में तरक्कियां समय पर देने के बारे में विशेष ध्यान दें। इससे साफ है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण सजग है।

(३) विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं को राज्य सरकार द्वारा सन् १९६१ से ही मान्यता दे दी गई थी। यह मान्यता केवल हिन्दी विषय के लिये ही है। उदाहरणार्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की प्रथम परीक्षा को केवल हिन्दी के लिये ही मैट्रिक के समकक्ष माना गया है। अतः जिस व्यक्ति ने यह परीक्षा पास की है उसको पूर्ण रूपेण मैट्रिक के समकक्ष नहीं माना जा सकता और उसे ऐसी दशा में मैट्रिक के बराबर वेतन देना कठिन है। यह स्थिति १९६१ से पूर्व भी थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): एक जानकारी कर लूं। पिछले दो वर्षों से कितने लाख रुपया अध्यापकों का बकाया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: दस लाख।

श्री भैरोंसिंह: ये सारे टीचर्स आ गये या वी. टी. सी. आ गये?

श्री निरंजननाथ आचार्य: एरियर्स जिनका था वे आ गये।

श्री अध्यक्ष : पंचायत समितियों सहित ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पंचायत समितियां तो हैं ही अध्यक्ष महोदय ।

(अल्प-विराम के अनतर)

पंचायत समिति के स्टाफ के सम्बन्ध में नहीं था इसीलिये वे नहीं होंगे ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उनका नोटिस केवल निजी मांगों को लेकर था और निजी मांगें उनकी सरकार ने स्वीकार कर लीं । इसलिये प्रश्न नहीं उठता । पर मैं समझता हूँ, उन्होंने साथ ही साथ दूसरा नोटिस भी दिया था । तीन मांगों के लिये दिया था, अध्यक्ष महोदय, एक पहले से ऐसा सक्यूलर है जिसमें हिन्दी परीक्षा के जो अध्यापक साहित्यरत्न और विशारद पास हैं विभिन्न देश की १७ संस्थाओं से सम्बन्धित, तो उनमें साहित्यरत्न और विशारद, बी. ए. के बराबर गिनी जाती हैं । फिर उनके लिए मैट्रिक पास करना क्यों आवश्यक समझा जाता है ?

श्री अध्यक्ष : इस तरह के विशिष्ट मामलों के प्रश्न इस समय नहीं उठाये जा सकते । मैं समझता हूं कि इस पर बहस समाप्त की जावे ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है............

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं काफी कह दिया गया है, आप कृपया शांत रहें ।

श्री भैरोंसिंह : यह बजट स्पीच में माननीय वित्त मन्त्रीजी ने दिया था कि ५३ लाख बकाया है, due to arrears of pay to teachers as a result of pay fixation and consequent increase in the grant. आप दस लाख किस तरह से कह रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पंचायत समितियों का तो नहीं है । उनका भी तो है ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो आपने इन्कार कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष : बाद में इन्कार कर दिया था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने बिल्कुल इन्कार कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष : जी, आपने बिल्कुल इन्कार कर दिया था ।

उद्योग विभाग के ३०० कर्मचारियों को सरप्लस किया गया है, जिसके सम्बन्ध में सरकार अपना वक्तव्य देगी ।

उद्योग विभाग में कर्मचारियों को सरप्लस किये जाने सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): अध्यक्ष महोदय, मितव्ययी उपायों के फलस्वरूप उद्योग विभाग द्वारा चलाये जा रहे कई कार्यक्रमों को या तो बन्द करना पड़ा है या हेर-फेर करने पड़े हैं ।

सन् १९६५-६६ के योजना बजट में जब कि करीब ४० लाख रुपये का प्रावधान

(श्री चन्दनमल वैद)

था, सन् १९६६–६७ में कुल १० लाख रुपये का ही प्रावधान है। इसी तरह जब कि सन् १९६६–६७ के नॉन प्लान बजट में कमिटेड एक्सपेन्डीचर को मिलाकर २०.६५ लाख रुपये का प्रावधान होना चाहिये था केवल १२.०३ लाख रुपये ही दिये गये हैं। इस तरह सन् १९६६–६७ के बजट में कुल मिला कर ३८.६२ लाख रुपये की बचत की गई है।

इस कटौती के कारण आर्टिस्टिक क्राफ्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर, ५ क्लस्टर टाइप ट्रेनिंग सेन्टर, ११ कॉमन फेसिलिटी सेन्टर, ३ इन्डस्ट्रियल वेल वर्क्स हैंडिक्राफ्ट्स डिजाइन इक्सटेन्शन सेन्टर, सीरेमिक इन्स्टीट्यूट अलवर, ५ डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज आॅफीसर, क्वालिटी मार्किंग स्कीम, गाड़िया लोहर वर्क शॉप आदि को १–३–६६ से बन्द करना पड़ा। साथ ही उद्योग विभाग के मुख्य कार्यालय, क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालयों में भी कमी की गई है।

इसके फलस्वरूप ३३४ कर्मचारियों को सरप्लस करना पड़ा, जिनका विवरण इस प्रकार है :

(१)	उप संचालक (रसायन) (डिप्टी डाइरेक्टर कैमिकल)	१
(२)	उद्योग निरीक्षक (इन्डस्ट्रीज इन्सपेक्टर)	५
(३)	व्यवस्थापक औद्योगिक संस्थान (मैनेजर इन्डस्ट्रियल एस्टेट)	४
(४)	कैमिस्ट	२
(५)	उद्योग प्रसार अधिकारी	३७
(६)	टैक्नीकल कर्मचारी	१०८
(७)	तृतीय श्रेणी के अधिकारी	९५
(८)	चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी	८३
	कुल	३३४

जहां तक हो सका है वरिष्ठता सूची के अनुसार जूनियर कर्मचारियों को ही सरप्लस किया गया है।

जिलों में सरप्लस हुए कर्मचारियों में से कनिष्ठ व वरिष्ठ लेखकों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, जिनकी संख्या १३० थी, सम्बन्धित जिलाधीशों के पास भेज दिया गया। शेष २०४ कर्मचारियों ने सरकारी आज्ञानुसार जयपुर में जी. ए. डी. को रिपोर्ट की। ऐसी सूचना मिली है कि जिलाधीशों ने करीब सभी १३० कर्मचारियों को उनके अधीनस्थ विभिन्न विभागों में लगा दिया है। इसके उपरान्त जी. ए. डी. ने ३ उद्योग प्रसार अधिकारियों को कर विभाग में, ४६ टैक्निकल कर्मचारियों को कृषि विभाग में, ४ टैक्निकल कर्मचारियों को टैक्निकल शिक्षा विभाग में और ४७ कर्मचारियों को जिनमें सभी सरप्लस तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है विभिन्न विभागों में लगा दिया है।

अब केवल १०४ कर्मचारी रहे हैं जिन्हें काम पर लगाना है। इनमें से ३६ कर्मचारियों को उद्योग विभाग में नई स्कीमों की स्वीकृति आने पर वापिस जल्दी ही ले लिया जायगा। शेष ८ टैक्निकल कर्मचारियों को दूसरे

(श्री चन्दनमल वैद)

विभागों में भेजने की कार्यवाही जी. ए. डी. द्वारा की जा रही है और उम्मीद है कि २०-२५ दिनों में यह कार्य पूरा हो जायेगा।

जहां तक सरप्लस कर्मचारियों को मार्च माह की तन्ख्वाह देने का प्रश्न है जी. ए. डी. द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है और बहुत जल्दी ही सबको तन्ख्वाह दे दी जायगी।

(१२.६० म०प०)

भरतपुर सेन्ट्रल जेल की घटनाओं विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने भरतपुर सेन्ट्रल जेल में कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मन्त्री महोदय इस पर एक वक्तव्य दें।

श्री मथुरादास माथुर (कारावास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जेल में कुछ अण्डर-ट्रायल प्रिजनर्स और कुछ सजायाफ्ता कैदियों ने, जिनके ऊपर कि मुकदमें कायम किए गए थे, करीब १२ लोगों ने ६ तारीख की शाम को वहां जेल से भागने की कोशिश करने के लिए उन्होंने वहां पर हल्ला-गुल्ला किया और वहां पर यह मालूम पड़ने पर कि यहां पर खाने का यथासम्भव इन्तजाम है तब वह लोग छत के ऊपर चढ़ गए। बैरक्स की छत पर चढ़ कर उन्होंने वहां पर गुड़, पत्थर और दीगर चीजें जो वहां लगी हुई थी उनको उन्होंने खोल करके, इकट्ठा करके वहां छत के ऊपर बैठ गए और वहां से पत्थर फेंकने लगे जिसकी वजह से कोई भी वार्डन या कोई दूसरे जेल के अधिकारी पास में नहीं आ सकें। यह मामला ६ तारीख की शाम को किया और बैरक्स के अन्दर के दरवाजे जो थे वे बन्द कर लिए। बहुत समझाने पर भी लोग बैरक्स की छत के ऊपर से नीचे नहीं आये और उन्होंने जो कुछ भी उनके पास में गुड़ वगैरह खाने को था वह लेकर बैठे हुए ३ दिन तक बैठे रहे। वहां माकूल इन्तजाम किया गया जिसकी वजह से वे भागकर बाहर नहीं जा सके और चारों तरफ से पुलिस का घेरा लगा दिया गया। बहुत समझाने की कोशिश करने के बावजूद भी वे नीचे नहीं उतरे और १० तारीख की सुबह, यानी कल सुबह, जब उन्होंने देखा कि उनके पास जो राशन और गुड़ वगैरह था वह खत्म हो गया है, तब वे लोग कल सुबह नीचे उतर आये और उसके बाद में उन लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये वह कानूनी कार्यवाही की जा रही है और उनको अलग-अलग बैरक्स में बन्द कर दिया गया है। अब वहां पर शांति है और कोई ऐसी समस्या नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। क्या यह सही है कि इन १२ कैदियों ने जो छत के ऊपर चढ़े थे ६ तारीख की शाम को वहां पर कैदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया और खाने के लिए पर्याप्त उनको भोजन नहीं दिया गया इन सबके विरोध में और इसका विरोध प्रकट करने के लिए जो दुर्व्यवहार उनके खिलाफ किया जा रहा था और जो पर्याप्त भोजन उनको नहीं दिया जा रहा था उसका विरोध प्रकट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करने के लिए वे छत पर चढ़े थे, न कि वहां से भागने के लिए वे छत पर चढ़े थे और शायद दुर्व्यवहार नहीं किया गया बल्कि वहां पर बहुत मारा भी गया था। जैसा कि मुझे कल सोशलिस्ट पार्टी के एम. एल. ए. श्री नत्थीसिंहजी ने फोन द्वारा बताया कि सड़कों पर गुजरने वाले लोगों को छत पर से किसी मरे हुए आदमी की लाश दिखाते थे और कहते थे कि जेल के अधिकारियों ने हमारे साथ अत्याचार किया है और इसके कारण काफी टेन्शन वहां की जेल में था और अध्यक्ष महोदय, जो भागने वाला कैदी है वह छत पर चढ़ेगा नहीं। वह तो कोई चीज तोड़ कर भागे तो ऐसा हो सकता है लेकिन छत पर भागने के लिए वह नहीं चढ़े थे। भरतपुर की जेल मैं समझता हूं कि बहुत पुरानी जेलों में से है और मैं समझता हूं कि भागने के तरीके अलग होते हैं। लेकिन भागने वाले कैदी १२ की संख्या में, जिनमें अण्डर ट्रायल के भी कैदी थे, मर्डर के केसेज़ के भी कैदी थे और सज़ायाफ्ता कैदी भी थे और फिर मर्डर के कैदी के साथ वार्डर रहता है वह ऐसे कैसे इकट्ठे हो गए और कैसे छत पर चढ़े और चढ़ करके उन्होंने भागनेकी कोशिश की, मैं समझता हूं कि यह केवल गलत बात है।

वास्तविक स्थिति यह है कि जेल के कैदियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है और खाने के लिए नहीं दिया जाता है और ४ दिन तक वह कैदी भूखों मरते रहे, चिल्लाते रहे और पुलिस ने बहुत भारी संख्या में घेरा डाला और वहां पड़ी रही और माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी मुझे जानकारी मिली उसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को फोन पर मैंने उसकी इत्तला पहले प्रारम्भ में दे दी थी कि इस प्रकार की जानकारी मुझे मिली है। कैदियों को ४ दिन हो गये हैं और कैदी ऊपर छत पर चढ़े हुए हैं और वहां पर आतंक छाया हुआ है और आसपास से गुजरने वाले लोगों को शंकापूर्ण वातावरण लगता है कि क्या किसी को मारा गया है या कोई मर गया है। इस सम्बन्ध में जांच करना बहुत आवश्यक है। जेल में कैदी छत पर जाकर बैठ जायें, ४ दिन तक उनको खाना नहीं दिया जाये और हमारी पुलिस उनको नीचे नहीं ला सकी। मैं पूछना चाहता हूं कि वे किसकी गलती से ऊपर गए और जब तक सरकार इसके कारणों की जांच नहीं करेगी कि भोजन की कमी के कारण से, अपर्याप्त राशन के कारणों से, माल-ट्रीटमेंट के कारण से यह नौबत पैदा हुई, इसके कारणों की जांच करना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप उन पर भागने का आरोप लगायें, उनको प्रोसीक्यूट करने की कोशिश करें, वह उन चीजों का इलाज नहीं होने वाला है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। भरतपुर की घटना राजस्थान सरकार के लिए और हम सबके लिए काफी खेदजनक है। खेदजनक इस माने में कि १२ कैदियों को हमारी राजस्थान की सरकार कन्ट्रोल नहीं कर सकी और वह भी कोई आजाद आदमी नहीं थे, बल्कि जेल के कैदी थे और उनका ३ दिन तक इस प्रकार से इन्तजाम नहीं कर सके और वे छत

Page No. 34

(श्री भैरोंसिंह)

पर चढ़े रहे और वह अपना इस प्रकार से प्रबन्ध करते रहे जैसे अहमदखां लोदी ने इस बात का इन्तजाम किया था कि किले का राशन कब खत्म होता है और कब फाटक खुलते हैं और हुकूमत, जिसके पास पुलिस है और अन्य साधन हैं, वह इन्तजाम करती रही कि कैदियों का खाना कब खत्म होता है और कब नीचे आते हैं। इससे ऐसा लगता है कि सरकार में कितनी ताकत है और किस प्रकार से वह कैदियों को नीचे उतारने में असमर्थ रही है। प्रश्न सबसे मोटा यह है कि उन जेलियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वह नहीं हो, इस प्रकार की गारन्टी इस हुकूमत का कोई भी आदमी कैदियों को नहीं दे सका है और वे ऊपर चढ़ कर गये, उस समय जेल का कोई बड़ा अधिकारी जाकर उनको आश्वस्त कर देता कि वे नीचे आ जाए और उनके साथ में वार्डन द्वारा जो ज्यादती की गई है उसकी जांच होगी और भविष्य में किसी प्रकार की उनके साथ ज्यादती नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि पुलिस को पहरा देने की आवश्यकता नहीं थी, वे कैदी अपने आप नीचे आ जाते। लेकिन उन चढ़े हुए कैदियों को डराया गया और धमकाया गया और उनको कहा गया कि नीचे आओगे तो तुम्हें देख लेंगे, कितने दिन तक जेलों के सींखचों में पड़े रहोगे और उनको यहां तक डराकर मजबूर किया गया कि वे ३ दिन तक ऊपर बैठे रहे। जेल विभाग के मन्त्री के पास जब यह सूचना आई कि वार्ड्स से निकले हुए कैदी छत पर बैठे हुए हैं तो आप वहां स्वयं जा सकते थे और स्थिति को ठीक कर सकते थे। मेरे ख्याल से उन्होंने भी मांग की कि मन्त्री महोदय इस बात का विश्वास दिला दें कि तुम्हें मारा नहीं जायेगा और कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा, तो कैदी अपने आप नीचे आ जाते। आप गए नहीं और यह जेल की बीमारी यहां की जेलों में फैल रही है।

जोधपुर में भी इसी प्रकार से ज्यादती हुई, जयपुर में हुई। जयपुर में जो कैदियों के साथ ज्यादती हुई उसके लिए तो मन्त्री महोदय ने कह दिया कि मुझे तो आंसू आ गए। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कैद में रहने वाले व्यक्ति जेल तोड़ने की नीयत से कैद में नहीं रहते हैं बल्कि सुधरने की गरज से, जो सजा मिलती है उसको काटने की गरज से वहां पर रहते हैं। जो कुछ उनको दण्ड मिला है वे कैदी के रूप में पड़े हुए हैं। अगर उनके साथ में अमानवीय दृष्टिकोण अपना कर उनको मारने की व्यवस्था करते हैं तो जेल सुधार पर जो कार्यवाही आप कर रहे हैं वह सारी की सारी खराब होगी। आपने जेल रिफोर्म्स के बारे में कमेटी बनाई, उसमें कैदियों के साथ में कैसा व्यवहार किया जाये, इस सम्बन्ध में राजस्थान का काफी रुपया खर्च किया। जेल से निकलने के बाद कैदी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें इसकी योजना बनाई। लेकिन यह तो दूर की बात है और यह उनके साथ बाहर की बात है, लेकिन अन्दर किस प्रकार का व्यवहार होना है वह काफी खेद-जनक है और मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच की जाए और सदन को विश्वास दिलाया जाये कि जेल के अन्दर ऊपर चढ़ने के कारणों की जांच की जायेगी और उनके साथ ज्यादती नहीं की जायेगी। यह जो भागने का आरोप उन कैदियों पर लगा रहे हैं, वे सब वहां के अधिकारियों की करतूतें

(श्री भैरोंसिंह)

है और यह आरोप बिल्कुल मिथ्या है। यदि भागने जैसी स्थिति होती तो कैदियों को मरने की चिन्ता नहीं होती। दो आदमी तो ऊपर चढ़ गए थे वे भाग सकते थे, निकल भी सकते थे, लेकिन वे बातें ऐसी हैं कि जो आरोप लगाकर उनको फंसाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि राजस्थान की इस हुकूमत को इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये कि वे जो हरकतें जो जोधपुर, जयपुर और अजमेर की जेलों में हुई हैं, भरतपुर में हुई हैं वह रिपीट नहीं हो और इसके लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जेल के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार आ जाये।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, जो आज बयान दिया गया है, मैं समझता हूँ कि आम तौर पर राजस्थान में जो घटनाएं हुई हैं उनमें इसी तरह के दो तीन इल्जाम वे किसी भी कैदी पर लगा देते है। यह दीवार फांद कर जा रहा था। इसने कुर्सियां मंगा ली थीं और उस पर चढ़ कर दीवार फांद रहा था, वगैरह वगैरह। दो-तीन इल्जाम लगाकर ये किसी को भी हैरान करते हैं। उस पर दो-तीन चीजों का इल्जाम लगा देते हैं और उसके बाद जचकर दमन करते है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जेल तोड़कर जावें तो पकड़े जावें तो वह छत पर क्यों चढ़े और जेल की छत पर चढ़े होंगे तो उससे तो दीवार बहुत दूरी पर होती है। लेकिन हकीकत में हुआ यह होगा कि जचकर पिटाई की गई होगी वहां वालों की और मार के डर से वे छत पर चढ़ गए होंगे और चूंकि नीचे उनकी तमाम की तमाम फोर्स रही होगी और उससे नीचे उतरें तो खतरा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पिटाई होगी इसलिए वे छत पर चढ़ गए होंगे। लेकिन यही हालत सारे राजस्थान की है। मेरा भी इसमें तजुर्बा है। मैं सारे राजस्थान की जेलों में तो नहीं गया लेकिन मुझे अलवर की जेल का तजुर्बा है। पांच-पांच रोज तक तमाम कैदियों ने भूख-हड़ताल की, लेकिन पांच दिन तक मन्त्री महोदय वहां पर तशरीफ नहीं लाए। पहले और कामों से दूर करने के लिए या अपना स्वागत कराने के लिए या और बहानों से गए हों, लेकिन पांच रोज तक तमाम की तमाम जेल भूखी रही और उन्होंने भूख-हड़ताल की, लेकिन उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की।

आज जेलों के अन्दर इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है जिसकी कोई हद नहीं है। पहले तो सही सुनते थे कि खाने का सामान गायब हो गया, गुड़ गायब हो गया, सामान खा गये, या किसी और चीज को खा गए लेकिन आज तो क्या है कि जेलों के अन्दर रात और दिन खा जाते हैं। कैदियों के वहां जो दिन होते हैं उनमें अगर एक महिना कम कराना है और आई० जी० साहब को खबर पहुँचानी है तो लाओ सौ रुपये, अगर पीली वर्दी लेनी है तो लाओ सौ रुपये, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार जेलों में पैदा हो चुका है। जिसके लिए मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय कोशिश भी करते हैं और मैं उनके ख्यालों की कद्र भी करता हूं, वे सुधार लाना चाहते हैं लेकिन वे जिस तरह की नौकरशाही है, जिस तरह की उनकी आदतें हैं, जिस तरह की आदतें पड़ी हुई हैं, उससे कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। अगर कोई भी

(श्री हरिराम चौहान)

मिनिस्टर का रिश्तेदार है तो वह जागीर समझता है जेल को । पूरी तरह से खुलेआम रिश्वतखोरी करें, खुलेआम बाग की सब्जी खाओ । उनके रिश्तेदारों के यहां सब्जी पहुंचाओ, जो मर्जी में आए वह करो, पूरी की पूरी छूट है । तमाम कैदी शिकायत करें परन्तु उनका कुछ नहीं बिगड़ता । किसी अफसर का कुछ नहीं बिगड़ सकता । उनको पूरी छूट है । इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो कुछ कहा गया है भरतपुर के बारे में वह एक घड़ी हुई कहानी है उसके ऊपर मन्त्री महोदय को यकीन नहीं करना चाहिये और खुद जाकर मौके पर पूरी तरह से देखकर इसकी जांच करनी चाहिए । जहां तक बेड़ी वगैरह का सिस्टम है । बेड़ियों के लिए जब कि यह हियायत है कि सिवाय डाका डालने वाले लोग हैं उनके ही बेड़ी डालेंगे, लेकिन वे मर्जी आए जिसके बेड़ी डाल देते हैं । किसी पर कोई इल्जाम लगा देते हैं कि यह झुककर देख रहा था, या इसने झुककर सलाम नहीं किया, यह बीड़ी का ठूण्डा मिल गया, या और किसी बात पर अफसर नाराज हो जाय तो उसे डण्डा-बेड़ी डालकर अलग कमरे के अन्दर बन्द कर देते हैं । तो इस तरह की जो परेशानियां जेलों में रात और दिन रहती हैं और कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी माफिक चलता रहता है, यह बात ठीक नहीं है ।

अलग बन्द करने से भी बड़ा खर्चा आता है । मुझे अलग बन्द किया गया । मुझे अलग बन्द रखा गया सोलह महिने तक । मुझे अलग बन्द करने के कारण सरकार को कम कम हजार आठ सौ रुपये महिने का खर्चा आया । मुझे अगर औरों के साथ रख देते तो सौ डेढ सौ रुपये से अधिक खर्चा नहीं आता । इस तरह से जिस पर डन्डा-बेड़ी डालना हो जिस पर दमन करना हो, उसको अलग बन्द कर देते हैं । किसी को भी अलग बन्द करते ही उस पर चार सौ रुपये के सन्तरी अलग से लगाने पड़ते हैं । यह जिस तरह राजाओं के जमाने में होता था, जिस तरह से उस समय लोगों को हैरान और परेशान किया जाता था सिवाय इसके कि चक्की नहीं पिसवाते हैं, अब चक्की कैदियों से नहीं पिसवाई जाती है, बाकी किसी भी तरह का कोई सुधार या फर्क नहीं आया है । रिश्वतखोरी बेशुमार बढ़ गई है और तमाम तरह की बातें जो पहले जेलों में जिस प्रकार से होती थीं आज भी उसी तरह से होती हैं सिवाय इसके कि चक्की नहीं पिसाई जाती और बेंत लगाना भी बन्द हो गया है । आप कोशिश करते जरूर है लेकिन कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि आपके ऑफिसर खुद आपका मजाक और उड़ाते हैं । मजाक उड़ाते हैं कि इस तरह से यह सुधार करने के लिए चले हैं अब यह आए हैं । ये बड़ी समाजवाद की बातें करते हैं । इस तरह की मजाक करते हैं । इसलिए उनको बड़ा चौकन्ना होकर और नौकरशाही पर अंकुश रखकर काम करना चाहिये । यह बिल्कुल झूठा इल्जाम लगाया जाता हैं कि कैदी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीन तीन दिन तक भूख-हड़ताल चलती है तो भी उसका फार्म तक भर कर नहीं भेजते हैं । अगर कोई भूख-हड़ताल करे तो ऊपर किसी प्रकार की सूचना नहीं देते हैं । भूख-हड़ताल के बारे में इत्तला देते हैं कि फलां आदमी ने

(श्री हरिराम चौहान)

भूख-हड़ताल की है तो ऊपर से कह देते हैं कि कोई बात नहीं है भूख-हड़ताल कर रखी है तो, दो दिन में खा लेगा, समझा देना उसको। दो-दो, तीन-तीन दिन तक तो भूख-हड़ताल का फॉर्म भर कर नहीं देते हैं, फार्म भर कर नहीं भेजते हैं, भूख-हड़ताल का इन्द्राज तक नहीं किया जाता है। मैं अर्ज करता हूं कि वह दो तीन दिन तक तो यों ही हैरान हो जाय, परेशान रहे, भूखा पड़ता रहे लेकिन उसकी इत्तला नहीं देते हैं, मंत्री महोदय को पता नहीं चलता कि भूख हड़ताल हुई या नहीं। मंत्री महोदय तो कागज देखते हैं और कागजों के अन्दर भूख-हड़ताल दर्ज ही नहीं होती है। कागज देखते हैं और कह देते हैं कि उनकी तो कोई भूख-हड़ताल ही नहीं हुई। तो इस तरह भूख-हड़तालियों के साथ बहुत ही बुरी तरह का सलूक करते हैं। आठ-आठ दिन तक मैं समझता हूं कि कइयों के वह फॉर्म भर कर भेजें या नहीं, उसकी जांच बिल्कुल नहीं करते। तो इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह न गुड़ लेकर चढ़े हैं, वह पीपे भी लेकर चढ़ गये और वह इस तरह के काम करके रात-दिन छत पर बैठे रहें, ऐसा जो कहा जा रहा है जो बिल्कुल झूठ है, जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। इन बारह आदमियों की भूख हड़ताल की जो बात कही गई है तो मुमकिन है तमाम लोगों की भूख हड़ताल हो और भूख हड़ताल का फॉर्म भर कर नहीं आया है और उसके बाद अब ऐसा करें। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरी तरह से इस मामलों की नहीं बल्कि इस तरह के तमाम मामलों की, तमाम घटनाओं की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिये अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर एक भी जेल ऐसी नहीं है जिसके अन्दर किसी का हाथ नहीं टूटा हो, किसी का पैर

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

नहीं टूटा हो, उन पर बुरी तरह से लाठियां नहीं चली हों, दमन नहीं हुआ हो। इन सब कारणों की, इन घटनाओं की जांच के लिए एक कमेटी मुकर्रर की जाय, तमाम राजस्थान की जो हालत है उसकी वह पूरी तरह से जांच करे कि किस तरह की कार्यवाहियां वहां हुई हैं और उसके अन्दर कौन २ अधिकारी दोषी हैं ताकि उनको सजा दी जा सके। तो इस तरह की कमेटी का निर्माण किया जाय जिसके अन्दर सदन के एम. एल. एज. भी मेम्बर हों, यह मेरी मांग है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने १६ महीने के अपने व्यक्ति-गत अनुभव सदन में बताए हैं अगर यह जो एडजोर्नमेंट मोशन इन सदस्य महोदय ने मूव किया है उनको भी छः छः महीने के लिए जेल भिजवा दिया जाय तो भी अवगत हो जायेंगे वहां की बातों से और मंत्रीजी को और भी अच्छे सुझाव दे सकेंगे, यही मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : आपका विचार तो नहीं है।

श्री **जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं परसों ही भरतपुर जाकर आया हूं और परसों रात को जब मैं भरतपुर से गुजर रहा था तो वहां के एक कांग्रेसी वर्कर खद्दरधारी मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर सारे नगर में जी. आर.

(श्री जोधसिंह चौहान)

पी. के सिपाही लगे हुए हैं और सारे नगर के अन्दर आतंक छाया हुआ है। और भी कई कांग्रेसी लोग थे उन्होंने कहा कि उन्हें भोजन अच्छा नहीं मिलता जिसकी वजह से भूख-हड़ताल की थी इसलिये उनको पकड़ लिया गया है और उनको पकड़ कर अलग अलग जेल की कोठरी में बन्द कर दिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई मंत्री महोदय वहां जाकर छानबीन करें कि वास्तविक स्थिति क्या है? वहां लोगों को भोजन अच्छा नहीं मिलता है, वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है और उसके लिए जब वे मांग पेश करते हैं तो उन पर दमन किया जाता है। सरकार ने एक भारी आंतक मचा रखा है। चारों तरफ जी. आर. पी. के सिपाही लगा रखे हैं और सारे नगर में भयंकर आतंक फैला रखा है। जब कि अगर उनके भोजन का प्रबन्ध ठीक नहीं था तो भोजन का प्रबन्ध ठीक किया जाना चाहिए था और जो लोग जेलों के अन्दर सजा भुगतते हैं, उनको भली-प्रकार का भोजन मिलना चाहिए लेकिन मुझे इस बात का तजुर्बा है कि बहुत भ्रष्टाचार है जेलों में। जेलों में जो व्यक्ति चाहे वह चीज उसको मिल सकती है। वह कैसे मिल सकती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वह ऐश कर सकता है, आराम कर सकता है। जिसके पास कोई सहारा नहीं है या रिश्तेदार नहीं उसको वहां पर जेल के अन्दर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि भोजन जो मिलता है कैदियों के लिए वह पर्याप्त नहीं होता है। एक प्रकार से बड़ी खराब हालत देखनी पड़ती है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह जो कहा गया है कि कैदियों ने भागने के लिए हमला किया था तो मैं भागने वालों का पक्ष नहीं लेता, लेकिन वहां के कांग्रेसी के द्वारा कही हुई बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो मेरे साथ आये हैं और जो भरतपुर के रहने वाले हैं। उनकी कही हुई बात कर रहा हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में खोज करके सही निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री मथुरादास माथुर (कारावास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में एक लॉकअप है, जेल नहीं है। उसमें ६३ व्यक्ति अन्डर-ट्रॉयल्स हैं, और लॉक-अप में जो आदमी अन्डर-ट्रॉयल्स होते हैं उन्हें रखा जाता है या सजा हो गई है एक महीने तक की और उसी डिस्ट्रिक्ट में हो तो उसको लॉक-अप में रखा जाता है वर्ना नहीं रखते हैं, या ऐसे आदमी हों कि जिन्हें सजा हो गई है और फिर भी मुकदमे चल रहे हैं दूसरे और उसी डिस्ट्रिक्ट में हों तो एवीडेन्स के लिए वहां रखा जाता है। इसलिए भरतपुर लॉक-अप के अन्दर ६३ अन्डर ट्रॉयल्स और कन्विक्ट्स हैं, जिनको दुबारा चाहते हैं उनको वहां पर रखते हैं;

वहां पर जब यह बात मेरे पास पहुँची तो करीब ७ तारीख को यह समाचार आया कि इस तरह से वहां पर कुछ कैदियों ने छत पर चढ़कर पत्थर इकट्ठे करके वार्डरों पर फेंके हैं तो इसके बाद इन्सपेक्टर जनरल ऑफ प्रिज़न्स को मैंने भेजा। वे वहां पर गये। दो रोज वे वहां पर रहे। वे लोग छतों पर चढ़े हुए थे और पत्थर फेंक रहे थे। उन्होंने डंडे-बेड़िया, लोहे की चद्दर वगैरह काट दी थीं और काफी नुकसान कर दिया

Page No. 39

(श्री मथुरादास माथुर)

था। ये १२ आदमी थे जो कि डकैती और मर्डर में इन्वोल्वड थे।। इसलिए इन्जूरियस आदमी थे। उन्होंने क्या-क्या बदमाशियां की हैं इसकी डिटेल्स मेरे पास इस वक्त नहीं आई है। इनकी क्या-क्या शिकायतें थी वह मेरे पास नहीं आई हैं और कोई भी डिमाण्ड इनकी मेरे पास नहीं आई, लेकिन इन्सपेक्टर-जनरल वापिस आये तब यह किस्सा मालूम हुआ। जब भेजे गये तो उस समय जो सूचना थी उसके अनुसार कहीं ऐसी नौबत न आये कि ऊपर से पत्थर फेंके तो लोगों के चोटें पहुँचे और फायरिंग की नौबत आये। उन्होंने वहां पर पेशेन्टली काम किया और दो दिन के बाद वे वापस आये। ७ तारीख को इत्तिला मिली और ८ को पहुँच गये और ९–१० को कल वापस पहुँच गये। जिन्होंने गुनाह किया होगा तो उसकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। इसमें किसी को पेट्रोनाइज करने की मन्शा नहीं है। किसी ने जुर्म किया होगा तो कानून के माफिक डील किया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कन्विक्ट्स कितने थे १२ में से।

श्री मथुरादास माथुर : दो कन्विक्ट्स थे। मेवचन्द ३९५, लक्ष्मणसिंह १०५, अन्डर ट्रॉयल्स फॉर डेकोइटी और उसके बाद में वेद प्रकाश, नरेन्द्रसिंह मोटर व मोटर पार्टस् की चोरी वगैरह के २६ केस उनके खिलाफ चल रहे हैं। वे अन्डरट्रॉयल हैं। सरदारसिंह अन्डरट्रॉयल। इसके अन्दर दो आदमी कन्विक्ट्स हैं और बाकी अन्डर-ट्रॉयल हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन दो आदमियों को सजा कितनी-कितनी है? एक महीने से क्या ज्यादा होगी?

श्री मथुरादास माथुर : इनमें एक आदमी ऐसा है जिसकी कि सजा तीन महीने की रह गई थी।

श्री हरिराम चौहान : वह भाग कर जा रहा था जिसकी सजा तीन महीने की रह गई थी।

श्री मथुरादास माथुर : बैरक में सब शामिल रहते हैं। वे अलग बैरक्स में थे। दो आदमी ट्रान्सफर किये गये थे उनको थोड़ीसी सजा बाकी रह गई थी। बाकी के अन्डर ट्रॉयल्स थे। इन लोगों ने बदमाशी की थी और बदमाशी क्यों की थी? इनकी कोई डिमाण्ड मेरे पास नहीं आई और न आई० जी० पी० के पास आई थी। ऐसी सूरत में डिमाण्ड के बारे में नहीं कह सकता। फिर भी माननीय सदस्य ने कहा है और मैं खुद भी इन्ट्रस्टेड हूँ सुधार के लिए। लेकिन वहां पर सुधार का सवाल नहीं। वे अन्डर ट्रायल्स कोर्ट के ऑर्डर से रखे गये थे। उन्होंने जो काम किया है वह जायज है या नाजायज है, उसकी पूरी जांच की जायेगी। अगर नाजायज काम किया है तो कानून से सजा दी जावेगी। नहीं किया है तो सजा नहीं दी जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात का स्पष्टीकरण कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : वे भाग रहे थे। वहां न किसी को पीटा गया है और न किसी

(श्री मथुरादास माथुर)

के चोटें आई हैं। इसकी पूरी जांच करली गई है, क्योंकि आपने खास तौर से कहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जैसा कि कहा गया कि वे बैरक की छत पर चढ़े हुए बैठे थे और उस आधार पर कहते हैं कि भागने आये थे, तो बैरक के चारों तरफ खुली जगह है या दीवार है जिसके कारण से वे भाग जाते। बाहर में खुला हुआ है और बीच में बैरक हैं। छत पर चढ़ते तो भागते कैसे ?

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं कहा। यह तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कह रहा हूं। अभी फर्दर इन्क्वायरी चालू है। बैरक के पास में जमीन है, रास्ता है, उसके बाद में दीवार है, लेकिन उस वक्त जेलर फतेहसिंह था वह कुछ काम के लिए, सरकारी ड्यूटी के लिए जयपुर जा रहा है तो मौका ढूंढकर इन्होंने शाम के टाइम में एक प्लान बनाया था। इसमें काफी लोग अन्डर ट्रायल्स थे वे निकलने की कोशिश कर रहे थे तो इसका पता चल गया तो वार्डर भैरोंसिंह वगैरह वहां पर पहुंच गये तो उन्होंने हल्ला किया और विसिल दी तो सारे चारों ओर से वार्डर्स इकट्ठे हो गये और मकानों से निकल कर बाहर आ गये। उन लोगों ने वहां पर पत्थर इकट्ठे कर लिये और छत पर चढ़ गये और पकड़ने जो गया उसके ऊपर पत्थर फेंके जिसकी वजह से जेल के वार्डरों को चोटें आई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जेल के अन्दर पत्थर रखे होते हैं क्या जिनका कि उपयोग किया जा सकता है ? जेल के अन्दर पत्थर नहीं रहते हैं। मैं जयपुर सेन्ट्रल जेल में रहा हूं। मैं जानता हूँ कि वहां पर दालान में पत्थर नहीं रहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मकान बनते हैं तो चुनाई में वे लगे रहते हैं और वहां पर कच्चे मकान हैं जिसके ऊपर गोबर से लीपा जाता है। यहां पर सीमेंट है। वह दो मिनिट में खुद सकता है और पत्थर ही पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके दिमाग की इन्जदा की मैं दाद देता हूँ। इतना जल्दी जवाब सोच लिया।

श्री मथुरादास माथुर : आप से ज्यादा मैं जेल में रहा हूँ इसलिए मैं समझता हूँ कि क्या होता है। वह खोदा हुआ अब भी पड़ा है। इसलिए पत्थर वहां से ही खोदे गये थे, बाहर से नहीं लाये थे। चूंकि वे खाली पत्थर के थे और उनके ऊपर गोबर लीप लेते हैं तो आसानी से निकाले जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जेलों में पिछले दो सालों से ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं सच बताता हूँ कि २–३ जगह ऐसे इन्सीडेन्ट हुए हैं वे रिफॉर्म्स की वजह से रहे हैं। इस केस का मैं नहीं कहता। इस केस में रिफॉर्म्स लागू नहीं होते हैं। ये अन्डर ट्रायल्स थे तो इन पर जेल मन्युअल लागू नहीं होता है और जो कोर्ट का हुक्म होता है वही चलता है, पर अमूमन क्या होता है कि रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इनका हौसला बढ़ता है और

(श्री मथुरादास माथुर)

रिफॉर्म्स के साथ हौसला बढ़ता है तो इन्डिसिप्लिन आता है तो डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं। तो एक-दो दफा तो इस तरह के केसेज् बढ़ते हैं और बढ़ेंगे। उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहुचते है और आदमियों को यानी कैदियों को समझाते हैं और जेल वालों को भी समझाते हैं। अब लोगों के यह समझ में आने तो लगी है। १२ महीने हमने अटेम्प्ट किया है तो ठीक हुआ है। धीरे-धीरे इससे ज्यादा होगा और कुछ दिनों बाद इस बात को समझ जायेंगे और अफसरों के भी समझ में आयेगा। यहां पर अन्डर ट्रायल्स थे इसलिए रिफॉर्म्स की बात नहीं आती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये भागने वाले आदमी गुड़ लेकर नहीं चढ़ते हैं। कुछ न कुछ उनकी ग्रीवान्सेज् थीं और ग्रीवान्सेज के कारण गुड़ लेकर ऊपर चढ़े थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सारे मामले की जांच करना चाहिए और जो उनकी जैनुइन ग्रीवान्सेज् हों तो उनको दूर करना चाहिए। अगर किसी ने बदमाशी की है तो उसको सजा दी जाय इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उनकी जो जैनुइन ग्रीवान्सेज् हैं उसकी जांच करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : ग्रीवान्सेज् आज तक नहीं आई है मेरे पास।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको भेजे कौन ?

श्री मथुरादास माथुर : आई० जी० प्रिज़न्स के पास भी नहीं आई हैं।

श्री हरिराम चौहान : भेजे कौन ? उसका तरीका क्या है, आप बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जेल में बहुत रहा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय भी आपकी ग्रीवान्सेज् ऊपर नहीं जाती थीं। उस समय आप भी भूख-हड़ताल करते थे, चिल्लाते थे और जेलों में नारे लगाते थे पर आपकी ग्रीवान्सेज् ऊपर नहीं जाती थीं।

श्री मथुरादास माथुर : वह न मेरे पास आई है, न आई० जी० पी० के पास आई हैं और न सुप्रिन्टेन्डेन्ट के पास आई हैं।

श्री हरिराम चौहान : उनको कागज़ ही नहीं मिलता, ऊपर कौन भेजे ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने जेल में से कितने परचे भेजे वह मेरे पास आये हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जेल मिनिस्टर के नाम से एक पन्ना भी भेजेगा तो वह मेरे पास आयेगा।

श्री भैरोंसिंह : एक विधान सभा के सदस्य को आपने जेल में रखा इससे ज्यादा और शर्म की चीज क्या है राजस्थान सरकार के लिए ? इससे ज्यादा राजस्थान की हुकूमत के लिए शर्म की चीज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो इनकी शक्ल बता रही है। यह इतने बुरे हैं तो छोड़ा क्यों बिना मतलब के........

एक माननीय सदस्य : मोटे हो गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तब तो आचार्यजी को क्यों नहीं भेजते और कमालाजी को क्यों नहीं भेज देते, इनका स्वास्थ्य सुधर जायगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : मैं आपको याद क्यों आता हूं बार बार ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण के पश्चात् स्थगन-प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

एक दूसरा स्थगन-प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और श्री भैरोंसिंह ने दिया है जिसका संबंध पिछले ४ दिनों से चल रही ट्रक चालकों कि हड़ताल है। इस स्थगन-प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है, किन्तु फिर भी यह मामला विशेष महत्व रखता है और हजारों व्यक्ति इससे प्रभावित है इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व या कल तो अवश्य इसके बारे में स्पष्टीकरण दे दें।

श्री मथुरादास माथुर : कल सुबह दे दूंगा।

(१२.५१ म. प.)

राज्यपाल महोदय द्वारा सदन से सदस्यों को निकालने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, मानिकचन्द सुराणा, रामकिशन, केदारनाथ, नत्थीसिंह (१२५), विट्ठलभाई तथा योगेन्द्रनाथ हाण्डा ने एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया है कि श्री सम्पूर्णानन्दजी, राज्यपाल महोदय ने २६ फरवरी, १९६६ को अपने अभिभाषण के समय अध्यक्ष के अधिकारों का स्वयं ने प्रयोग कर १२ सदस्यों को सदन से बाहर निकालने के जो आदेश दिए, वे अवैधानिक एवं गैर-कानूनी थे। इसके अतिरिक्त जिन सदस्यों को सदन से बाहर निकाला गया उनको सदन में बैठ कर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण सुनने के संवैधानिक अधिकारों से भी अनाधिकृत रूप से वंचित किया गया। इन कारणों से श्री सम्पूर्णानन्दजी (राज्यपाल) ने अध्यक्ष, सदस्यों तथा सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है।

जिन सदस्यों ने उक्त विशेषाधिकार की सूचना दी है वे इस समय सदन से निलंबित हैं। अतः इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। किन्तु सदन के कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष को इस प्रश्न पर निर्णय देने हेतु सदन में निवेदन किया है तथा निम्न १० सदस्यों ने इसको सदन में उठाने की अनुमति देने हेतु प्रार्थना की है :

(१) श्री मुकुटबिहारीलाल
(२) श्री राधाकृष्ण गोयल
(३) श्री उमरावसिंह ढाबरिया
(४) श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
(५) श्री अभयसिंह
(६) श्री अमरसिंह
(७) श्री चौसरसिंह
(८) श्री रामसहाय
(९) श्री मूलचन्द
(१०) श्री जयनारायण

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने भी इसी आशय के एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दिनांक ९.४.६६ को दी है।

(श्री अध्यक्ष)

ऐसी स्थिति में इस मामले में विचार किया जाना उपयुक्त समझा जाता है। अब प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय राज्यपाल महोदय को व्यवस्था बनाये रखने संबंधी क्या अधिकार हैं। इसका उल्लेख न तो संविधान में है और न विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में। इसके अलावा अब तक इस प्रकार की घटना न तो संसद में हुई है और न किसी राज्य-मंडल में। इन कारणों से यह एक जटिल एवं विवादास्पद मामला हो गया है। अतः मैंने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १६२ के अन्तर्गत उपरोक्त सूचनाओं में उल्लिखित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को इन पर अपनी राय मुझे देने हेतु सुपुर्द किये जाने के आदेश दे दिये हैं।

(करतल–ध्वनि)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Fine. Lovely ! Historical !

(१२.५४ म. प.)

प्राक्कलन समिति के २३ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री मोतीलाल चौधरी (सभापति, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के १९६५–६६ आबकारी विभाग से संबंधित २३ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५

(वापिस लेना)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५ को वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

(१२.५६)

राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६

(पुरःस्थापन)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयको पुनः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

सरकार द्वारा बेचे गये हथियार विषयक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, रूल १२७ के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा जो हथियार बेचे गये वह प्रश्न इस विधान सभा में चर्चा के लिये मैं उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को आर्म्स एक्ट में और कई अन्य कानूनों के अंतर्गत इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि वह ऐसे हथियारों को जब्त करले जिन हथियारों का लाइसेन्स नहीं है, जिन हथियारों से किसी प्रकार का कोई ऑफेन्स कमिट हुआ है, कोर्ट ने आदेश दिया है, या ऐसे हथियार ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके पास रखने से शान्ति भंग होने का खतरा है । इस प्रकार की स्थिति में सरकार लोगों के हथियार जब्त करती है ।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के पास विभिन्न राज्यों से एकीकरण के समय राजस्थान की हकूमत को इन्टिग्रेशन के कारण कई हथियार मिले वे हथियार राजस्थान सरकार के मालखाने में जमा किये हुए थे और काफी मात्रा में ऐसे हथियार राजस्थान सरकार के पास जमा हैं। इन हथियारों के विक्रय के लिये राज्य सरकार ने इस प्रकार का आदेश निकाला कि जिलाधीश और एस. पी. दोनों मिल कर आर्म्स डीलर्स की सलाह लेकर उनके प्राइसेज फिक्स अप करेंगे और उसके बाद उन व्यक्तियों को हथियार बेच दिये जायेंगे जिन्होंने हथियार रखने का लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है ।

सरकार ने इन हथियारों को बेचने के संबंध में १६ नवम्बर, १९६२ को बान इम्पोज कर दिया कि सरकार की इस संबंध में जो पुरानी आज्ञा है उनको निरस्त किया जाता है और साथ ही चीनी आक्रमण के कारण इन हथियारों का इस प्रकार से विक्रय नहीं किया जाय, इस पर रोक लगाई जाती है। इसके बाद सन् ६४ की फरवरी में सरकार ने जो बान इम्पोज कर रखा था उसको वापिस ले लिया । उसका मतलब यह हुआ कि सन् ६२ के नवम्बर से पहले और २४ फरवरी, ६४ के बाद जिलाधीश और एस. पी. को डीलर्स की सलाह से हथियार बेचने का अधिकार था, उन्होंने उनका किस प्रकार उपयोग किया, यह मैं बाद में बताऊंगा । लेकिन यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी की चीज है, चाहे सरकार की हो, चाहे दूसरे व्यक्ति की हो, वह सरकार के अधिकार में आती है तो लोगों की मनोभावना रहती है कि वह चीज अधिक सुरक्षित है । अब अधिक सुरक्षा की भावना केवल इस कारण नहीं है कि सरकारी खजाने में चोरी नहीं हो सकती या मालखाने में चोरी नहीं हो सकती लेकिन लोगों में एक भावना यह भी रहती है कि यदि उन चीजों का विक्रय सरकार के मार्फत होगा तो निश्चित तौर से अच्छी कीमत मिलेगी ।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भारत सरकार के आदेश निकलने से, कुछ वजह से प्रोहिबिटेड बोर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो ऐसे हथियार जिनके पास थे उनको नोटिस दिया कि या तो ६ महीनों में ऐसे व्यक्ति हथियार बेच दें जिनको प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेन्स मिला है या रखने का अधिकार है। यदि ६ महीनों में नहीं बेच पाते तो सरकार के किसी नजदीकी पुलिस थाने में हथियार जमा कराने पड़ेंगे।

(१ म. प.)

दुर्भाग्य से राजस्थान के जागीरदारों, राजस्थान के कई राजा-महाराजा और राजस्थान के कई अधिकारी और सिविलियन ऐसे थे जिनके पास पहले प्रोहिबिटेड बोर थे, लाइसेन्स शुदा थे। जब यह आदेश निकला तो उन लोगों को हथियार जमा कराने को मजबूर होना पड़ा, उन्होंने राजस्थान की हुकूमत के पास वे हथियार जमा करा दिये और इस अन्डरस्टेंडिंग से जमा करा दिये कि इन प्रोहिबिटेड बोर को जब सरकार बेचेगी तो उनको पूरी कीमत मिलेगी। लेकिन सरकार ने छः महीने की अवधि लगा कर इस बात की व्यवस्था कर दी कि उनको किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन न दिया जाय।

इसके अतिरिक्त राजस्थान के मुख्य मंत्री ने, आज ही नहीं, मुझे याद है, आज से तीन वर्ष पहले आदेश निकाला कि जिन व्यक्तियों के पास एक से ज्यादा हथियार हों उन व्यक्तियों को और दूसरे व्यक्तियों को हथियार न दिये जायें तब तक वे यह प्रमाणित न कर दें कि वे हथियार रखने के शौकीन हैं और शौक के कारण हथियारों का अमुक-अमुक तरह से उपयोग करना चाहते हैं जिसमें कि शांति भंग होने का खतरा नहीं हो। जब इस प्रकार का आदेश निकाला तो स्थान स्थान पर जिला अधिकारी ने इस बात की कोशिश की कि लाइसेन्स का रिन्युअल नहीं होगा और कई जागीरदारों से रिन्यूअल की आड़ में हथियार सरकार के पास में जमा करवाये। वे हथियार मालखाने में रखे, गये, वे हथियार या तो इस कारण ले लिये कि एक से ज्यादा नहीं रह सकते, या इसलिए रख दिये कि प्रोहिबिटेड बोर के नाते नहीं रख सकते और बाकी के मुकदमें में जब्त होने के कारण या बिना लाइसेन्स के होने के कारण जमा हो गये। हथियार जमा हो गये।

उसके बाद में सरकार ने सोचा कि इतने हथियार पड़े हुए हैं इनकी क्या व्यवस्था की जाय। फिर सरकार ने आदेश निकाला कि इन हथियारों को बेच दिया जाय। अब बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके लिए कमेटियां बनीं और कमेटियां बन कर प्राइस का फिक्सेशन हुआ और प्राइस फिक्सेशन के आधार पर वे हथियार बेच दिये गए। यह प्रश्न इस विधान सभा में उठाया गया था कि हथियार सस्ती कीमत पर बेच दिये गये हैं तो उस वक्त मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि यह सारा प्राइस फिक्सेशन एक कमेटी के द्वारा हुआ है और उस कमेटी के प्राइस फिक्सेशन के आधार पर यह सब कुछ किया गया है। लेकिन १९६४ के अन्दर जो राज्य सरकार से सर्क्यूलर निकला उसमें राज्य सरकार ने इस बात का आदेश दिया था, जो लास्ट पैरा में लिखा हैं :

"Preference may be given to Government servants to purchase

Page No. 46

(श्री भैरोंसिह)

these fire arms and thereafter to the members of public and arms dealers who have got valid licence. If they are required to be auctioned only the licence holders may be allowed to bid."

उस समय सरकार के दिमाग में यह पोजीशन थी कि किसी प्रकार से अगर पूरी कीमत नहीं आती है, कम कीमत आती है तो उनको ऑक्शन करके बेचा जायगा और उसमें यह शर्त लगा दी थी कि ऑक्शन उन व्यक्तियों में होगा जिनके पास आर्म्स पर्चेज करने का लाइसेन्स है। यह १९६४ की बात है।

तब उस समय यह स्वीकार किया, इस सर्क्यूलर में लिखा है :-

"........by a Committee consisting of the District Magistrate and Superintendent of Police of the district concerned in consultation with the local arms dealer, keeping in view the present market prices of fire arms which are very high in these days."

१९६४ की फरवरी में सरकार ने स्वीकार किया, इन हथियारों की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह तो आपको और सदन को मालूम है कि हथियारों की कीमत में कभी भी कोई कमी नहीं आई। १९४७ के बाद से अगर विचार करें तो १९४७ के अन्दर जिस समय हिन्दू-मुस्लिम रॉइट्स चल रहे थे उस समय हथियारों की कीमत आसमान छू रही थी। उसके बाद में भी हथियारों की कीमत में कमी नहीं हुई, पर १९६२ में जब चीन ने हिन्दुस्तान के ऊपर आक्रमण किया उस समय हथियारों की कीमत उस लेवल पर नहीं आई थी जिस लेवल पर १९४७ के अन्दर थी। लेकिन यदि युद्ध आगे चलता तो उस समय भी उस लेवल तक पहुंच जाती। इसके बाद में १९६५ के अन्दर जिस समय पाकिस्तान ने कच्छ पर आक्रमण किया उस समय हथियार की कीमत हिन्दुस्तान के सीमावर्ती प्रदेशों में, कच्छ के आस-पास, बाड़मेर, पंजाब, वगैरह में आसमान को छूने लगी। वह कीमत, मैं आज भी कह सकता हूं कि १९४७ की कीमतों से कम नहीं रह सकती बल्कि १९४७ के बाद में कीमतों में जिस प्रकार ऊंचाई आई वह कभी नहीं गिरी है, आज तक नहीं गिरी है। इसके प्रमाण स्वरूप मैं राज्य के टेन्डर नोटिस और टेन्डर नोटिस के बाद में आई हुई रेट्स को मैं सदन में रख देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, १९६० के अन्दर टेन्डर इन्वाइट किये गये, जब टेन्डर इन्वाइट किये गये तो सरकार की ओर से जो टेन्डर नोटिस प्रकाशित किया गया, उस प्रकाशित किये गये टेन्डर नोटिस में जो हथियार बताये गये हैं वह हैं ५२७ गन १२ बोर डबल बैरल, ८२ राइफल्स ६, ५ और ७ एम० एम० और बाकी की कारतूस। ५२७ गन १२ बोर डबल बैरल १९६० में सरकार बेचना चाहती थी, उसकी रेट्स आई हैं, जो टेन्डर में क्वोट की गई हैं, ५२७ गन १२ बोर डबल बैरल प्रति गन के ३२५ और दो गन के ३५०, सौ के मिलते हैं ३७५, पचास के मिलते हैं ४०० और पच्चीस के मिलते हैं ५००-यह मिलने को तैयार हैं और दस बन्दूक के मिलते हैं वह प्रति बन्दूक के ६०० देने को तैयार है। १९६० के गन के टेन्डर को डील करने के बाद जो बाकी के हथियार हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

जैसा मैंने बताया ५-६ एम० एम० और ७ एम. एम । इनके जो टेन्डर आये उसमें जो रेट्स आई हैं, ४२ राइफल के सौ प्रति राइफल, पचास के डेढ़ प्रति राइफल, साठ के प्रति दो सौ के हिसाब से । जो रेट्स १९६० के अन्दर १२ बोर गन्स की गई हैं और जो राइफल्स के ५-६ एम० एम० और ७ एम. एम. की कोट की गई हैं—वह भी कम थीं । इसलिए सरकार ने १९६० के टेन्डर को स्वीकार नहीं किया और यह निर्णय कर लिया कि इनको नहीं बेचा जाय । इसके बाद सरकार ने १९६२ के अन्दर टेन्डर इन्वाइट किये, तब टेन्डर इन्वाइट किये २७५ गन १२ बोर डबल बैरल, राइफल्स चैकोस्लोवेकिया ६, ५और ७ एम. एम. । गन के लिए प्रति आइटम के ऊपर ७०० और दो के ऊपर ८०० कोट की गई हैं। इसी प्रकार ७ एम. एम. के लिए जो १९६२ में रेट कोट की गई है वह की गई हैं १८ पर ४००, १० पर ५००, ५ पर ६०० रुपये प्रति आइटम, तीन पर ६५० प्रति आइटम और एक पर सात सौ । मतलब यह है कि जो कीमत १९६० में बताई गई थी, १९६२ में उससे ज्यादा सौ रुपये देकर खरीदने को तैयार है । इसी तरह से ३०० सेवेज वुड मास्टर एक नम्बर के ऊपर है ६०० और ३२० सेवेज वुड मास्टर आॅटोमेटिक है उसके लिए रेट कोट की गई है ८०० रुपये प्रति आइटम और दो के लिए कोट की गई है ९०० रुपये । मेरा कहने का मतलब यह है कि सन् १९६० में जो टेन्डर्स ने रेट्स कोट की थीं, उनको सरकार ने कम समझा इसलिए उनको बेचा नहीं । इसके बाद में १९६२ में जो टेन्डर इन्वाइट किये गये तब १९६२ में १९६० के मुकाबले में ज्यादा रेट्स कोट की गई और उसके आधार पर भी राज्य सरकार ने सोचा कि रेट्स कम हैं इसलिए उन हथियारों को बेचा नहीं । लेकिन अब उन हथियारों को सरकार ने किस हिसाब से बेचा है—यह मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार एक तरफ यह कह कर चलती है कि हमारे यहां पर हथियारों की कमी है और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्य मंत्री यह अपील करते हैं कि इस समय चीन-पाकिस्तान से हिन्दुस्तान का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध के समय चूंकि बोर्डर के ऊपर लोगों को हथियार वितरित करने हैं, लोगों को हथियार बांटने हैं, इसलिए लोग नेशनल डिफेन्स फंड के नाम पर, डिफेन्स पर्पज के नाम पर हथियार डोनेट करें। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने पिछली बार अपील निकाली थी और पर्सनली भी लोगों को कहा था कि हमें हथियार दिये जायं। मैं आप को कहता हूँ कि हथियार आये कहां से, इसके पीछे एक राज है। मैं युद्ध के समय गंगानगर और बाड़मेर गया था, और गंगानगर के करणपुरा और सीमावर्ती गांव नग्गी वगैरह में भी गया था । वहां पर एक एक गांव के तेरह-चौदह व्यक्तियों के हथियार जब्त कर दिए गये हैं वे सब प्रोहिबिटेड बोर नहीं थे, उनमें दो-तीन प्रोहिबिटेड बोर जरूर थे । लेकिन सीमा के ऊपर आज प्रोहिबिटेड बोर के कानून के अन्दर परिवर्तन किया जा सकता था । आप यह मान कर चलें कि लोग सीमा पर बैठे हैं, उनके वहां पर खेत भी हैं, उनकी और

Page No. 48

(श्री भैरोंसिंह)

खेतों की सुरक्षा की दृष्टि से आप प्रोहिबिटेड बोर के कानून में परिवर्तन कर सकते थे । लेकिन राजस्थान की सरकार ने वह नहीं किया और उसके विपरित लोगों के हथियार जब्त कर लिये । इसका परिणाम निकला, बाड़मेर और गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र में कई बार–यह सही है कि गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र के अन्दर पाकिस्तानी घुस नहीं सके लेकिन यह बात भी सही है कि हिन्दूमल कोट से लेकर नग्गी तक सीमा पार करके अन्दर घुसने की पाकिस्तानियों ने कोशिश की थी । और क्योंकि लोगों के पास हथियार नहीं थे इसलिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर निकट के इलाकों में भाग गये । यदि उनके पास में हथियार होते तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की सरकार सीमा–सुरक्षा के प्रश्न को लेकर भी दर-गुरेज करती रही है । इस सरकार को यह ज्ञान नहीं रहा कि सीमा पर बसे हुए लोगों के लिए हथियार बहुत आवश्यक हैं यदि हथियार उनके पास नहीं हों तो सरकार को चाहिये कि उनको हथियार देती और उनको हथियार चलाने की शिक्षा देकर उनको हथियारों के लिये लोन देकर, उनको हथियार दिलाती और वहां के लोगों को इस बात के लिये तैयार करती कि वे लोन लेकर हथियार खरीदें । लेकिन हमारी सरकार के लिये उनको हथियार देने के लिये लोन देने का प्रश्न नहीं उठता, हमारी सरकार ने जो भी हथियार वहां के लोगों के पास थे उनको भी जब्त कर लिये और वे क्यों ? वे इसलिये कि वे स्मगलिंग करते हैं । आज मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों के आपने हथियार छीनें हैं उन लोगों में से दो पर्सेन्ट से ज्यादा व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे जो इस प्रकार स्मगलिंग करते हों । ७ या ८ आदमी हो सकते हैं । मैंने जिन लोगों को चिट्ठियां लिखी हैं उन लोगों ने इसके लिये कन्टेक्ट किया है तो उन्होंने मुझे लिखा है । जिन बातों का इल्जाम लगा कर उनसे हथियार छीने गये हैं वे यह हैं कि वे कभी डाकुओं को मदद देते है । इनके लिये अदालत में वे लोग बरी हुए और उन पर कोई इल्जाम नहीं । मगर फिर भी उनके हथियार छीन गये । बाकी के सभी लोगों के हथियार छीने गये, क्या वे स्मगलिंग ही करते होंगे । मगर मैं यह विवेदन करूंगा कि हमें एक प्रश्न पर विचार करना होगा । आज हिन्दुस्तान में और किसी भी मुल्क में आप चले जावें; पाकिस्तान में ही चले जावें । पाकिस्तान के बोर्डर पर भी लोग रहते होंगे । वे लोग भी स्मगलिंग करते होंगे । लेकिन पाकिस्तान ने तो सीमावर्ती इलाके पर वहां के लोगों के हथियार यह कह कर नहीं छीने कि वे डाका डालते हैं और स्मगलिंग करते है । क्या पाकिस्तान के लोंग ऐसा नहीं करते, क्या वे डाके नहीं डालते हैं ? ऐसी बात नहीं है कि वहां पर कोई स्मगलिंग नहीं होता होगा । स्मगलिंग होता होगा, डाके भी होते होंगे । मैं यह कहूंगा कि यह उनसे हथियार छीनने का एक मात्र कारण है । इसके विपरीत सीमावर्ती क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को पाकिस्तान ने हथियार चलाने की शिक्षा दी और उनको हथियार दिये और जब युद्ध चल रहा था अपने लोगों के पास सीमा पर रहने वालों के हथियार छीने गये । उस समय पाकिस्तान की तरफ से उनकी सीमा में रहने वालों लोगों को

Page No. 49

(श्री भैरोंसिह)

कारतूस और हथियार बांटे गये। और संपूर्ण वहां की जनता को हथियार चलाने की शिक्षा दीं। मगर हमारे यहां पर दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां पर बोर्डर के रहने वाले लोग अपने जेवर बेच कर हथियार लाते हैं तो राजस्थान सरकार उनके हथियारों को जब्त कर लेती है।

(विराम)

मैं यह कहूंगा कि राजस्थान का नाम हिन्दुस्तान और अन्य देशों में यदि किसी कारण से नीचा हुआ है तो आपकी इस प्रकार की इनएफिशियेन्सी के कारण नीचा हुआ है। यदि युद्ध-विराम के बाद में पाकिस्तान ने यहां की धरती पर पैर रखा है और राजस्थान की धरती को अपने पैर रख कर अपवित्र किया है, राजस्थान के नाम को धब्बा लगाया है। यह एक बहुत बड़ा कलंक राजस्थान के लगा है इस सब की जिम्मेदारी राजस्थान की हकूमत पर है कि आपने उनसे हथियार छीन लिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने उन हथियारों को उनसे छीन कर किसी अच्छे काम के लिये उपयोग किया हो तो हमें कुछ एतराज नहीं था। आपने उसको देश की रक्षा के लिये काम में लिया होता तो भी कोई बात थी, आप उनको होम गार्ड को देते तो भी कुछ उपयोग होता।

श्री **फतहसिंह (चौहटन)** : होम गार्ड तो हमारे यहां से तोड़ दी गई है।

श्री **भैरोंसिह** : यह तो हमें मालूम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप उन हथियारों को होम गार्ड को देते तो भी हमें यह तसल्ली होती, अगर ये हथियार आर. ए. सी. को दिये जाते या उन लोगों को दिये जाते जो मोर्चे पर थे जिनके पास अच्छी बन्दूकें नहीं भी थीं तो उनके काम आते, उन स्थानों पर जहां ४१० मस्केट बोर के अलावा और कुछ नहीं है उनको देते, अगर आप एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को देते जो शराब बन्दी की कार्यवाही कर रहे हैं या हम उन्हें किसी सरकारी काम में उपयोग में लेते. या सरकार के खजाने में जमा होती तो भी हम समझते कि उनका सदुपयोग हुआ है। सरकारी खजाने की संपत्ति पर सब का अधिकार है।

वे हथियार कहां पर गये ?

मैं वह आपको बाद में बताऊंगा। यह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से राजस्थान में आई. ए. एस. जिलाधीश, आर. पी. एस. और आर. ए. एस. आदि अधिकारियों ने हथियार छीने और अपने नाम पर हथियार किस प्रकार कराये, यह सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं पहले १२ और डबल बैरल गन को जिसकी कीमत ६५०) रु० से लेकर २५००) तक अलग अलग मेक की है।

एक माननीय सदस्य : अब उसकी कीमत चार हजार तक पहुंच गई है।

श्री भैरोंसिह : अब आप कहते हैं कि ४ हजार तक पहुंच गई है। मैंने यह आंकड़े चार महीने पहले तैयार किये हैं। उस समय ६५० से लेकर २५००) रु० तक थी। हिन्दुस्तान के मशहूर आर्म्स डीलर्स हैं उनसे मैंने दरियाफ्त किया था।

(श्री भैरोंसिंह)

(१) दिल्ली गन हाउस, काश्मीरी गेट।

(२) शक्ति आर्म्स कॉर्पोरेशन। जो हिन्दुस्तान में काफी आर्म के डीलर्स हैं और डील करते हैं, वे आर्मस खरीदते और बेचते हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे जब यह बताया तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इस प्रकार की सस्ती कीमतों पर हथियार दिये गये।

मैंने सब लिस्ट तैयार की है। मैं आपको बताता हूं। १२ बोर डबल बेरल गन ६८ बेची ६,३३६ में। जबकि एक की कीमत ९५०) रु० से २५००) रु० तक है।

इसी प्रकार १२ बोर सिंगल बेरल गन २१३ बेची, १५१४३) रु० में यानि एक गन ५५) रु० में जब कि उसकी कीमत ८५०) से १५०० तक है। इसी प्रकार १२ बोर की पीटर गन बेची जब की उसकी कीमत १२००) रु० है २०६) में। इसी प्रकार ६.५ एम. एम. और ७ ए. एम. गन्स बेची ४७०) में जबकि उसकी एक की कीमत १६००) रु० से भी अधिक है। अभी मैंने एक महीने पहले बोर्डर जिले के किसी व्यक्ति को ७ एम. एम. गन दिलाई थी उसने १७००) रु० में दी और उस पर भी उसने हमारे पर बड़ा अहसान किया हो, इस तरह से दी उसने कहा कि आप साथ आए इसलिये १७००) में देता हूं। आज आपने ९ एम. एम. की राइफल को ९७) रु. में निकाली है ३७५ बोर मेगजिन राइफल १०७) रु० में बेची है जिसकी कीमत १५००) से कम नहीं है। जिसको आपने ९५ में बेची उसकी कीमत १६५०) है इस प्रकार गन्स की फरोख्त में बड़ी गड़बड़ी की गई है। इसकी एक बहुत लम्बी लिस्ट है। मैं उसको सदन की मेज पर रखूंगा। सरकार और माननीय सदस्यों को जिससे इसकी जानकारी हो सके। इसलिये मैं इसको सदन की मेज पर रखूंगा। एक बन्दूक ३७५ डबल बेरल वह पुलिस में काम आती है आज के दिन उसकी कीमत ४०००) है उसको आपने बेची है १३४) रु० में। (विराम) और उनको किसने ली है यह मैं अभी नहीं बता कर आपको बाद में बताऊंगा।

आज हमारे मुख्य मन्त्री जी यह कह सकते हैं कि हमें इस प्रकार के आर्म्स के मामलों में जानकारी नहीं। हम इन मामलों में समझते नहीं कि किस प्रकार के हथियार हैं, उनका क्या बोर होता है? क्या नम्बर होता है? मैं आपसे कहूँगा कि उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि वे इसको समझें। वे अगर नहीं समझते तो हैं उनको चाहिये कि जो लोग हथियारों के एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली जाती। आज वे यह जवाब दे सकते हैं कि हमने आर्म्स के डीलर्स थे उनसे इस मामले में राय ली। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी उन आर्म्स डीलर्स से बात चीत हुई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं होती कि जब कलेक्टर और सुप्रिन्टेन्डेंट पुलिस किसी बात के लिये कहें और हम उसमें कुछ गड़बड़ करें। हमारी हिम्मत नहीं कि हम उनसे झगड़ा करें। कलेक्टर और पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट अगर यह कहदें कि इसकी कीमत १५) रु० लिख दो तो हम १५) लिख देंगे या वे कहेंगे कि

(श्री भैरोंसिंह)

२०) लिख दो तो हमें तो वही लिखनी पड़ती है। अगर हम उनके कहने के अनुसार नहीं लिखते हैं तो फिर हम वहां पर कैसे काम कर सकते है? क्योंकि चैकिंग और रिन्युअल ऑफ लाइसेन्स आदि के सारे पावर्स तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मेस्ट्रिट के हाथ में ही होते हैं। अगर हम उनका कहना नहीं मानें तो हमारा लाइसेन्स जब्त करा सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार से आपने उन डीलर्स से लिखवाया है। मैं यह कहूँगा कि इस अवसर का फायदा उन आर्म्स डीलर्स ने भी उठाया। उन्होंने भी देशी बन्दूकें इस अवसर पर ६) ६) रू० में खरीदीं जिनकी कीमत आज २२) रु० है और २२) रु० में लोगों को वे बन्दूकें दी गई हैं। ऐसी हालत में जो हथियार बेचे गये उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं रिवाल्वर की जानकारी देना चाहता हूं। अजब तमाशा बनाया है। आज २१ बोर की राइफल २१) रु० में ३२ बोर की ३६) रु० में। जबकि आज ३२ बोर की राइफल की कीमत २०००) रु० है। ३८ बोर की कीमत २०००) से ऊपर है। आज ३० बोर की राइफल जिसकी कीमत लोग तीन हजार और चार हजार के बीच में देने को तैयार हैं और ३० बोर जो टोमी गन, स्टेनगन का काम करती है आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह कितने में बेची गई। वह सिर्फ ६१) रु० में। ये आइटम बिक गये और कई देशी बन्दूकें इस प्रकार से निकाल दी गईं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ५३२ गन ३५) रु० में रिवोल्वर पिस्टल ६५) रु० में, २०१ मजल लोडिंग गन्स ३२३ रु० में, इस प्रकार ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों को हमारी सरकार ने बेचे हैं। बेचने में सरकारी अधिकारियों ने निश्चित रूप से और प्रकट रूप से जितना मुनाफा कमाया जा सकता था वह कमाया। किन किन व्यक्तियों ने हथियार खरीदे, नामों में मैं नहीं जाना चाहूं तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं बचा जिसके मालखाने में हथियार थे और उसने ये हथियार नहीं खरीदे हों, कोई एस. पी. नहीं बचा जिसके मालखाने में हथियार थे और नहीं खरीदा हो। सबसे ज्यादा बिक्री हुई गंगानगर में जहां चपरासी से लेकर आर्म्स डीलिंग क्लर्क ने हथियार खरीदे। एस. डी. एम., ए. डी. एम. और कलेक्टर थे सबने ये हथियार खरीदे। श्री आर. के चतुर्वेदी कलेक्टर थे, आज रेवेन्यू बोर्ड के चैअरमेन हैं, उन्होंने अपने नाम हथियार खरीदे, अपने दो बेटों के नाम हथियार खरीदे।

श्री चम्पालाल कोचर कलेक्टर थे, उन्होंने अपने नाम, अपने चपरासी के नाम हथियार खरीदे। अध्यक्ष महोदय, मैंने गिनती की है १८ कलेक्टर ऐसे हैं जो कलेक्टर की पोस्ट पर थे या कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट पर थे, उन्होंने कमेटी को कह कर हथियार खरीदे, ५६-५७ डी. एस. पी., एस. पी. हैं जिन्होंने हथियार खरीदे, कइयों ने अपनी बीबियों के नाम से हथियार खरीदे, कइयों ने अपने बच्चों के नाम से हथियार खरीदे। डी. आई. जी. दत्ता ने तो न जाने कितने हथियार खरीदे। जब कि सरकार की तरफ से सर्कूलर निकला था उसमें यह था कि एक व्यक्ति को एक ही हथियार दिया जायेगा जिसके

(श्री भैरोंसिंह)

पास कि कोई दूसरा वेपन न हो । इस दूसरे वेपन की शर्त से निकलने के लिये इन अधिकारियों ने अपनी बीबियों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से और चपरासियों के नाम से हथियार खरीदे। जहां इन हथियारों की कीमत सरकार को ५ लाख रुपया मिलती वहां केवल ४३ हजार में ही बेच दिये गये।

(विराम)

आज इस हुकूमत से कोई पूछे कि लोगों से हथियार जब्त कर लिये और उनकी इस प्रकार लूट क्यों करवा दी ? अगर सीमा सुरक्षा का प्रश्न आता है तो मुख्य मंत्री ने लोगों से अपील की थी कि जिनके पास हथियार हों वे सरकार के पास जमा करा दें सरकार ने कानून बनाया, गजट में नोटिफिकेशन हुआ, सरकार ने सितम्बर २२, सन १९६५ में अधिकार लिये हैं, सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला। अधिकार लिये हैं कि सरकार किसी डीलर को हथियार बेचने का आदेश दे सकती है और कीमत तय कर सकती है। आखिर इतनी चीजें बिक गई, क्या सरकार के मुख्य मंत्री मुफ्त के अन्दर १५००) रु० माहवार तनख्वाह लेते हैं कि आई. जी. पी. निकम्मा होकर अपने नीचे मालखानों में सारे गरीब जनता के हथियारों की लूट करवाता है ? आज यह इस सरकार का निकम्मापन है, आज यह मुख्य मंत्रीजी आपका निकम्मापन है, आपके एड्मिनिस्ट्रेशन का निकम्मापन है कि जनता ने जो जीवन रक्षा के लिये हथियार खरीदे थे, उनकी इस प्रकार लूट होती है। खेद तो तब होता है कि मुख्य मंत्रीजी को कई दिनों पहले लिख कर दिया, जो हो उसके लिये एक्शन लेने को तैयार नहीं, आगे के लिये एक्शन लेने का कहते हैं।

जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला उसमें यह लिखा कि गवर्नमेंट सेंक्शन नहीं करेगी तब तक सेल सही नहीं मानी जायगी, सरकार बताये कि सरकार ने सेंक्शन दी है क्या ? मेरी जानकारी के अनुसार कोई सेंक्शन सरकार द्वारा नहीं दी। अगर सेंक्शन नहीं दी तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जिन्होंने सेंक्शन दी और मामले की अहमियत को नहीं समझा। इन दोनों प्रश्नों के ऊपर सरकार का ढीलापन, सरकार का मौन। सरकार कहती है कि शस्त्र बेचे।

पिछले दिनों जब इस पर चर्चा की थी तो कई व्यक्तियों ने कहा कि ये आर्म्स अनसर्विसेबल थे। पर मैंने अनसर्विसेबल के प्रश्न पर आर्म्स के एक्स्पर्ट्स की राय ली, अर्म्स डीलर्स की राय ली है उन्होंने कहा कि अगर कोई आर्म अनसर्विसेबल है तो वह लोहे के भाव बिकेगा। अगर किसी आर्म की रिपेअर हो सकती है तो रिपेअर की कॉस्ट १०० रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती। अनसर्विसेबल आर्म्स थे और उनको बीस, बीस पच्चीस पच्चीस में खरीदा है उस लोहे को, कोई पूर्ण नहीं हो सकता कि आर्म्स के रूप में लोहे को खरीदे, इससे कम कीमत में तो वह सीधे लोहा खरीद सकता है। जो सरकार अगर मानकर चले कि कई सर्विसेबल हैं तो उनसे बिल

(श्री भैरोंसिंह)

मंगवाये कि उन्होंने उनकी कहां रिपेअर्स करवाई ? कहीं रिपेअर्स नहीं करवाई, इनकी रिपेयर्स पुलिस लाइन्स में करवाई हैं, वह खर्चा भी हमारे ऊपर, जो उनमें और आइटम्स लगाने थे वे हमारे खर्चे से लगे सस्ते आर्म्स खरीद कर जो उनमें कमी थी, उसको पुलिस लाइन्स से पूरी करा दी। अगर ये लोग मुख्य मंत्रीजी की अपील का आदर करते और इनके पास आकर हथियार जमा करा देते तो भी हम समझते कि वे हथियार सुरक्षा के काम में आये। जनता को मुख्य मंत्रीजी अपील करें तो जनता सुने और न भी सुने पर मातेहत तो इनकी अपील का आदर कर के उन आर्म्स को जमा कराते। पर दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ही ऐसे होंगे कि जिनकी अपील पर किसी ने हथियार जमा नहीं कराये। ऐसे मुख्य मंत्री जनता से अपील करें और कोई हथियार नहीं दे। पर जनता कैसे दे जब कि आपके अधिकारियों ने आपको हथियार नहीं दिये। सरकारी अधिकारियों ने ही नहीं दिये तो जनता से लेने की कोई आशा नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं........

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री भैरोंसिंह : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

इतना ही नहीं इस लूट में लुटने वालों में मेरे रिश्तेदार भी थे। यह नहीं समझें कि मैं उनकी कोई पैरवी कर रहा हूं। जब यह मामला चला तो दुनियां भर के लोगों ने मेरे पास लिख कर भेजा। मेरे मामा खुद एस. पी. थे, उनका ३८ बोर का रिवॉल्वर था, उनकी डैथ हो गई उसी समय वह जमा करा दिया गया। तीन महीने से कोशिश की जा रही है कि वह ३८ बोर रिवॉल्वर कहां है। मेरे ब्रदरइनलॉ डिप्टी डायरेक्टर थे, उनकी जिंदगी के टाइम में ही उनका ३८ बोर रिवॉल्वर उनसे छीन लिया गया। इन दोनों ३८ बोर रिवॉल्वर्स का आज तक पता नहीं। मुझे सूचना मिली है कि वह दोनों हथियार भी बेच दिये गये। उनको सूचना नहीं दी गई। ढेर सारी चिट्ठियां मेरे पास आई हैं कि हमारे हथियार बेच दिये गये और हमें सूचना तक नहीं दी गई है, हमें सूचना नहीं दी गई है कि तुम्हारे हथियार फोरफीट किये गये, कॉन्फिस्केट किये जा रहे हैं।

अन्त में उन अधिकारियों के नाम न लेकर जिन अधिकारियों ने ये आर्म्स खरीदे हैं उनकी लिस्ट सदन की मेज पर रखूंगा, जिस भाव से खरीदे हैं, सदन की मेज पर रखूंगा। मैं सरकार से, सदन से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपका इन्ट्रेस्ट नहीं कि सुखाड़ियाजी ने हथियार खरीद लिये हों, या आपके परिवार के लिये खरीद लिये हों, यह स्वार्थ नहीं। पर इसमें कौनसा स्वार्थ है कि जिन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई से खरीदे गये हथियारों को जनता से लेकर इस प्रकार लुटवाया, जिन लोगों ने नाम मात्र की कीमत पर इन हथियारों को खरीदा, उनको वापिस ऊंची कीमत पर बेचे हैं, मुझे जानकारी है कि ३८ बोर का एक रिवॉल्वर १२ में खरीदा और २२ अक्टोबर १९६५ को १३००) में बेचा। जब सरकारी अधिकारी

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी कमाई से लाभ उठा सकते हैं, उसको बेच कर ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकते हैं तो क्या सरकार रोक लगा कर उनको वापिस नहीं ले सकती, वापिस ले ले और बेचना चाहे तो ऑक्शन करे, आप इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये। आर्म्स के डीलर्स जो लाइसेंस होल्डर्स होंगे वे ऑक्शन में खड़े होकर खरीदेंगे।

दूसरा आर्ग्युमेंट जो इन अधिकारियों ने मुख्य मंत्रीजी के कहने के लिये कह दिया है वह भी मैं बता देना चाहता हूं। यह आड़ ली जा रही है कि हम यह आर्म्स ऐसे अधिकारियों को देना चाहते थे जिनकी कि ड्यूटीज इस प्रकार थीं। उनको हथियार मिलें, यह सैद्धान्तिक प्रश्न है। इसके पीछे पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर, डी० एस० पी० और एस. पी. ज. को उस केटेगरी में शामिल करते हैं तो क्या हम समझते हैं कि एक सब-इन्स्पेक्टर के पास ३८ बोर का रिवाल्वर होता है, एक डी. एस. पी. के पास ३८ बोर का रिवाल्वर होता है। एस. पी. के मकान पर पुलिस का पहरा लगा रहता है और जब भी वह मकान से बाहर निकलता है तो चार चार सिपाहियों की गार्ड, उसके साथ चलती है। सब-इन्स्पेक्टर के थाने के सामने पुलिस की गार्ड रहती है। जब वह बाहर जाता है तो उसके पास ३८ बोर रिवाल्वर उसके साथ ३०३ राइफल्स, ४१० मस्केट बोर राइफल ये तीन तीन, चार–चार तरह के सरकारी वैपन्स सब इन्स्पेक्टर, डी. एस. पी. और एस. पी. लेकर चलते हैं, उनको क्या जरूरत है? वहां हथियारों की कीमत कहां से आ गई? और पुलिस के लोगों को किस प्रकार से किस कैटेगरी में शामिल किया कि केवल उन्हीं लोगों को दिया जायगा जैसे आर्म्स डीलर्स, पुलिस के रिज़र्व इन्सपेक्टर्स, पुलिस लाइन्स के रिजर्व इन्सपेक्टर्स, जिस स्थान का डीवाई०एस०पी० हो, जिस स्थान का एस० पी० हो, जिस स्थान का कलेक्टर हो, सब लोगों ने सारे हथियारों को खरीद कर ऐसी स्थिति पैदा की? हथियारों के मामले में जनता का सरकार में विश्वास नहीं है इसलिए मुख्यमंत्री इस हिसाब को लेकर नहीं चलें कि कोई इन्क्वायरी शुरू कर दी तो बहुत से कलेक्टर्स, आइ०पी०एस० ऑफीसर्स, डीवाई०एस०पीज० फंस जायेंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि इनकी जगह नहीं भरी जा सकेगी। हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कलेक्टर, एस०पी० बन सकते हैं ५ की जगह १०० आते हैं, उन लोगों से भी अधिक एक्सट्रा-आर्डिनरी इंटेलीजेंट आते हैं। आप उनको निकालें नहीं; लेकिन वार्निंग तो दें, सेन्सर तो करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय कि सरकारी अधिकारियों पर जो विश्वास किया जाता है वे उसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं करेंगे।

इसी निवेदन के साथ मैं भाषण समाप्त करते हुए सरकार से अपील करता हूँ कि इस मामले में राजस्थान के हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के आधीन एन्क्वायरी करवाएं ताकि जिन लोगों ने गलती की है उनको दंड मिले, जिन लोगों के हथियार जब्त किए उनको मुआवजा मिले और जो सस्ते चले गए हैं वे वापस आकर खजाने में जमा हो जायं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पहले भी एक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बार सदन में वाद-विवाद हो चुका है और आज इस प्रश्न पर जो अभी चर्चा की गई उसको पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा के संबंध में हथियारों को देना या उनसे लेना और उसकी वजह से वहां पर असर पड़ा, इन प्रश्नों को भी जोड़ दिया गया। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदस्य स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि नग्गी गंगानगर बोर्डर पर है और वहां के कुछ लोगों के हथियार जब्त करने की बात कही जाती है लेकिन सारे हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के संघर्ष में गंगानगर जिले में एक इंच जमीन पर भी सीज़ फायर के बाद या सीज़ फायर से पहले, पाकिस्तान अपना क़दम भी नहीं रख पाया था इसलिए इन हथियारों के साथ पाकिस्तान की गतिविधियों या दूसरी बातों को जोड़ना उचित नहीं होगा।

यहां पर इस सदन में कई बार इस सवाल को उठाया जाता है कि हमारी सीमा पर जो कुछ हुआ उस बारे में हथियार न होने से या अमुक बात से हमारी सरकार झुकी और दूसरी बातें कही जाती हैं। मैं किसी भावावेश में आकर नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सीमा की जो परिस्थितियां हैं, जो मुश्किलें हमारे सामने थीं; उन सारी बातों पर गौर करके गंभीरता के साथ, निश्चिन्तता के साथ सारी बातों पर विचार करेंगे तो यह निश्चित तौर से मानना होगा कि हमारी सीमा पर उन परिस्थितियों में जो कुछ सरकार कर सकती थी ज्यादा से ज्यादा सीमा की सुरक्षा के लिए किया गया है और उसकी सुरक्षा के लिए........

श्री भैरोंसिंह : इस बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हमने नहीं किया, हमने किया है; लेकिन जैसे आप बता रहे हैं परिस्थितियां, तो ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुईं; इसकी जिम्मेदारी किन पर है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इन चर्चाओं के अन्दर विस्तार में, जैसे मैंने निवेदन किया, पड़ूं तो उपयुक्त नहीं होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हथियारों के संबंध में भी यहां कहा जाता है और इस प्रकार का असर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि जैसे सीमाओं पर हथियार सरकार ने ले लिए इसकी वजह से सीमा की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, उसकी तादाद देना आवश्यक नहीं। हथियारों के बारे में जो सहूलियतें और दूसरी बातें की गईं उनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन माननीय सदस्य स्वयं औरों से कुछ ज्यादा जानते हैं कि उस अवसर पर सीमा पर हथियारों के बारे में आम लोगों के लिए सहूलियतें पैदा करके कार्यवाही की गई है। वह सब जानते हैं, उसके विस्तार में जाना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन अगर उन हथियारों के लिए, जो कुछ वहां पर हैं या सरकार के जरिए दिए गए हैं अगर वहां के जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कर्मचारियों को इस बात का ख्याल हो कि वहां उन हथियारों की वजह से वहां की लॉ एण्ड आॅर्डर स्थिति पर असर पड़ सकता है या उनका दुरुपयोग हो सकता है। तो मैं उनको इस बात से नहीं रोक सकता कि वे जब्त न करें। वहां लॉ और आॅर्डर की जिम्मेदारी उन पर है, इसलिए उस जिम्मेदारी को उन्हें निभाना होगा और ऐसी हालत में अगर कहीं कार्यवाही करनी पड़ी हो तो इस वजह से नहीं की

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गई है कि सीमा की सुरक्षा को कमजोर करना चाहते हैं या उसके पीछे और कोई मन्शा है ।

इस सदन में पाकिस्तान के संघर्ष, चीन के संघर्ष को और मेरी अपील पर हमारे राजस्थान के बहुत से महानुभावों ने जो शस्त्रों के मामले में सरकार को शस्त्र देकर मदद की और उसका ऐसा असर डालने का प्रयत्न किया जाता है कि जैसे उन शस्त्रों को सबको हमने सस्ती कीमतों के अन्दर दूसरों को बेचकर और जो उन लोगों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की उसका दुरुपयोग किया । मैंने पिछली बार भी सदन में निवेदन किया था कि चीन के आक्रमण के बाद, जितनी तादाद सैकड़ों की गिनाई जाती है, तो मुझे यही कहना है कि चीनी आक्रमण के बाद कुल राजस्थान में जो शस्त्र दिए गए उनकी तादाद ३६ है और ३६ के अन्दर भी ज्यादा से ज्यादा गंगानगर जिले के अन्दर दिए गये हैं, ये कुल मिलाकर ३६ की तादाद होती है । उस तादाद के साथ जिन लोगों ने सरकार को इस अवसर पर मदद की, अगर हम इस भावना को पैदा कर रहे हैं कि जो सैकड़ों की तादाद में मदद की वे सब हथियार और दृष्टि से दे दिए गये, तो उनके दिलों पर एक ओर कहीं उल्टा असर हो तो चीन के आक्रमण से लगाकर आज तक जो हथियार कुल मिलाकर दिये गये वे ३६ हैं । इसलिये इस सम्बन्ध में यह भ्रम नहीं होना चाहियें कि उन्होंने जो कुछ मदद की उसका दुरुपयोग किया गया हो ।

यह बात खास तौर से उठाई गई कि जो हथियार मालखाने में थे, इन्टीग्रेशन के समय या उसके बाद में, उनको सस्ती कीमतों पर बेच दिया गया । जब यह प्रश्न इस सदन में आया और खास तौर से इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया कि जिन लोगों ने हथियार खरीदे हैं वे उन हथियारों को बेचकर अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं तो मैंने इस संबंध में इस बात के आदेश जारी किए कि जिन लोगों को हथियार दिए गए हैं उनमें से किन किन के पास हथियार आज के दिन भी मौजूद हैं और अगर किसी ने बेच दिए हों तो एन्क्वायरी करके तुरन्त रिपोर्ट मांगी जाय जिससे कि ऐसे केसेज स्पष्ट हो सकें कि लेकर उन्होंने बेच दिया और बेचने के अन्दर मुनाफा कमाने की दृष्टि से सारा काम किया एक सर्कूलर भी जारी किया कि इस एन्क्वायरी के बीच वे और कहीं हथियार न बेच दें तो आगे इन हथियारों का ट्रान्सफर न कर सकें, उस बारे में सारी जगह हिदायतें भेजी गई कि भविष्य में जो हथियार इस प्रकार से बेचे गये हैं उनका ट्रान्सफर बिलकुल न हो इसका एहतियात बरता जाय ।

और जगह से जानकारी प्राप्त करने में ज्यादा देर लगने का सवाल है लेकिन मैंने जयपुर जिले की जानकारी की कि आखिर कौनसा तरीका उन्होंने अपनाया और क्यों सारी शिकायतें पैदा हुई या उनके अन्दर सत्यता हो सकती है, मैंने उसको जानने की कोशिश की ।

मुझे यह बताया गया है कि जयपुर जिले में जो हथियार यहां पर थे उसके लिए कलेक्टर एस. पी. और डीलर को बुलाकर उन हथियारों की कीमत तय कर दी गई । मान लिजिये सौ थे, दो सौ थे उनकी कीमत तय कर दी गई और हर हथियार पर उसकी

Page No. 57

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कीमत लगा दी गई थी। सामने कौन खरीदने वाला है, उस व्यक्ति के आने पर हथियार की क्या कीमत हो वह बात होती तो जो यहां यह बात कही जाती है उसमें काफी गुन्जाइश हो सकती थी। लेकिन पहले कीमत तय कर दी गई और उनको उस कीमत पर ही हथियार दिये गए।

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (अपनाभाषण जारी रखते हुए) सारे जिलों की जानकारी मुझे नहीं है मैं उन पर नहीं कह सकता। जिन सक्यूंलर के तहत हमनेउ न हथियारों को लिया था और जो लेकर दिये थे उसके विषय में यहां बहस उठाई जाती है। उनकी कीमत के बारे में और चीजों के बारे में, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं स्वयम् यह नहीं चाहता कि इस प्रकार की स्थिति में किसी प्रकार का भ्रम और किसी प्रकार की गलतफहमी माननीय सदस्यों को रहे या किसी का बचाव करने की दृष्टि से यहां पर दलील देकर चलना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने और दूसरों ने कहा और उसके साथ-साथ जो बातें यहां सामने आयीं उन सारी बातों को देखते हुए माननीय अध्यक्षजी, मैं उपयुक्त समझता हूँ मेरे खुद के संतोष के लिये और उन अफसरों की दृष्टि से भी जो उन्होंने कार्यवाही की है उनके बारे में किसी प्रकार का भ्रम न रहे, मैंने यह निर्णय किया है कि जो आर्म्स उन्होंने दूसरों को एलॉट किये हैं, दिये हैं, उसके अन्दर बदनीयती तो काम नहीं करती थी। उसके लिये मैं इस मेटर को विजिलेन्स कमिश्नर को रेफर कर रहा हूँ जो सारी इन्क्वायरी करके जो मुझे इस बारे में रिपोर्ट भेजें ताकि इस बारे में मेरे पास सारी बात आये तो उस पर सरकार काम कर सके। मैं समझता हूं यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की बात है। उसके लिए जज और दूसरे का अपाइन्टमेंट करने का सवाल नहीं है। मैंने विजिलेंस कमिश्नर की बात इसलिए कही कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी है उसके संबन्ध में वे जांच करके रिपोर्ट करें। हम खुद नहीं चाहते इस बारे में और कोई बात रहे और कोई दुरुपयोग करे और मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य को इससे संतोष होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : विजिलेन्स कमिश्नर को रेफर कर दिया या करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में प्राइस का भी फेक्टर है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने बताया कि उनका इसके पीछे मेला फाइडी इन्टेन्शन था उसमें प्राइस फेक्टर नेचरली आ जाता है, उसके लिए जानकारी करेगा।

राजस्थान कृषि उपज विपणि (वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६६

(विचार–विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान कृषि उपज विपणि वैधकरण उपबन्ध, विधेयक, १९६६

माननीय कृषि मंत्री

Page No. 58

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषि उपज-विपणि (वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:—

(१) **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) :

(२) **श्री गिरधारी लाल व्यास** (आसीन्द) :

(३) **श्री जयकृष्ण शर्मा** (थानागाजी):

(४) **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) :

(५) **श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) :

(६) **श्री मार्तसिंह महार** (आमेर) :

(७) **श्री मान्धातासिंह** (महुआ) :

(८) **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) :

१. "राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन तथा वधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६६ को तीन माह (एक माह) तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

(१) **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) :

(२) **श्री गोविन्द सिंह** (पिंडावा) :

२. "राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन तथा वैधकरण उपबंध) विधेयक १९६६ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में इसी सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स (वेली-डेटिंग प्रोवीजन्स) १९६६ जो इस सदन के समक्ष माननीय कृषि मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए मैंने प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस बात के लिए और सदन से इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि मैं हाउस में अनेक कागजात पास में होने के बावजूद भी इस स्थिति में नहीं हूं कि उन्हें पढ़ कर सुना सकूं, क्योंकि दुर्भाग्यवश कल गवर्नमेन्ट होस्टल में खेलते समय शटल कॉक की मेरे आंख में लग गई थी, इस कारण मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ। फिर भी दो-चार बातें मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन को याद होगा कि जब कि पिछली बार इस सदन में इस प्रश्न पर वाद-विवाद हुआ था आखिर राजस्थान में यह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल जो सदन में प्रस्तुत किया गया है वह किस हेतु से किया गया है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और इस बात पर विचार करें कि किस सीमा तक उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह कानून सफल हुआ यह हमारे सामने एक विचारणीय प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में विभिन्न रायें हो सकती हैं। यह कानून जो सरकार ने पारित किया, यह कानून जो सरकार ने लागू किया, यह कानून जो सरकार द्वारा राजस्थान की अनेक मंडियों में लागू किया गया, यह कितनी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मंडियों में लागू है, उसका क्या परिणाम निकला है, भावों का इस कानून के द्वारा कितना नियन्त्रण हुआ है, मंडियों का क्या फंक्शनिंग है ? उस आधार पर तो माननीय कृषि मंत्रीजी सदन में आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कृषि की बिक्री के संबन्ध में, बाजार में किसान को समुचित दाम मिल सकें उसके लिये व्यवस्था की गई थी और खास कर उस समय में जब अनाज की पैदावार इतनी कम थी किसान को उसकी समुचित कीमत मिल जाय उसका महत्व शायद सरकार ने समझा होगा।

अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं और दूसरे पहलू पर सदन को ले जाना चाहता हूं। पैदावार को बढ़ाना, एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी करने का दृष्टिकोण और किसान को सही कीमत मिल जाय जो इस कानून के पीछे सरकार सहारा लेना चाहती थी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर कार राजस्थान में पिछले तीन साल से अकाल पड़ रहा है। राजस्थान में जहां तक कृषि की पैदावार का संबन्ध है वह घट रही है। वे आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं और सदन के अन्य माननीय सदस्यों के पास भी मौजूद हैं, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि उन आंकड़ों को मैं पढ़ नहीं सकूंगा। सरकार के सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार ने व्हीट के संबन्ध में मैक्सीमम प्राइस कन्ट्रोल ऑर्डर लागू किया। यों तो राज्य सरकार ने खाद्यान्न के नियन्त्रण और नियमन की दृष्टि से कानून बनाये, आदेश जारी किये और उसके बावजूद राजस्थान में खाद्य स्थिति विषम बनती जा रही है। आज भी अध्यक्ष महोदय, कुछ अकाल के कारण, पैदावार में कमी होने के कारण, राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण बीज समय पर उपलब्ध न होने के कारण किसान को समुचित कीमत मिलेगी इसका विश्वास पैदा न कराने के कारण, सरकार के गलत आदेशों के कारण, खाद्य वितरण के संबन्ध में आये दिन नये-नये आदेश निकालने के कारण, खाद्य स्थिति विषम बन रही है। उसको विषम बनाने के लिये राज्य सरकार ने कई आदेश जारी किये हैं। गेहूँ की राज्य सरकार ने अधिकतम कीमत निर्धारित की थी। उस समय भी मंत्री महोदय के ऊपर दबाव डाला गया था कि ६५ पैसे ६४ पैसे पर किलो जो आपने रेट निर्धारित की है वे किस हिसाब से की हैं और आज राजस्थान में किसी मार्केट में ६४ (६५) क्विन्टल के हिसाब से गेहूं कहीं उपलब्ध नहीं है। लेकिन उस वक्त भी राजस्थान की सरकार जिद्द पर अड़ी रही। सस्ता नहीं किया और कृषि कन्ट्रोल ऑर्डर को उन्होंने वापिस नहीं लिया। जिले की खाद्य सलाहकार समिति में प्रस्ताव आया हमने यह कहा कि राज्य सरकार इसको कन्ट्रोल करने में असफल रही है। आप कीमत निर्धारित करें, लेकिन जब तक उपभोक्ता को उन कीमतों पर मुहैया न करादें तो उस का कोई माने नहीं रहता है। राज्य सरकार ने नहीं माना और सदन में यह सवाल खड़ा हुआ जब दुबारा तो राज्य सरकार ने उनको वापिस लिया। अखबारों की कटिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, कृषि मंत्री महोदय को भी मालूम होगा। दूसरे दिन ही, जब पहले दिन उन्होंने उस आदेश को वापिस लिया, ये समाचार आने लगे कि मंडियों में गेहूँ के ढेर लग गये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं पूछना चाहता हूं क्या राजस्थान के अन्दर गेहूं की कमी थी जिससे आपको मेकसिमम भाव निर्धारित करने पड़े थे ? यह बात नहीं थी, क्योंकि जिस समय आपने मेक्सिमम भावों का आॅर्डर हटा दिया उसके दूसरे ही दिन काफी मात्रा में गेहूं बाजार में आगया। जो गेहूं आपके मेक्सिमम आॅर्डर के समय १०० और ११० रुपया प्रति क्विन्टल मिलता था वही गेहूं आपके इस आॅर्डर के हटाने के बाद ८० से लेकर ७३ तक वह आगया। यह उदाहरण मै आपको इसलिये देना चाहता हूं कि या तो आप नियन्त्रण लागू नहीं करें, अगर लागू करते हैं तो आप इसकी समुचित व्यवस्था करें पिछले अनुभव के आधार पर कह सकता हूं राज्य सरकार ने खाद्य वितरण के सम्बन्ध में नियन्त्रण लागू किया फिर भी राजस्थान सरकार राज्य के अन्दर खाद्य वितरण की समस्या को हल करने के अन्दर घोर असफल हुई है। आप राजस्थान में एक तरफ तो खाद्यान्नों की पैदावार नहीं बढ़ा सके, आप राजस्थान मे पर एकड़ यील्ड नहीं बढा सके हमारे यहां राजस्थान में सब से कम यील्ड है। आज राजस्थान में तीन योजनायें समाप्त हो गईं और चौथी योजना चल रही है। इन तीनों योजनाओं में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया उसके बाद भी राजस्थान में एग्रीकलचर प्रोडक्शन गिर रहा है। राजस्थान मे किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित नहीं कर सके हैं।

आज हिन्दुस्तान में विषम खाद्य स्थिति हो रही है। वैसी हालत में यह मार्केटिंग का सवाल कहां से पैदा होता है, यह मानते हुए भी कि मार्केटिंग बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन यह उस समय पैदा होता है जब कि हम राजस्थान में एग्रीकलचर प्रोडक्शन समुचित मात्रा में बढ़ावें एक तरफ मन्डी निर्माण करने जा रहे हैं दूसरी तरफ आप यह चाहते हैं कि किसान को अपनी उपज की सही कीमत मिलें तो जो बातें आप दूसरे के लिये कहते हैं लेकिन आप उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते। राज्य सरकार ने अध्यक्ष महोदय, बफर स्टाक बनाने के लिये फैसला किया है। कहां से खरीद कर बनायेंगे जहां सरप्लस होगा जो डिस्ट्रिक्ट्स सरप्लस होंगे वहां से खरीदकर सरकार बफर स्टाक बनायेगी। आप जिन डिस्ट्रिक्ट्स से खरीद कर रहे हैं, वे हैं कोटा, बून्दी, झालावाड़, चितौड़, जिले की प्रतापगढ़ सब डिस्टिक्ट, वहां से खरीदना चाहते हैं वहां पर आपने रोक लगा दी है कि यहां से मोटा अनाज भी बाहर नहीं जा सकता।

एक तरफ तो सारे हिन्दुस्तान में यह मांग की जा रही है कि खाद्य के क्षेत्र तोड़ दिये जायं और किसान को अपनी उपज की अधिक से अधिक कीमत मिल सके, इसलिये उनके माल को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर खरीदा जाय दूसरी तरफ हमारी सरकार ने अपना बफर स्टॉक बनाने के लिये कीमतों को इतना गिरा दिया है कि किसान जो कि ज्यादा पैदा करना चाहते हैं वे नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि उनका ज्यादा पैदा करना एक प्रकार का कसूर है। क्योंकि उसको बाहर भेजने की तो छूट नहीं है और सरकार कम से कम भाव में लेगी। आखिर आप इस तरह से उनकी उपज के भाव पर गिराते रहे तो क्या परिणाम होगा। इसका नतीजा जो हमारे सामने है वह यह कि जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बाजरा नागौर में ७० रूपया क्विन्टल है, कोटा, बून्दी झालावाड़ में वह चालीस रूपया प्रति क्विन्टल है। क्या कोटा बून्दी झालावाड़ जिले के किसानों ने कोई पाप किया है, क्या ज्यादा पैदा करके पाप किया? उनको क्या पता था कि आप इन्टर जोनल मूवमेन्ट को रोक देंगे। भाव कम कर दिये गये केवल इसलिये कि राज्य सरकार को बफर स्टॉक बनाना है। क्या यही मार्केटिंग का प्रीन्सीपल हैं? आप मंडियों का निर्माण करना चाहते हैं किसान को अपने अनाज का उचित मूल्य मिले तो सरकार को चाहिये कि वह भी अनाज जो बाजार में जो भाव है उसी के अनुसार खरीदे। अगर उसमें नुकसान रहता है तो जिस तरह से खादी पर आप रिबेट देते हैं, सबसिडी देकर उसको पूरा कीजिये। खादी पर आप सबसिडी देते हैं। खादी पहनने वाला कांग्रेसी वर्ग है। बिना खादी पहने उनको चुनाव का टिकट नहीं मिल सकता और चुनाव का टिकट नहीं मिल सकता तो विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता तो मंत्री नहीं हो सकता मंत्री बनने के लिये खादी पहनना आवश्यक हैं और उसी के लिये खादी पर छूट दी जाती है। जनता को टेक्स लगाकर आप खादी पर छूट देते हैं तो क्या आप किसान के लिये उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते?

आज सारे देश मे यह मांग है कि जोनल सिस्टम को खत्म किया जाय आपने जो फूड के जोन्स बना रखे हैं उनको समाप्त किया है इन्टर-डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट के सिलसिले में भी यही मांग करते आ रहे हैं कि जयपुर में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमे खाद्य जोन्स को खतम करने का प्रस्ताव आया था जो पारित भी हो गया अधिकांश सदस्य उसके पक्ष मे थे। उन्होंने सरकार पर यह दबाव डाला था कि खाद्य के जो जोन्स बने हुए हैं उनको समाप्त किया जाय। आज एक तरफ हिन्दुस्तान के हिस्से केरल और बंगाल में लोग भूख से व्याकुल हो रहे है। जहां अनाज की कमी हैं दूसरी तरफ अनाज के इतने कम भाव हैं आखिर इस सब स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है? केरल और बंगाल में जो हिंसक उपद्रव हुए वे सब हिन्दुस्तान के फूड जोन्स का परिणाम है। आज आपने फूड जोन्स की दीवार एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच में खड़ी कर रखी हैं। हिन्दुस्तान एक है वह हम खाद्य के मामले मे महसूस नहीं कर रहें है। आज हिन्दुस्तान को खाद्य के मामले को लेकर टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। खाने के मामले मे भोजन के मामले में आज हम देखते हैं एक जगह काफी मात्रा मे अन्न है तो दूसरी जगह लोगों को अनाज नहीं मिलता। हम हिन्दुस्तान में नेशनल इन्टीग्रेशन की बात करते है। हिन्दुस्तान का नेशनल इन्टीग्रेशन तब तक पूरा नही होगा जब तक राज्यों के बीच में ये फूड जोन्स की दीवारें ढहा दी न जांय। खाद्य के मामले मे सारा हिन्दुस्तान एक है अगर सारा हिन्दुस्तान जीयेगा तो हम जीयेंगे, हिन्दुस्तान मरेगा तो हम मरेंगे। हिन्दुस्तान का कोई भी प्रान्त भूखा रहता है तो वह कष्ट हम सब के लिये है। सब भूखे रहेंगे तो हम भी रहेंगे, सब जीयेंगे तो हम भी जीयेंगे जिन स्टेट्स में जैसे पंजाब उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश में जो खाद्य में आत्म निर्भर है उनको अलग फूड जोन्स बनाकर रखते हैं तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह हमारे लिये शर्म की बात है। आज जो फूड जोन्स के बारे में अपने अपने स्टेट्स को लेकर सोचने का जो तरीका बन गया है वह खेदजनक है। आज फूड के मामले में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में ज्यादा सोचने की आवश्यकता है मार्केटिंग का मामला तो सब के बाद में आता है।

आज जो बिल सदन के सामने विचारार्थ आया है इसका एक मात्र कारण यह है कि मंडियों का नियंत्रण कर सकें। क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, फल सब्जी मंडी बना देंगे तो मन्डियां चलेंगी। पुरानी मंडियां बेकार होंगी तो नयी मंडियां बनाने से क्या लाभ? आज हिन्दुस्तान में यह प्रबल भावना होती जा रही है हमें अपने खर्चे को योजनाओं के खर्चे को कट करना होगा। हिन्दुस्तान का पूरा इनवेस्टमेन्ट चाहे वह पब्लिक सेक्टर का हो चाहे, प्राइवेट सेक्टर का हमे बिल्डिंग में नहीं करना है हम नये बाजारों के निर्माण में नहीं करना है। जो समस्त पूंजी है वह डेवलपमेन्ट सेक्टर में खर्च करनी है। बाजार या मंडी बनाने के लिये नहीं न यार्ड बनाने के लिये कन्स्ट्रक्शन के काम मे नहीं होनी चाहिये। वह सब इनवेस्टमेन्ट हमारी पैदावार को बढ़ाने में होना चाहिये। अगर राजस्थान में मंडियों के निर्माण में सरकार खर्च करे या मंडी कमेटी खर्च करे या कोई डोनर खर्च करे, आखिर वह है तो हिन्दुस्तान की पूंजी मेरा यह निवेदन है कि यार्ड पर खर्च नहीं होना चाहिये। मंडियों पर खर्च नहीं होना चाहिये नये बाजार नहीं बनने चाहिये। आप यदि किसान की बहबूदी चाहते है, राजस्थान की बेहबूदी चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन के कामों को रोक दीजिये। सारा पैसा आप एग्रीकल्चर पर डाइवर्ट कर दीजिये। हो सकता है चार पांच साल तक नये बाजार नहीं बनेंगे, नये मकान नहीं बनेंगे तो कोई चिन्ता नहीं। पांच साल तक हिन्दुस्तान की सारी पूंजी इर्रीगेशन, पॉवर सेक्टर में डाइवर्ट कर दीजिये आप नये बाजार बनाकर मोहम्मद तुगलक की नीति के अनुसार मत चलिये। नया बाजार बनाते जांय और पुराने खत्म करते जाय। दस साल बाद कोई गवर्नमेन्ट आयेगी तो वह आपकी इन मन्डीयों को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की सोचेगी इससे क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा नियन्त्रण लाभ कर देने के कारण राजस्थान के व्यापार का एक नॉर्मल जो चैनल था वह डिस्टर्ब हुआ है। आप इसको रेगुलेट न करें, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह मेरी मान्यता है कि सरकार को जितना पब्लिक इनवेस्टमेन्ट करना है वह प्रॉडक्टिव सेक्टर में करे। नयी-नयी मंडियां बनाना, यार्ड बनाना इसमें काश्तकारों का भी पैसा खर्च होगा। आज की जो विषम आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए यह खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोग्राम की ओर डाइवर्ट होने की आवश्यकता है। और फिर बाजार को किस प्रकार रेगुलेट कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता है।

मैं किसान को उसकी उपज की समुचित कीमत मिले, इस बात का हामी हूँ। किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिले जिससे

(२ म० न०)

वे अपनी जरूरत की चीजें खरीदेंगे, उसकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जेबों में पैसा होगा। मार्केट भी फ्लरिश होगा, पूंजी का विनियोजन होगा, फोरिन करेन्सी आवेगी। यह बिल्कुल प्रिन्सिपल हम मान कर चलते हैं। इसलिये किसान को उसकी पैदावार का ठीक पैसा ठीक कीमत मिलनी चाहिये।

पर इस सरकार की नीतियों के, गलत नीतियों के, आधार पर अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं आज सरकार किसान को उसके प्रोड्यूस का समुचित मूल्य नहीं दे सकती। राजस्थान में किसान को पैदावार बढ़ाने के लिये कोई प्रोत्साहन और इन्सेन्टिव नहीं है। वह आज इस बात से आश्वस्त नहीं है कि अगर वह ज्यादा पैदावार बढ़ावेगा तो उसे उसकी मेहनत का पूरा और ठीक ठीक उचित फल मिलेगा। उसको उसकी प्रोड्यूस का पूरा मूल्य मिलेगा। मार्केट रेट से मिलेगा। आज चूंकि वह इस बारे में आश्वस्त नहीं है, इसलिये राजस्थान का किसान आज अपनी पैदावार नहीं बढ़ा रहा। राजस्थान का किसान आज निराश और अनाश्वस्त होता जा रहा है। राजस्थान के किसान को सरकार ने आज तक कोई प्रेरणा नहीं दी। कोई इरिगेशन चार्जेज में छूट नहीं दी। बेटरमेन्ट लेवी में छूट नहीं दी। लेण्ड रेवेन्यू में छूट नहीं दी। अन-इकोनोमिक होल्डिंग पर लगान में राहत नहीं दी। यह इन्सेन्टिव नहीं मिलेगा उसे तब तक ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिये राजस्थान के किसान को इन्सेन्टिव नहीं मिल सकता, उसकी हालत नहीं सुधर सकती।

इसके लिये जरूरी है कोटा, बूंदी झालावाड़ और प्रतापगढ़ सब-डिविजन के किसानों से, कृषि मन्त्रीजी से, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको अनाज चाहिये, तो उनसे उनकी खड़ी फसलें खरीदें। ज्यादा से ज्यादा कीमतें उनको आप दें। बाजार भाव पर दें। आप, पर मैं जानता हूं, नहीं देने वाले। आपको तो ३५) ४०) में आज अनाज चाहिये। आज कोटा, बूंदी, और झालावाड़ का किसान ४०) में बेचे और जो कम पैदा करता है वह नागौर का किसान ७०) में बेचे। यह शोषण की आपकी क्या व्यवस्था है ? जो ज्यादा पैदा करे उसे आप यह इन्सेन्टिव दे रहे हैं यह कैसा इन्सेन्टिव है आपका, जो ज्यादा पैदा करता है उससे आप ३५) चालीस में लेना चाहते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि वह और अधिक पैदावार बढ़ावेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का दुर्भाग्य है। मार्केट कमेटियां होने के बाद भी सारे देश में, सारे राजस्थान में आज अनाज के अलग-अलग भाव है। सम्पूर्ण राजस्थान में एक अनाज के भाव नहीं हैं। राजस्थान की भिन्न-भिन्न मंडियों में एक भाव नहीं हैं। क्या सरकार आश्वासन दे सकती है कि सारी मण्डियों में खाद्यान्नों के एक से भाव रहेंगे। एक रुपया आठ आना से ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। सरकार यह विश्वास नहीं दिला सकती। अध्यक्ष महोदय, मुझे कभी-कभी सरकार पर बड़ा तरस आता है। एक छोटी सी बाटा कम्पनी जो हिन्दुस्तान भर के अन्दर एक भाव पर अपना जूता बेचता है उसके जूते को आप खरीदने जाएं तो यहां भी वही भाव, मद्रास में जावें तो वही भाव, कलकत्ता में जावें तो वही भाव। चैरी ब्लोसम की डिबिया की कीमत ६२ पैसे, हिन्दुस्तान में कहीं से भी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप इस भाव से खरीद लें। के० वी० की डिबिया ५० पैसे में हिन्दुस्तान के किसी कोने में आप जाकर खरीद लें और अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं ये कॉफी हाउस के गरीब कर्मचारी जो हिन्दुस्तान में कॉफी हाउस चलाते हैं, उनकी कॉफी की कीमत २५ नये पैसे। चाहे आप मद्रास में पीवें तो वही २५ पैसे, चांदनी चौक दिल्ली में पीवें तो वही भाव, कनाट प्लेस में पीवें तो वही भाव और मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर में पीवें तो वही भाव। हिन्दुस्तान के हरेक कोने में कॉफी के एक प्याले की एक कीमत। आज कॉफी हाउस का गरीब कर्मचारी हिन्दुस्तान में कॉफी के प्याले की एक कीमत रख सकता है, यह गरीब सरकार है जो अनाज का देश में एक भाव नहीं रख सकती। यह अयोग्य सरकार है जो देश में ही नहीं, प्रान्त में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में एक भाव नहीं रख सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? डूब मरना चाहिये इस सरकार को एक चुल्लू भर पानी में। राजस्थान के जिले-जिले में ही नहीं, तहसील-तहसील में अलग-अलग भाव हैं। इस सरकार ने जिले-जिले को, तहसील-तहसील को अलग अलग बांट रखा है। यह हिन्दुस्तान की खाद्यान्न की स्थिति से अच्छी बात नहीं है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, हम इस समय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल पर विचार कर रहे हैं तो मैं अपने विचार रख रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार इन सारे कानूनों के जरिये आज जो इस प्रकार की चीज़ करना चाहती है कि आज नान प्रोडक्टिव साइड में तो प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है, पर प्रोडक्टिव साइड में वह किसानों को किसी तरह का इन्सेन्टिव उनकी इरिगेशन चार्जेज में कमी करके, रेवेन्यू में कमी करके बैटरमेन्ट लेवी में छूट देकर नहीं देना चाहती। उसको चाहिये कि वह सही तरीके से सोचे। जो प्रोडक्शन बढ़ावे उसको इन सारी बातों में छूट दे, उसे इनाम दें। सार्वजनिक रूप से उसकी तारीफ की जाय, इनाम दिया जाय पंचायतों में पंच बनाया जाय, पंचायत समितियों में उनको ग्रोनरेरी सदस्य बनाया जाय, जिला परिषद् में भेजा जाय। जैसे भी हो सकता हो ऐसे किसान को पब्लिकली प्रोत्साहन किया जाय उसे ग्रोनर किया जाय। जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ावे उसे हर तरह से इज्जत दी जाय। इकॉनोमिक दृष्टि से भी, पैसे की दृष्टि से भी व साधनों की दृष्टि से भी उसे सहायता दी जावें। समय पर बीज दिया जावें, सारी सुविधाएं दी जावें, खाद दिया जावें।

पर आज तो हालत इस सरकार की यह है कि समय पर बीज नहीं खाद नहीं, कोई ट्रेक्टर नहीं, कोई तकावी नहीं और सरकार कहती है कि तुम्हारे प्रोड्यूस के लिये मार्केट कमेटी मण्डी बनाते हैं। ये मण्डी कमेटियां इस परिस्थिति में आपके किसी दिमाग के वहम को पूरा कर सकती है, आपकी सनक को पूरा कर सकती हैं। पर राजस्थान के किसान की बेहबूदी के लिये राजस्थान के उपभोक्ताओं के लाभ के लिये, राजस्थान के व्यापारी को सही रास्ते पर लाने के लिये, राजस्थान के व्यापार को नियन्त्रित करने की दृष्टि से आपकी ये मण्डी कमेटि-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यां किसी प्रकार से भी सफल नहीं हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि आज जिस आर्थिक संकट की स्थिति में हिन्दुस्तान और राजस्थान गुजर रहा है उस से पार पाने के लिए आपने जो रास्ते अपनाये वे आज तक सब फेल हुए हैं, उन सारी स्थितियों और कदमों पर आज फिर से विचार करना चाहिये। क्या हम राजस्थान के पैसे को नये नये नौकर बनाने में, भ्रष्टाचार में व्यय करें या प्रोडक्शन की तरफ लगावें ?

अध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है। कानून बना दिया और कृषि कमेटी बनी, मैंने पिछले बार अपने विस्तृत विचार रखे थे। ज्यादा समय इस समय लेना नहीं चाहता पर कहना इतना ही चाहता हूँ कि आप सैस नहीं लगा सकते पैसा नहीं वसूल कर सकते। सरकार इस बात को सुन नहीं सकती, कानून में खामी रहती है, लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में रिट पेश होती है। हाई कोर्ट रद्द कर देती है। हाई कोर्ट कहती है सरकार ने कानून गलत बनाया। सैस वसूल कर लिया। लाइसेन्स रद्द कर दिया। गलत काम किया। वसूली गलत की। पूछते हैं तो तो कहते हैं उस समय समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया ? कानून की खामी उनके समझ में नहीं आती, बताते हैं तो समझ नहीं पाते, कानून गलत होता है, नियम गलत बनाते हैं, या बनाते ही नहीं, कानून की क्रियान्विति गलत करते हैं। सही नहीं होती। कानून भी बहुत बनते हैं, नित नये बनते हैं। पर नियम नहीं बनाते। बनाते हैं तो लागू नहीं होते। लागू होते हैं तो गलत लागू होते हैं। गलत लागू होते हैं तो लोग चैलेन्ज करते हैं, चैलेन्ज करते हैं तो हाई कोर्ट में जाते हैं हाई कोर्ट उनके कानून को रद्द करार देती है तो वैलीडेट का कानून लेकर आते हैं। इस तरह से एक नहीं अनेकों कानून इस सरकार के हैं। इसके कानूनों का इतिहास उठाकर देखेगे और उस पर कोई रिसर्च का स्कालर लिखेगा तो वह यह सारा मसला साफ साफ बतावेगा। पर सरकार यह सब नहीं सोचती कि ये गलतकानून बनते क्यों हैं, कौन बनाता है, ? कौन इसके लिए जिम्मेदार है ? कौन इसकी क्रियान्विति नहीं होने देता, ? कौन इसके अनुसार नियम नहीं बनाता, ? बनाता है तो गलत बनाता है। कौन अधिकारी इस सब के लिए दोषी हैं ? किस अधिकारी की गलती से यह सब हुआ ? यह सरकार जानना नहीं चाहती।

पिछली बार सदन में कानून आया प्रायर एप्रूवल नहीं ली गई डाइरेक्टर की। तो क्यों नहीं ली गई ? आपने उसको इसके लिए क्या दण्ड दिया ? रूल्स सदन की मेज पर रख दिये जाने चाहिए थे। क्यों नहीं रक्खे ? कौन अधिकारी इसके लिये दोषी है और आपने उसे दोषी है तो दण्डित क्यों नहीं किया ? जिसकी बिना पर रिटें पेश होती हैं, क्यों यह पैसा सरकार का व्यर्थ में खर्च होता है, नान प्रोडक्टिव खर्चा हो गया है। चौधरी साहब कहते हैं सरकार का नान प्रोडक्टिव खर्चा बहुत होता है। पर सरकार ने यह कभी नहीं सोचा कि यह नॉन प्रोडक्टिव खर्चा क्यों होता है, किनकी गलतियों से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होता है, आपके गलत कानून बनते हैं । नियम समय पर लागू नहीं होते, कोर्टों में लोग जाते हैं, रिटें होती हैं, सरकार को वकील करने पड़ते हैं खर्चा करना पड़ता यह सब क्यों होता है ? सरकार की गलत नीतियों का यह दुष्परिणाम है । वह भीरू है, अपने अधिकारियों के खिलाफ इन गल्तियों के लिए एक्शन नहीं ले सकती जिन्होंने गलती से नियमों को हाउस में नहीं रखवाया क्यों नहीं रक्खे ? इसलिए मैंने प्रस्ताव रक्खा है कि यह एग्रीकल्चर प्रोड्युस मार्केट (वेलिडेटिंग) बिल जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जावे । जनता की राय ली जावे । किसानों की व्यापारियों की और उपभोक्ताओं की राय ली जावे । मण्डी वालों की विधान सभा के सदस्यों के अतिरिक्त जो भी कानून से प्रभावित होते हैं उनकी राय आनी चाहिए ।

आपने पिछली बार भी सरवे कराया था मण्डी कमेटी के फंक्शनिंग को एग्जामिन कराया था । कम्पेरिजन भी कराया था, दूसरी मण्डी से इस मण्डी में कितना ज्यादा कीमतें मिलती हैं ।

आपने उसके इम्पैक्ट को नहीं देखा है । क्या हाउस को आप इस संबंध में रिपोर्ट दे सकते हैं, कोई सर्वे की रिपोर्ट दे सकते हैं, कोई जांच की रिपोर्ट दे सकते हैं जिस से सभी समझें कि सारे बाजारों के अलावा उनकी तुलना में यह मण्डी कमेटियां ज्यादा सफल हुई हैं । आपने ऐसी कोई सर्वे कराई नहीं, आपने कोई जांच कराई नहीं । यानी आप कानून बनाते जायेंगे और उनका प्रसार करते जायेंगे कि राजस्थान में इसका कानून दस साल पहले बना लिया, लेकिन जब भण्डारी कमेटी की रिपोर्ट आई, रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट आई तो पोल खुली कि कानून तो बन गए लेकिन उनका इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ । राजस्थान का किसान आज भी गरीब उतना ही है जितना कि पहले था इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी मण्डी कमेटी के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को ऐक एक्सपर्ट कमेटी बैठाकर इनके फंक्शन को इनके वर्किंग को एग्जामिन करना चाहिए और देखना चाहिए कि बाकी नॉर्मल मार्केट और नई मण्डियों के बनाने के बाद दोनों के फंक्शन में क्या फर्क रहा है और क्या असर पड़ा है और कहां तक किसान को उसकी प्रोड्यूज का सही दाम और कीमत दिला पाये हैं । क्योंकि यह सब कुछ नहीं हुआ है इसलिए मैंने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये उसको मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास ।

श्री **गिरधारी लाल व्यास** (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (वैलीडेटिंग प्रोवीजन्स) बिल, १९६६ के सम्बन्ध में मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये ।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इस बिल के द्वारा इस प्रकार का प्रावधान किया गया है और पहले जो एक्ट यहां पर पेश हुआ था उसके द्वारा इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि काश्तकार का जिस

Page No. 67

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रकार से शोषण होता था और जिस प्रकार से व्यापारी लोग उनसे सस्ते भाव में अनाज खरीद लेते थे और जो काश्तकार मण्डियों में अपनी प्रोड्यूस ले जाता था उसमें से किस प्रकार से कचरा काटना, धर्मादा काटना, छीजत काटना और इसी प्रकार की अन्य कठिनाइयां पैदा होती हैं जिससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब भाव नहीं मिल पाता था और उसी दिक्कत को दूर करने के लिए और काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा उनकी उपज का पैसा दिलाने के लिए इस प्रकार का प्रावधान यहां पर किया गया है। मगर जहां तक हम सोचें कि यह वैलीडेटिंग बिल जो अभी प्रस्तुत किया गया है या जो एक्ट हमने पहले पास किया उससे किस प्रकार से काश्तकारों को सहूलियतें मिली हैं या किस प्रकार से सहूलियतें मिलेंगी और जहां तक प्रोड्क्शन बढ़ाने का ताल्लुक है और हमारे काश्तकार अपनी उपज को बढ़ायें इस बिल से उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। जहां तक काश्तकार अपनी प्रोड्यूस बढ़ायें उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले इस प्रकार की व्यवस्था इस कानून के द्वारा की गई है क्योंकि काश्तकार जब से कानून लागू नहीं हुआ था उसको किस प्रकार से पैसा मिलता था वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप देखेंगे कि जहां-जहां भी इस प्रकार की मण्डियां थीं जिनमें कि अनाज वगैरह और दूसरे सामान काश्तकार लोग बाहर से लाते थे या जो व्यापारी उनके घरों पर जाकर उनकी अज्ञानता की वजह से कि किस भाव से अनाज बिकता है इस अज्ञानता की वजह से व्यापारी लोग उनको बुद्धू बना कर सस्ते से सस्ते भाव में अनाज खरीद लिया करते थे और जो काश्तकार महनत करता था, रात-दिन करीब ३-४ महीने में एक फसल को पैदा करने में वह खुद और उसके घर वाले जिस प्रकार से महनत करते थे उसको उसकी उपज की सही और पूरी कीमत नहीं मिल पाती थी और इसके कारण से सरकार ने इनका शोषण बचाने के लिए मण्डी कमेटियों का निर्माण किया है। इसमें जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए अगर उस प्रकार से व्यवस्था नहीं होती है और काश्तकारों को उससे कठिनाइयां पैदा होती हैं तो इसके सम्बन्ध में हमें ध्यान देना चाहिए।

आज जिस प्रकार से मण्डी कमेटियों का निर्माण हुआ है और उनमें जो सामान हम वहां पर ले जायें या जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसके सम्बन्ध में हमें खास तौर से विचार करना है। आज इस बारे में सबसे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है कि मण्डियों के अन्दर जो काश्तकार सामान ले जायेगा और उसकी किस प्रकार से नीलामी होगी और किस प्रकार से व्यवस्था होगी और क्या काश्तकार को इस सम्बन्ध में किसी किस्म की कठिनाई वहां उठानी पड़ेगी उसकी व्यवस्था यह मण्डी कमेटीज किस प्रकार से करेंगी ? यह सबसे अहम बात है और जिसके सम्बन्ध में कानून बनाया है कि काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा फेसिलिटिज़ मिलें, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और जो महनत वह करता है फसल को पैदा करने में उसका किस प्रकार से मुआवजा मिल सकेगा, इसकी व्यवस्था अगर ठीक तरह से मण्डी कमेटीज़ के द्वारा हो जाती है तो यह कानून ऐसा कानून होगा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जिसके द्वारा लाखों काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा । आज इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो भी काश्तकार अपना सामान ले जाते हैं उसको मण्डियों में ले जाकर ढेर करना पड़ेगा और व्यापारी लोग संगठित होकर कम कीमत लगाते है और उसको पैसा कम मिलता है और अगर वह काश्तकार अपने अनाज को नहीं बेचता है तो उसको वापिस ले जाना पड़ता है । तो उसके सम्बन्ध में जो खर्चा आयेगा उसका उसको नुकसान होगा । इसकी समुचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक काश्तकार उससे पूरा फायदा नहीं उठा सकेंगे । इस-लिए निवेदन यह है कि इसके सम्बन्ध में आपको कुछ न कुछ प्रावधान रखना चाहिए । इस प्रकार की कीमत तय रखनी चाहिये जिससे कि उनका अनाज बिक जाये और उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो । जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अलग-अलग मण्डियों में अलग-अलग भाव हैं और अलग-अलग भाव उस समय भी रहे जब कि हम मण्डियों का निर्माण करके जो उनका प्रोडक्शन है उसको गाइड करना चाहते हैं या उसको बिकवाना चाहते हैं तो जब तक इस प्रकार का प्रावधान नहीं होगा, प्राइसेज़ के सम्बन्ध में जब तक किसी प्रकार का निर्धारण नहीं होगा तब तक व्यापारी लोग आज जिस प्रकार का शोषण कर रहे हैं उसी प्रकार से उसमें भी सब लोग संगठित होकर उनकी प्रोड्यूस को कम से कम पैसों में लेने का प्रबन्ध करेंगे और न बिकने के कारण जो खर्चा उसका वहन करेगा उस खर्चे को हम किस प्रकार से मिटा सकते हैं इसके संबंध में भी इसमें किसी न किसी प्रकार का प्रावधान आवश्यक है ।

दूसरा मेरा अर्ज करने का मतलब है कि जितने भी नियम बनाये गये हैं और फीस के संबंध में जो प्रावधान किया गया है उसमें कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं है कि छोटी मण्डियां और बड़ी मण्डियां कई तरह की मण्डियां होंगी । जिसमें एक मन्डी में एक काश्तकार सामान बेचता है वही बड़ी मन्डी में ले जाकर बेचता है तो हर मन्डी में ५० पैसे गाड़ी के देने पड़े तो यह सारा का सारा काश्तकारों का पैसा जायेगा और उसको कम से कम पैसा मिलेगा । इसलिए इस प्रकार का प्रोवीजन होना चाहिए जैसा कि बिक्री कर में भी प्रावधान किया है कि सिंगल पाइंट के ऊपर यह पैसा लिया जाता है न कि मल्टीपल पाइन्ट के ऊपर । अगर तीनों स्थानों पर पैसा लिया गया है तो काश्तकार को जो पैसा मिलने वाला है वह कम मिलेगा और इस तरह से उसका विक्टी-माईजेशन होगा या उसका शोषण होगा । इसलिए इस प्रकार का प्रावधान आवश्यक है कि आप ५० पैसा या जो भी फीस लगायें वह एक ही जगह लगायें न कि दूसरी जगह जाकर देंगे उसके ऊपर भी फीस लेते रहें । इस प्रकार की व्यवस्था ठीक प्रतीत नहीं होती ।

इसी तरह से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के अन्दर जिस प्रकार का प्रावधान किया गया है मेम्बरशिप के अंदर और उस मेम्बरशिप के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि जिस आदमी को ६ महीने की सजा हो जायेगी वह आदमी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उसमें मेम्बर नहीं रह सकेगा। इसमें इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि कौन से केस में यदि सजा होगी तो वह मेम्बर नहीं होगा। आज मेरे और दूसरे आदमी के बीच में, मान लीजिए, मामूली सा झगड़ा हो गया और उसमें केस चला और ६ महीने की सजा हो जायेगी तो क्या इस प्रकार के प्रावधान के कारण कोई भी आदमी मेम्बरशिप से वंचित हो जायेगा? आपको इसमें खास तौर से स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि जिस आदमी पर अमुक केस में सजा मिलती है या ऐसे केस में जो कि बाजार से संबंधित मामला हो जैसे कोई ब्लैक मार्केटिंग करता हो या कम तौलने का काम करता हो इस प्रकार के जो केसेज़ हैं जिसका ब्यौरा इसमें स्पष्ट आना चाहिए। उस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। और उसके अलावा सिर्फ इस प्रकार का प्रावधान किया है कि ६ महीने की सजा होगी वह आदमी मेम्बर नहीं होगा। ६ महीने की सजा किन्हीं भी कारणों से हो सकती है और वह आदमी ईमानदार, और अच्छा भी हो सकता है लेकिन ६ महीने का इस प्रकार का प्रावधान रख दिया है कि जिससे उसकी मेम्बरशिप खारिज हो जाती है। इसलिए इसमें यह स्पष्ट होना चाहिए और बिल्कुल जो है सो जो केसेज हों तो या तो ट्रेड से ताल्लुक रखते हों या मारेल टर्पीट्यूड से सम्बन्धित हो, इनके सम्बन्ध में सजा होने की बात हो तो ठीक है लेकिन जो इसमें कन्डीशन लगाई गई है वह यह है कि कोई भी छः महीने की सजा पा जाये तो मेम्बरशिप से हटाया जायगा तो यह ठीक नहीं होगा, इसलिए अगर ट्रेड या इसी तरह के मामलों का हवाला इसमें दिया जाय तो ज्यादा उपयोगी होगा वरना इस प्रकार का छः महीने का प्रावधान रख देना वह बिल्कुल मेरी राय में गलत बात होगी।

तीसरा मेरा एक निवेदन है कि जो पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के अन्दर दोषी करार कर दिये जावें वह मेम्बर नहीं रह सकता। आज पंचायतों और सहकारी संस्थाओं में हर जगह कई प्रकार की पोलिटिक्स है और उसकी वजह से किसी भी कारण से किसी भी आदमी को किसी प्रकार का दोष लगा कर उसको पैनेलाईज किया जा सकता है और सहकारी संस्था द्वारा किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया जा सकता है। मगर जब तक कि उनको गुनाहगार नहीं पाया जाय या उनके खिलाफ इस प्रकार का कोई केस न हो कि जिसके अन्दर उसने सहकारी संस्थाओं का पैसा हड़प कर लिया हो या सहकारी संस्थाओं के सदस्य के नाते उसने पैसे का दुरुपयोग किया हो या पंचायतों के अन्दर इस प्रकार के ट्रेड या इससे सम्बन्धित अन्य मामलों में अगर उसको दोषी पाया जाय तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। जो प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का दोष लगा दे और पंचायतें और सहकारी संस्थाओं में लगा दे तो वह मेम्बरशिप से वंचित हो जाय। इस प्रकार का इसमें प्रावधान होने से लोगों के ऊपर गलत असर पड़ेगा और जो व्यक्ति इसमें आना चाहते हैं, जो इसमें इंट्रेस्टेड हैं वे व्यक्ति भी इसमें आने से वंचित रह जायेंगे।

जो ब्याज की दरें रखी गई हैं उनके सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन है कि आज बैंक ने किस प्रकार से ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इसमें जिस प्रकार से ब्याज की दरों का प्रावधान किया गया है वह ६ पर्सेंट का प्रावधान है। आज जो दूसरे बैंक की रेट्स हैं उसके मुकाबले आपको बैंक की रेट्स कायम करनी चाहिए वरना जो मण्डी कमेटीज में व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं उनका व्यापार ठप्प हो जायेगा, उनको कोई फायदा इससे नहीं होगा और इस प्रकार जो है कि मण्डी कमेटियों के सामने कठिनाइयां आएंगी।

इसी प्रकार से आपने हमाली, ट्रकों और दूसरे तरीकों से काम करने वाले हैं उनके सम्बन्ध में भी प्रावधान किया है। आज आप देखें कि बहुत से किसान जो अपना सामान लाते हैं वह स्वयं अपना काम करते हैं और उसके अलावा भी किसी किसी को हमाली भी करनी पड़ती है, तो कम से कम ऐसी व्यवस्था यहां कायम होनी चाहिए जिससे काश्तकार का शोषण न हो और उनको ज्यादा पैसा भी न देना पड़े। इस प्रकार का प्रावधान इसमें होना चाहिए। अपने यहां पर जो लाइसेंसदार और दूसरी तरह के व्यक्ति हैं उन लोगों की मोनोपोली हो जाएगी। हमालदारों और ट्रकों के द्वारा जो काम करें उनके लिए इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि जिससे उनको राहत मिले न कि उनका इस प्रकार से शोषण हो सके।

इसी प्रकार से जो आपने सेक्रेट्री को अधिकार दिए हैं, जो व्यक्ति इस मण्डी कमेटी के कानून–कायदों को विपरीत काम करता है या जो कर्मचारी काम करने वाला है वह नियमों के खिलाफ काम करता है, जो लाइसेंस-होल्डर, हमाल या दूसरे ठेकेदार, ट्रक वाले जो भी हैं उनके सम्बन्ध में आपने एक पूरा अधिकार आपके सेक्रेट्री को दे दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): जिस तरह की बहस चल रही है उसको यदि इसमें जो विधेयक की धाराएं हैं, जनरली उनको उसके साथ जुड़ी हुई रखें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : धारा तो इसमें केवल एक ही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे सामने दूसरा चारा ही नहीं है कि उनके सुझावों के अनुसार आगे बढ़ सकूं। इस समय जो विधेयक पेश है उसमें जो धारा है उसके अनुसार ही अगर बहस की जाय तब तो ठीक है वरना आपके चाहे कितने ही तथ्यपूर्ण भाषण हों अगर उन्हें भविष्य में मौका मिले और उस समय उसे रखें और अपने सुझाव रखें तो अच्छा हो। वरना जो आप बहस लम्बी करेंगे तो उससे अभी होगा तो कुछ नहीं लेकिन जो मैं जवाब दूंगा वह भी लम्बा हो जाएगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव किया है जनमत जानने के लिए, उसका कारण यही है कि इसमें बहुत सी खामिया हैं। अब जो उनका कहना है कि प्रस्तुत विधेयक की धाराओं पर ही बोलें तो उसमें तो क्या है सेल और फीस पर क्या बोलें? इसमें मेरी बात कहने का मतलब यही है कि जो खामियां हैं, उनको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं और इसी के सम्बन्ध में जो है मैं निवेदन कर रहा हूं।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने इस सेक्रेट्री को इस कानून के द्वारा रूल्स के द्वारा जिस प्रकार के एक बिल्कुल डिक्टेटोरियल राइट, अधिकार दिए हैं जिसके तहत किसी भी आदमी के खिलाफ चाहे सच्चे हों या झूठे हो, किसी भी प्रकार से बहाना करके उसकी शिकायत कर देंगे और उसके बाद में कोई उनके सामने जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता और उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जायगा। इस प्रकार का प्रावधान ठीक नहीं है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे हर एक आदमी को इन्साफ मिल सके।

(समय–समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा अर्ज करने का मतलब यही है कि जिन धाराओं के तहत में, जिन धाराओं की वजह से हमारा यह वेलिडेटिंग बिल आया है उसमें जो है, जिन कारणों से गलती की गई है और उनकी वजह से यह जो हमारा बिल वेलिडेट करने के लिए इस प्रकार से दुबारा लाना पड़ा और उसमें 'सेस' शब्द लगाया गया उसकी बजाय 'फीस' लाए हैं तो इस प्रकार की बातों को पहले सोचना चाहिए था। 'फीस' और 'सैस' में क्या अन्तर है और उस अन्तर की वजह से किस प्रकार का असर पहुँच सकता है। आपके जो कानून के सलाहकार हैं, आपका लॉ डिपार्टमेंट है उसको अगर यह सेस और फीस की जानकारी न हो तो यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार का प्रावधान बना देने की वजह से हमारी सरकार को, और जो हमारी सरकार करना चाहती थी उसको कितना नुकसान पहुँचा है और पब्लिक के लोगों को भी जिन्हें हाई कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करना पड़ा है उनको भी कितना नुकसान पहुँचा है।

इसी प्रकार से मार्केटिंग एरियाज....

श्री अध्यक्ष : अब जल्दी समाप्त करें, बहुत समय ले लिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो मार्केट एरिया डिफाइन किया है तो मार्केट एरिया तो बहुत लम्बा चौड़ा है, किसी भी जगह को मार्केट एरिया कहा जा सकता है और उसके साथ मार्केट लगा सकते हैं। इस प्रकार की हमें सोच-समझ कर ऐसी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए कि जिसकी वजह से इस प्रकार की रिट पिटिशन्स न हों और हम जो कानून-कायदे बना दें उनमें किसी प्रकार की दुविधा पैदा न हो।

इन सब का हल जो भी हो, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप कितना ही बिल से प्रावधान कर दें मगर जब तक इस प्रोड्यूस की ठीक प्रकार से बिक्री की व्यवस्था न हो, लोगों के प्रोड्यूस की बिक्री की व्यवस्था और खरीदने की व्यवस्था जब तक ठीक न हो, आपके द्वारा, सरकार के द्वारा उनकी व्यवस्था न हो तब तक आप चाहे जिस प्रकार की कमेटियां या मण्डीज़ बना दें, उनको ठीक प्रकार से फायदा नहीं होगा। मेरा तो यही निवेदन है कि सरकार को यह सारा व्यापार जितना भी है इस प्रोड्यूस के सम्बन्ध में, उसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए ताकि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने राजस्थान

Page No. 72

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (वेलिडेटिंग प्रोविजन्स) बिल, १९६६ विचारार्थ प्रस्तुत है। सबसे पहले मैं इस बिल पर कुछ अपने विचार प्रगट करूं, हमारे खाद्य मंत्री महोदय को यह आपत्ति है कि मैं इस बिल के अन्दर जो एमेंडमेंट हैं, जिन धाराओं के अन्दर एमेंडमेंट हैं उन पर ही कुछ विचार रखूं तो अच्छा रहेगा। मैं भी इस विचार से सहमत हूं परन्तु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस में यह बिल दो बार एमेंडमेंट के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हो गया है और भी ऐसा हो सकता है कि कोई हाई कोर्ट के अन्दर जाए और जाने के बाद इस बिल को जैसा आपने एमेंडमेंट के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किया है फिर आपको प्रस्तुत करना पड़े। इसलिए हम एक बड़ा योगदान आपको देना चाहते हैं और बहुत बड़े सुझाव आपके सामने पेश करना चाहते हैं, चाहे वह जनमत के नाम से करें, चाहे प्रवर समिति के नाम से करें, हम तो सुझाव के लिए आपसे कहना चाहते हैं जिससे बार-बार यह न हो कि हिन्दुस्थान के अखबारों में, हिन्दुस्तान के लोगों को यह सुनने को नहीं मिले कि राजस्थान के लोग, राजस्थान के खाद्य मंत्री और राजस्थान के खाद्य मंत्री के जो कानूनी सलाहकार हैं वे इस प्रकार के लोग है कि हाई कोर्ट के अन्दर जब उनका कानून जाता है या सुप्रीम कोर्ट के अन्दर कानून जाता है तो उनकी धाराएं इनवेलिड हो जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह कानून बना सन् १९६१ में और नियम बने १९६३ में और विधान सभा में प्रस्तुत हुआ १९६६ में, और १९६६ में इसके नियम भी जो प्रस्तुत हुए हैं उनके बारे में ध्यान, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत खाद्य मंत्री महोदय का इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वे नियम की धाराएं जो ६९ से ७४ तक की हैं जिनको हाई कोर्ट ने इनवेलिड करार दे दिया है आज भी इन धाराओं को इन नियमों के अन्दर से निकाला नहीं है और हाउस के अन्दर इस बिल को प्रस्तुत कर दिया है। यह बड़ी इनएफिशियेन्सी का सवाल है। इतनी अयोग्यता के साथ इस हाउस में पेश किया गया। जब नियम ६९ से ७४ तक हाई कोर्ट ने इनवेलिड करार दे दिये है और आपने एक एश्योरेन्स दिया था हाई कोर्ट को कि अब के असेम्बली जब चलेगी तब प्रस्तुत करेंगे। फिर भी ६९ से ७४ तक की धाराएं यह जो नियम हैं आपके उपज विपणि के उनका क्या होगा? इनके बारे में न कृषि मंत्री जी ने सोचा, न कृषि मंत्री जी के जो सलाहकार हैं उन्होंने सोचा है और न कानूनी सलाहकारों ने सोचा। ये ६३ के नियम जो धक्के खाते हुए डोल रहे थे वह आज ६६ में हाउस में पेश किये गये हैं और बड़ी जल्दी के साथ पास होंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि आप कौन सा प्रगतिशील कानून इस हाउस में रखने जा रहे है? आज कौन सा ऐसा कानून इसमें रखा जा रहा है जिससे कि देश में बहुत बड़ी तबाही फैल रही है उसको रोकना है? अगर इस नियम को न रख कर और कानून को नहीं रख कर मंडी कमेटियों पर लागू नहीं करेंगे तो देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जायगा? ६१ में एक्ट बनाया था और ६१ के बाद ६३ तक देश के सामने संकट नहीं आया, राजस्थान में कोई हाहाकार नहीं हुआ, राजस्थान के लोगों के सामने कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई, तो मेरी समझ में नहीं

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

आता है कि इतनी जल्दी क्या है ? २२ दिसम्बर को हाई कोर्ट ने आपके कुछ प्रोवीजन्स चाहे वे एक्ट के हों चाहे रूल्स के हों उनको इनवेलिड करार दे दिया। उनको सही ढंग से हाउस में नहीं रखा है। केवल कुछ रुपये जो मार्केटिंग कमेटीज ने वसूल कर लिये हैं और उनको वापिस नहीं करना पड़े उसको रिवेलिडेट कराने के लिए दो धाराओं का यह बिल एमेंडमेंट का प्रस्तुत कर दिया कि अब जो पैसा सेस के नाम से लेते हैं वह फीस के नाम से लेंगे। अध्यक्ष महोदय, खाना खाते हैं या निगलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। पेट तो भरता ही है। इससे कोई अन्तर नहीं पैदा होता है। आप सेस के नाम से लें या फीस के नाम से लें इसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो इस मूल एक्ट के सम्बन्ध में कहना है कि आपको दुबारा इस पर विचार करना होगा। इसलिए विचार करना होगा कि यह जो सन् ६१ के अन्दर आपने इस एक्ट को पास किया उस समय आपके सामने और आपके देश के सामने ये परिस्थितियां नहीं थीं। उस समय न आपके ऊपर चाइना का युद्ध था और न पाकिस्तान का युद्ध था। न उस वक्त देश के अन्दर खाद्यान्न का अभाव था। आज देश के अन्दर खाद्य-उत्पादन के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। नेशनल इन्ट्रेस्ट में हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री हर महीने ब्राडकास्ट करते रहते हैं कि देश के अन्दर खाद्य-उत्पादन बढ़ाना चाहिए। देश के लोगों के सामने आज जो सबसे बड़ा संकट है वह खाद्य-उत्पादन का है और वह किसी न किसी प्रकार से हल होना चाहिए। जब उसको हल करने के लिए हम विचार करते हैं और इसके लिए हमने एक एक्ट पेश किया है और वह इसलिए किया है कि ज्यादा हम किसानों को राहत देना चाहते हैं।

मैं इस एक्ट के द्वारा कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों के साथ में कौन सा ऐसा जुल्म हो रहा है, कौन सा ऐसा बड़ा जुल्म आपकी नजर में है जो आप इस एक्ट के द्वारा उनको उससे राहत देना चाहते हैं ? यदि इस एक्ट के द्वारा और इन नियमों के द्वारा, इन नियमों के अलावा जो एक मंडी कमेटी उपनियम बनाया है यदि इसके एक-एक चेप्टर को देखें, एक-एक कानून को देखें तो किसानों को कौन सी उनसे राहत मिलती है ? यह मेरी समझ में नहीं आता। आज किसान का ध्यान कृषि-उत्पादन पर ही होना चाहिए। जो भी टैक्स, जो भी सेस, जो भी किसी प्रकार के दूसरे टैक्स उसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप कभी यह न सोचें कि यह टैक्स या सेस व्यापारी पर पड़ता है। व्यापारी पर कभी भी नहीं पड़ता है कोई टैक्स। उसको आप डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट मान सकते हैं, लेकिन आखिर में जाकर कृषि का जो उत्पादन करता है उसके ऊपर पड़ता है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब यह सेस, या किसी तरह की और लाइसेंस फीस और दूसरी दूसरी तरह के जो टैक्सेज हैं ये एक किसान के ऊपर पड़ते हैं तो आप ये मंडी कमेटियां किस लिए बनाना चाहते हैं ? मंडी कमेटियों से कौन सी उनको राहत देना चाहते हैं ? मंडी कमेटियों से क्या राहत मिलने वाली है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। और मैं यह समझता हूं कि आम किसानों की समझ में नहीं आयेगी, क्योंकि जहां मंडी कमेटियां कायम हुई हैं वहां किसानों को

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कौन सा फायदा हुआ है ? आप मोनोपोली की दृष्टि से क्योंकि आपका किसी से कम्पीटिशन नहीं होता है, यदि राष्ट्रीयकरण हम मानते हैं तो मोनोपोली की दृष्टि से कर लेते हैं तो किसी से कम्पीटिशन हमारा नहीं होता है उसी प्रकार मंडी कमेटियों पर सरकार नियन्त्रण की दृष्टि से नियन्त्रण करे और सैस लगा दे, चाहे फीस लगा दे और वसूल कर ले तो उसमें दिक्कत नहीं आयेगी । वह वसूल हो जायेगी और खजाने में पैसा आ जायेगा और हमारा जो टैक्स है जो हमारे पास आना चाहिए वह टैक्स इधर-उधर चला जायेगा । तो मैं आपसे खाद्य मंत्री महोदय यही निवेदन करना चाहता हूं कि अब इस टैक्स का कौनसा फायदा किसान को देने वाले हैं ? जब इस टैक्स से फायदा नहीं होने वाला है तो मंडी कमेटियां बना कर किसानों पर अधिक भार क्यों लादा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत खाद्य मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जितने प्रान्त हैं उनमें सबसे पहले पंजाब प्रान्त के अन्दर इसको लागू किया गया था, और उस जमाने में लागू किया गया था जिस जमाने के अन्दर हमारी हुकूमत नहीं थी, हम अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और किसानों को कोई अधिकार नहीं था, उस जमाने में किसान और कई तरह की गुलामियों के अन्दर त्रस्त थे। परन्तु आज के किसान के अन्दर जागृति है। किसान इस बात को जानता है कि उसकी पदावार की ज्यादा से ज्यादा कीमत उसको किस प्रकार से मिले । आप मंडी के अन्दर जायें तो किसान इस बात को गवारा करने के लिए तैयार नहीं है, सहन करने के लिए तैयार नहीं है कि पैदावार की पूरी कीमत उसको पूरी न मिले । वह जागृत है और जागृति की निशानी यही है कि यदि आप गांवों में जाकर जो फसलें आखिर की पैदा हुई हैं उसके भाव पूछें तो मंडी के भाव की तुलना में वह भाव बतलायेगा । कभी ऐसी बात नहीं होगी कि यदि सरसों अलवर और भरतपुर में ६३ होगी तो वह कभी भी ६० या ५९ नहीं बतायेगा बल्कि वह कहेगा ६३–६३।। । आज इस तरह की उसमें जागृति है । तो किसान का दूसरे जरियों से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा सहूलियत उनको मिल सके—वे चीजें उनके सामने पेश करें, परन्तु मैं इस बात को रखना चाहता हूं, इस बात को कहना चाहता हूं कि जब कृषि-उपज को बढ़ाने के लिए अपने जरिये बढ़ायेंगे तो यह समस्या जो हमारे सामने पैदा होती है वह समस्या हमारे सामने पैदा नहीं होगी ।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें जो इसी पॉइन्ट के साथ पैदा होती हैं बतलाना चाहता हूं । मैं उनके ऊपर यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी एक ऑब्जेक्शन आया था और उसको रिवेलिडेट कराया था । डाईरेक्टर्स के बारे में कुछ प्रोवीजन्स थे कोई उपनियम के पास कराने के और उनको डाइरेक्टरों से पास नहीं कराके लागू कर दिया और लागू करने के बाद जब डाइरेक्टर्स की बिना मन्जूरी के लागू कर दिये और लोग इधर-उधर से हाई कोर्ट में गये तो उनका वैधकरण कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर लागू कर दिये तो डाइरेक्टरों से मन्जूर हुए ही समझे जायेंगे । लेकिन दफा ३६ है इस एक्ट की उसके

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अन्दर लिखा हुआ है यह कि जो भी रूल्स बनायेंगे राजस्थान सरकार उनके ऊपर दृष्टिपात करेगी, और दफा ३६ के तहत राजस्थान सरकार को यह नियम बनाने का अधिकार है, और उसको रखा तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार इस बारे में किस प्रकार से सोती रही ? इसी तरह से जो बाईलॉज़ बने हैं, मंडी कमेटियों के जो बाइलॉज बने हैं। ये उप नियम बने हैं उनके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप किसानों को सुविधा देना चाहते है और यह चाहते है कि व्यापारी लूट-पाट नहीं करें, लेकिन क्या आपने कभी इन उपनियमों को देखा है, कभी इनकी तरफ दृष्टिपात किया है कि ये किस प्रकार के है ? इनके अनुसार यह थोक व्यापारी प्रति वर्ष ५०) रु० देगा, फुटकर व्यापारी १२) रु० देगा, (क) वर्ग का दलाल ५०) रु० देगा और दूसरे वर्गों के दलाल इतने रु० देंगे, पल्लेदार ३) रु० देगा, हाथ ठेले वाला २) रु० देगा । इस प्रकार सबको लाइसेन्स फीस देनी पड़ेगी। एक तो आपने पहले अनाज का लाइसेंस लेने के लिए कहा, दूसरा उसको सेल्स टेक्स का लाइसेंस लेना पड़ा और अनाज का व्यापार करने वाला अब मण्डी में लाइसेंस और ले और तब जाकर व्यापार करे। एक ही चीज के लिए तरह तरह के लाइसेंस लेना मैं समझता हूँ डुपलीकेसी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी में और तरीके में हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस तरह से वसूल करने का सवाल है उससे इतनी बड़ी हैरानी का सवाल नहीं है लेकिन साथ में मैं एक बात और निवेदन करूंगा । जहां मन्डी खर्चे का सवाल है व्यापारी ८ आना १० आना सैकड़ा में व्यापार का काम करता है, उसको १) रु० प्रति सैकड़ा कमीशन की छूट दी है। इसके तहत दलाली करने वालों को भी २ आना सैकड़ा दिये है । लेकिन गरीब मजदूर जो बोरी उठा कर डालता है उसको आप ३ पैसे प्रति बोरी देंगे। और जो मजदूर रेल पर ढोने ले जायगा उसको ६ पैसे प्रति बोरी देंगे । इसी प्रकार की हमाली दूसरी चीजों के लिए भी मिलेगी। इसी तरह से तिलहन, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं उसमें रेत होती है उसको वे लोग छानेंगे तो उनको १५ पैसे मिलेंगे । आज आप मजदूरी की

(२.१२ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पादसीन)

रेट पर दृष्टिपात करें और भावों की तरफ दृष्टिपात करें तो आपको मालूम होगा कि इस प्रकार की रेट्स किसानों और मजदूरों के हित में है या नहीं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इन रेट्स के हिसाब और तौर-तरीके को देखकर मैं देखता हूँ कि किसान का माल मण्डी में बिकने के लिए नहीं आने देना चाहते हैं और किसान के सामने समस्याएं पैदा करना चाहते हैं, किसान का अनाज किस भाव से बिके, पिछले साल यू०पी० में गुड़ के मामले को लेकर बड़ी दुर्दशा हुई थी! यू.पी. में गुड़ को कोई खरीदने वाला नहीं था और राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ही गुड़ लाने का अधिकार था। यू० पी० के किसान, जिनके घर में गुड़ था, दुखी थे। मेरे मामा यू० पी० में हैं उन्होंने लिखा था कि मेरे पास इतना गुड़ पड़ा है वह किसी प्रकार

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

बिक जाय तो पैसे मिल जायं यहां पर कोई खरीदने वाला नहीं है । हमने देखा कि राजस्थान के क्रय विक्रय संघ द्वारा यू.पी. में २०)मरण के भाव से खरीदा गया और वही गुड़ हमारे यहां ४५रु. मरण के भाव से बिका । हमने उस गुड़ को देखा था । वह आदमी के खाने लायक नहीं था, ढोरों के खाने लायक था । आप नियन्त्रण करना चाहते हैं मारकेटिंग सोसायटीज या क्रय विक्रय संघ के द्वारा तो करें। लेकिन जनता सुविधा चाहती है, वह चाहती है कि उसको तकलीफ न हो ।इसलिए मैं कहता हूं कि मारकेटिंग कमेटी के द्वारा नियन्त्रण करना चाहते हैं लेकिन जब दलाल नहीं मिलेंगे, हमाल नहीं मिलेंगे, तीन पैसों में बोरी उठाने वाला नहीं मिलेगा तो अनाज गांवों में ही रहेगा । जहां मन्डी कमेटीज नहीं होंगी वहां ८ आना १० आना मरण का खर्चा लग जाएगा, २५ पैसा प्रति सैंकड़ा मंडी कमेटी को चुंगी देनी पड़ेगी । ग्राम पंचायतों को कुछ नहीं मिलेगा । इस तरह से मंडी कमेटीज के कारण ग्राम पंचायतों और अन्य नगर परिषदों को धक्का लगेगा । जहां आप एक मंडी कमेटी को मजबूत करना चाहते हैं वहां नगर परिषदों और पंचायतों को कमजोर करना चाहते हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंडी कमेटीज से किसानों को फायदा होगा ऐसा नहीं है ।

आप लॉ को वेलिडेट कर दीजिये, कानून पास कर दीजिये लेकिन किसी प्रकार की अनुचित चीज न हो जाय इस बात का ध्यान रखना चाहिये इसलिये खाद्य मंत्रीजी को यही नहीं सोचना चाहिये कि सेस की वजह से हाई कोर्ट में इन वेलिड हो गया इसलिये इसको वेलिडेट करने से ही काम चल जाएगा लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यह खामियों का घर है, इसमें कई कमियां हैं सन् ६१ में हमारे सामने खाद्य समस्या नहीं थी, अन्न का संकट नहीं था और जो खाद्य मंत्री का पद है उसकी भी इतनी इम्पॉरटेन्स नहीं थी । आज तो हिन्दुस्तान में सब जगह खाद्य-समस्या का ही जिक्र होता है और हमेशा हम यही सोचते हैं कि मुल्क की खाद्य-समस्या को किस प्रकार हल करें । आज जब हम सोशियेलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार को और कांग्रेस को उस ओर कदम उठाना चाहिये । इधर उधर से जो छीना झपटी होती है उससे हमारे आम किसान और गरीबों के धंधे को नुक्सान होता है । सरकार को चाहिये कि यह जो हमारा एक्ट है उसमें बड़ी बहादुरी और योग्यता के साथ इस बात को रखें जिससे गरीबों और किसानों का भला हो सके । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें जल्दी की बात नहीं है । सन् ६१ से ६६ तक का समय हमने देख लिया है । इसी तरह से सीलिंग लागू करने के लिए ५८ से ६६ तक का समय देख लिया है । सीलिंग को लागू करते तो किसानों के लिए बहुत बड़े सहयोग का काम हो सकता था । जब ६१ से ६६ तक हो गये और नियम बनाने में भी ३ साल लग गये और इन नियमों में भी बहुत कमियां हैं। मार्केटिंग कमेटी और मंडियों से किसानों को क्या दिक्कत होती है यह भी देखना चाहिये । हम किसानों का भला चाहते हैं, दिल और दिमाग से यह चाहते हैं कि किसानों को कृषि उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले तो मैं कहूंगा कि 'सेस' के बजाय

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

'फो' करके इसको वैलिडेट करना चाहते हैं तो जरूर करिये, लेकिन आप ऐसा काम मत करिये कि आम किसानों से जो आप छीन कर ले आवें उसका फायदा उनको वापिस नहीं मिले, आम किसान के घर में नहीं जावे। फसल का टाइम है। आप एक्शन देखना चाहते हैं तो राजस्थान के जितने कस्बे हैं उनका आप सर्वेक्षण करिये इससे आपको मालूम हो जायगा। आम किसान कहता है कि राजस्थान सरकार जो किसानों की हिमायत करने वाली है, इधर बैठने वाले लोग जिनकी किसानों के साथ हमदर्दी है और जिन्होंने किसानों के लिए काम किये हैं और खाद्य मंत्रीजी स्वयं किसानों से ज्यादा सम्बन्ध रखते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप किसानों के हित में सोचते हैं तो सर्वेक्षण करिये, मंडी कमेटियों में चले जांय, पहले जो व्यापारी व्यापार करते थे उसमें और मंडी कमेटियों द्वारा जो व्यापार होता है उसमें कितना फर्क है और किसानों को किससे ज्यादा फायदा होने वाला है। यदि आप खुद कन्विन्स हो जावें कि इससे किसानों को अधिक फायदा है तो सदन में इसे बहादुरी के साथ लाना लेकिन इससे पहले आप सर्वेक्षण करें।

नियम जो सन ६३ में बनाये थे उनके लिए अमेन्डमेंट्स रखे थे वे शायद सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी में जायेंगे। मैंने इसको पढ़ा है और तह में गया हूँ। मेरी मान्यता है, यदि दूसरा अधिवेशन आयेगा और मौका मिलेगा तो बताऊंगा, आगे का मुझे पता नहीं क्योंकि हर एम. एल. ए. के लिये ५ साल की मियाद होती है, उसके बाद भी आया तो बताऊंगा कि आप के ये नियम और उपनियम कमियों से भरे हुए हैं। यदि इनको दूर नहीं करेंगे तो एक्ट में फिर गलती रह जायगी और आपको फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नीचा देखना पड़ेगा इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि खाद्य मंत्रीजी इसकी दुबारा छानबीन करें और उसके बाद मंडी कमेटियों को लागू करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि उपज विपणि (वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६६ को, जो कि कृषि मन्त्री महोदय ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

मूल विधेयक १९६१ में इस सदन द्वारा पारित किया जाकर उसे एक्ट का रूप दिया गया था, उस समय यह भावना थी कि इस एक्ट के अधीन नियम बनाकर, जो कृषि उपज हो, उसके वितरण की सुव्यवस्था की जाय और इससे काश्तकारों की जो कृषि उपज होती उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति का अवसर उनको मिले। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस अवधि में जो कुछ अनुभव काश्तकारों को इस सम्बन्ध में हुआ वह इस भावना के अनुरूप नहीं हुआ है, जो कि इस बिल को पेश करने वाले माननीय मन्त्री या इस सदन के माननीय सदस्यों की भावना थी। आज जहां जहां मण्डियां कायम की गई हैं उन मण्डियों में जो माल सदा से आया करता था वह अब आना कम हो गया है। अगर माननीय मन्त्री इसका सर्वेक्षण करेंगे तो उनको अनुभव होगा कि जिन जिन स्थानों पर मण्डियां स्थापित

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

कर दी गई हैं, उसके पास जो हिन्टर लैण्ड है, आसपास का लैण्ड है, जहां से किसान गाड़ियों में भर कर माल लाते थे, अब वह वहां नहीं लाते हैं। तो उन मण्डियों में माल आना कम हो गया है और उन स्थानों पर दूर दूर किसान माल ले जाना पसन्द करते हैं जहां पर मण्डियां नहीं बनी हुई हैं। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि काश्तकारों ने अनुभव कर लिया है कि इन मण्डियों में माल ले जाने से दिक्कतें होती हैं, कई तरह की कठिनाइयां होती हैं और खर्च भी ज्यादा पड़ता है और इसके साथ साथ जो बाजार में माल ले जाने से मूल्य उपलब्ध होता था उससे भी कम मूल्य उपलब्ध होता है। इन तीन बातों को उसने अनुभव किया और इसलिए जो एक्ट जिस भावना से बनाया गया था उससे उल्टा इसका परिणाम होता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे एक्ट से फायदा क्या है जो लाभ के बजाय हानि करने वाला हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको मिसाल दूं....

श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री गोविन्दसिंह : कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घण्टी के पश्चात्)

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार ने कानून बनाया, और कानून के साथ-साथ नियम बनाये, उनका परिणाम उल्टा क्यों होता है ? उसका कारण यह है कि उन कानूनों का और नियम का अन्ततः परिणाम क्या होगा-इसके सम्बन्ध में बहुत ज्यादा विश्लेषण राज्य सरकार के द्वारा नहीं कराया जाता है। इसीलिए वर्तमान विधेयक के कारण जनता को और कृषकों को हानि हुई है, और इस प्रकार जो कृषकों में अविश्वास पैदा हुआ है वह सरकार के ध्यान में नहीं आया है। मेरा ऐसा अनुमान लगता है, और मेरा विचार है कि इसमें उचित सुधार नहीं किया गया-तो जो विधेयक बनाया है और इसके अधीन नियम बनाए हैं वे जनता को, और काश्तकारों को लाभ पहुंचाने के बजाय हानि पहुंचाने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं अपना अनुभव बताऊं। लगभग तीन सौ बीघा जमीन मेरे काश्त में है, वह कोटा डिस्ट्रिक्ट में मण्डी है, वहां ले जाकर मण्डी में बेचने गया तो उसमें दस प्रतिशत खर्च आ गया जबकि साधारणतया और सालों में इतना खर्च नहीं आया करता था। इसी प्रकार मैं उनियारा, बरवाड़ा आदि क्षेत्रों का दौरा करके आया हूं और वहां के काश्तकारों से बात हुई है, वहां पर जो मण्डी कमेटी बनी हुई है, तो काश्तकारों का ज्यादातर अभिमत इस बात का रहता है कि इन मण्डी कमेटियों से कोई लाभ नहीं हुआ है, बल्कि कठिनाइयां बढ़ी हैं और खर्चा भी बढ़ा है।

इसके अलावा जो परस्पर विश्वास की भावना थी, जो आपस में अनाज बेचा करते थे और सुख-दुःख में, आड़े समय में काम आते थे और वक्त जरूरत पर रुपया भी एडवान्स किया करते थे, उनके अन्दर अब विश्वास की जगह अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है। जो सुख का वातावरण

Page No. 79

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

था और समृद्धिशाली थे वह अब नहीं रहे हैं। तो एक बात तो यह है कि जो कुछ भी एक्ट बनाया गया है जिस भावना के साथ में, वह बात, वह भावना कहां तक पूरी कर सके हैं, यह एक्ट के सम्बन्ध से सरकार को उचित रूप से विचार लेनी चाहिए। और इसके साथ ही सर्वेक्षण भी करा लेना चाहिए। अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि १६६१ में यह विधेयक पारित किया गया था और १६६३ में तीन वर्ष की अवधि के बाद में नियम बनाए गए। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार बहुत ज्यादा इसके सम्बन्ध में उत्सुक नहीं है। यह कानून ऐसा है कि इसको आपने सदन में रखा और जैसे इसकी बहुत जल्दी आवश्यकता है-यह भावना प्रकट की थी। लेकिन नियम बनाने में समय तीन साल का लग गया। और नियम भी बनाये तो ऐसे बनाये कि जो ज्यादा बिगाड़ लाए। जिस वक्त यह एक्ट सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था उस समय भी इसमें काफी कमी रही थी, इसलिए उस समय यह विचार व्यक्त किया गया था कि इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाय और इसके ऊपर पूरी तरह से जांच करके इसकी आवश्यकता पर विचार करने के साथ कानूनी पहलुओं पर भी गम्भीरता से विचार कर लिया जाय, लेकिन राज्य सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और इसे पास करा लिया। लेकिन आगे देखते हैं तो परिणाम यही निकला कि हाई कोर्ट में यह मामला गया और इसके कुछ प्रावधानों को हाई कोर्ट ने गलत और अवैधानिक बताया। फिर परिणाम यही हुआ कि वैधकरण के लिए यह संशोधन विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, फिर जल्दबाजी में बिल आ रहा है, और हमें आशंका है कि जो त्रुटियां पहले रही थीं उसी प्रकार की वर्तमान विधेयक में त्रुटियां विद्यमान हैं, जो आगे जाकर हमें नीचा दिखाने के लिए सामने आ सकती हैं और हाई कोर्ट इस विधेयक की कुछ धाराओं को, कुछ नियमों के सम्बन्ध में अपनी धारणा, अपने विचार व्यक्त करके इनको अवैधानिक करार दे सकता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा पहले राज्य कर्मचारियों और सलाहकारों की सलाह पर कानून बना दिया, उस समय यदि विधेयक के ऊपर आम जनता की राय ली जाती तो शायद ये त्रुटियां नहीं रहतीं और कानूनी त्रुटियों में कमी आती और जो इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, बुराइयां है इनके सम्बन्ध में जनता आगाह कर देगी लेकिन राज्य सरकार ने जल्दबाजी में इस बात की चिन्ता नहीं की और विधेयक को प्रवर समिति में भेज कर उस पर अच्छी तरह विचार जानने की और जनता की राय जानने की कोशिश नहीं की। उसका परिणाम आज राज्य विधान सभा को भुगतना पड़ा है और एक बार इस विधेयक की धाराओं को हाई कोर्ट में अवैध करने पर पुनः यह विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आजादी के बाद यह आशा लगाये हुए बैठे थे कि हमारे राजस्थान में और हिन्दुस्तान में प्रत्येक नागरिक को भर पेट भोजन मिलेगा, भोजन उपलब्ध इतनी आसानी से हो जायगा, और समय पर इतना उत्पादन बढ़ेगा कि

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

लोगों को ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। वैसे प्रत्येक नागरिक को भोजन प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत चुकाने का अधिकार है लेकिन उसके अन्दर जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, जिनके कारण अन्न उत्पादन में दिक्कत आई है और जो अन्न-उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में राजस्थान में और हिन्दुस्तान में कर सकते थे वह करने में सरकार असमर्थ रही है। इसके कई कारण हैं, उन कारणों को दूर करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार कितनी गम्भीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ सोचती है इसके सम्बन्ध में आज अधिक नहीं कहना चाहता। लेकिन यह मैं अवश्य विश्वास करता हूं कि राज्य सरकार इस ओर समुचित ध्यान दे और अपनी सम्पूर्ण शक्ति कृषि-उत्पादन में लगा दे तो राजस्थान में और हिन्दुस्तान में इतना अधिक कृषि-उत्पादन हो जायगा कि हम देश की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करेंगे बल्कि अधिक से अधिक बचा कर हिन्दुस्तान के बाहर भेजेंगे-इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज राजस्थान की सरकार "Jack of all trades and master of none"

वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। उसने बीसियों ही कानून बनाये हैं और उन कानूनों के क्रियान्वयन में शक्ति खर्च की है और पैसा भी खर्च किया है। लेकिन जो मूल बात है कि कृषि-उत्पादन बढ़ना चाहिए इसमें पूरी शक्ति नहीं लगाई है-यह खेद की बात है। अगर हम पूरी शक्ति लगा दें, और राजस्थान की एक एक इंच भूमि में उच्चतम और अधिकतम खेती करने की व्यवस्था बैठा दें और इस प्रकार जब हम अपने गांवों के उत्पादन को अच्छी तरह से बढ़ा लें तब हमको अपनी पूरी शक्ति अन्य योजना पर लगानी चाहिये और दूसरी योजनाओं पर ध्यान लगाना चाहिये। मगर हो क्या रहा है। आज लाखों एकड़ भूमि राजस्थान में ऐसी पड़ी है जो खेती के योग्य होते हुए भी बेकार पड़ी है। उस भूमि के लिये, सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध होते हुए भी उस पानी का उपयोग नहीं किया जाता है और वह पानी समुद्र में पहुंच जाता है और वह पानी हम अपनी कमजोरियों और असावधानियों के कारण वहां पर खेतों तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिये सबसे पहले सिंचाई और बिजली उत्पादन में पैसा लगाना चाहिये वह हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, ये छोटी-मोटी बातें और छोटे-मोटे एक्ट बना दिये जाते हैं उस पर राजस्थान की शक्ति लगा दी जाती है और उस पर पैसे भी खर्च किये जाते हैं और आवश्यक बातें होती हैं, उनको धनाभाव की बात कह कर एवेयेन्स में रखा जाता है और बेकार बातें होती हैं, उनको एक प्रकार से व्हिम में आने के कारण बिल लाया जाता है जिसकी जरूरत नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबसिडी के तौर पर दीवार बनाने और मंडियें बनाने में जो धन नियम के अनुसार खर्च करना चाहिये उसको रखते हैं और जो निर्माण संबंधी....

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

मैं यह निवेदन करूंगा कि कृषि-उत्पादन कार्य है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये नहीं तो.......

(घंटी)

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

उपाध्यक्ष महोदय, और तो कोई बोलेगा नहीं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो विधेयक अभी प्रस्तुत किया जा रहा है वह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है जिसको आज ही पास किया जाना चाहिये और इसका प्रभाव राजस्थान के कृषि-उत्पादन या व्यापारियों पर पड़ने वाला है। चूंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विधेयक नहीं है तो ऐसी स्थिति में जब इसमें कई बार त्रुटियां रही हैं और अभी भी शंका है तो यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे ताकि जनता की राय आ सके।

(गण-पूरक-घंटी)

इससे वह लगता है कि इसके संबंध में किसी को उत्साह नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस को जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दिया जावे और जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं वे अपने इस पर महत्वपूर्ण विचार देंगे जिससे एक्ट बनाने में महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६६, राज्य सरकार की ओर से यहां पर लाया गया है। और वह इसलिये लाया गया है कि राज्य सरकार की ओर से रूल्स के कुछ प्रोविजनों में राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और उन्हें इनवेलिड करार दे दिया इसलिये इसको वेलिडेट करने के लिये यह लाया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिल बनने के बाद दो चार संशोधन कर दिये गये हैं। जब कभी हाई कोर्ट की रिट के जरिये इनवेलिडेशन हुआ और उसमें कुछ प्रोविजन के तहत रूल्स बने थे उसमें एक्ट में कुछ और रूल्स में कुछ और थे। रूल्स में 'सेस' लिख दिया। इसलिये हाई कोर्ट ने 'फीस' इनवेलिड करार दे दी। एक्ट में मार्केट था और रूल्स में मार्केटिंग एरिया लिख दिया इसलिये मार्केटिंग से इफेक्टेड होने वाले लोग थे उन लोगों ने इस कानून का फायदा उठा कर हाई कोर्ट में गये। जब यह डिफिकल्टी एराइज हुई और हाई कोर्ट ने अपना डिसिजन दे दिया तो आपके ६९ से ७४ नियम भी इनवेलिड कर दिये, क्योंकि वे इससे इफेक्टेड थे। इसलिये सारी चीज को 'सेस' के जरिये वसूल कर लिया और मंडी कमेटी ने लाइसेन्स जारी किये थे वे इनवेलिड होने के फलस्वरूप रद्द हो गये और सरकार को राजस्थान के हाई कोर्ट के डिसिजन के अनुसार पालन करना था इसलिए इसको वेलिडेट करने के पहले जो एक्ट था उसको संशोधन करने के लिये यह बिल लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय जी, पहले भी इस सदन में बिल आये हैं और इस संबन्ध में कई बातें कही गई कि यह सारे बिल राज्य सरकार के लॉ डिपार्टमेन्ट से ड्राफ्ट किया जाता है और समय समय पर उसमें संशोधन लाने की सरकार को आवश्यकता पड़ती है और उसी के फलस्वरूप यह संशोधन भी लाया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके यहां पर सारे रूल्स आदि लॉ डिपार्टमेंट बनाता है। इसलिये जब रूल्स बनाये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जाते हैं तो लॉ डिपार्टमेंट को सारी बातों का ध्यान रखना चाहिये। मगर होता यह है कि जब केसेज हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां से हमको डाइरेक्शन मिलते हैं, ऐसी परम्परा बन गई है और भिन्न-भिन्न समय में संशोधन लाने पडे हैं। यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। इसलिये इस कानून को सारे तौर पर रूलिंग आदि को देखने की आवश्यकता है। यह ऐसा मुद्दा है कि रूल्स और एक्ट में कोई इन्कम्पीटेन्सी तो नहीं है। इसको हाई कोर्ट में जाने से पहले ही चैक अप करने की आवश्यकता थी लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद में आपको मालूम होता है। मंडी कमेटी के जरिये काश्तकारों को बहुत लाभ होता है। वह बहुत अच्छी काश्तकार के लिये एक कानून इफेक्टिव बना है। मंडी कमेटी से बहुत सी बुराइयें उनकी कम हुई हैं। इसलिये इसको वापिस देखने की जरूरत है कि किस तरह से वर्किंग में डिफिकल्टी आती है। इसको एफ्रेश देखने की जरूरत है।

६३–६४ रूल्स के अनुसार राजस्थान ने जो कार्यवाही की है उसका पुराने एक्ट्स हैं वह तो सही हो जावेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्शन एन्ड रीजन्स पढते हैं तो इससे यह जाहिर नहीं होता कि इसका फरदर एक्शन क्या होगा। पहला एक्शन है वह तो वेलिडेट हो जावेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने जो डिसिज़न दिया है, उसमें जो भविष्य में काम होगा उसकी क्या स्थिति रहती है। एम्स एन्ड ऑब्जेक्शन्स को पढ़ने और हाई कोर्ट में पेश रिट पिटीशन को देखने से यह पता लगता है कि इस कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही तो इनवेलिड होगी। इसलिये इसमें यह लेकुना है और सदन को यह सोचना है कि भविष्य में क्या फर्दर एक्शन होगा। ऐसा न हो कि आपको फिर इसमें अमेन्डमेन्ट लाने की आवश्यकता पड़े। यह एक्ट है उसको फोर्स में लाने के लिये आपको कोई डिफिकल्टी आ सकती है! इसलिये रूल्स एन्ड लॉ को देखकर लॉ डिपार्टमेंट को चाहिये कि पूरी तरह से रूल्स एण्ड लॉज को देखकर काम करे यह नहीं हो कि फिर यह हाई कोर्ट में जावे और फिर यह बिल इनवेलिड हो और फिर यहां पर आपको संशोधन लाने की आवश्यकता पड़े। इसलिये इसको राजस्थान सरकार को देखने की जरूरत है। लॉ डिपार्टमेंट में इसको देखा जावे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जावे और इसमें जो गलती हो, लेकुना हो उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता हो, की जा सके। इसके अलावा और भी कई दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जावे और इसके बाद में सारी चीजों को वापिस एग्जामिन करके दूसरा बिल शीघ्र इन्ट्रोड्यूस किया जा सकता है। ताकि समय समय पर, हर समय विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि राजस्थान सरकार पहले तो देखती नहीं है बाद में एमेंडमेंट करती है, उनको भविष्य में यह कहने का मौका नहीं मिले और यह क्रिटिसिज्म बचाया जा सके और जो एक्ट है उसके तहत मार्केट को रेग्युलेट करने में डिफिकल्टीज़ हैं उनको दूर किया जा सके। इन्हीं मुद्दों के साथ में अपना संशोधन पेश करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६६ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन इसी सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इसके द्वारा काश्तकारों को बड़ी राहत मिलने वाली थी। इसको बहुत पहले ही लाया जाना चाहिये था। जब सेशन चला तो राज्य सरकार तीन ऑर्डिनेन्सेज, जिनको कि वह पहले ही जारी कर चुकी थी, उन तीन ऑर्डिनेन्सेज को विधेयकों के रूप में यहां सदन में लाई एक तो मवेशियों पर टैक्स लगाने का, दूसरा जिला परिषदों में एम० एल० एज० और एम० पी० के शपथ ग्रहण करने के सम्बन्ध में और तीसरा यात्री-भाड़ा के सम्बन्ध में। पर यह बिल इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी कृषि मन्त्रीजी ने इसको ऑर्डिनेन्स के द्वारा क्यों नहीं रिकग्नाइज करवाया? छोटी छोटी चीजों के ऑर्डिनेन्सेज ले आते हैं पर काश्तकारों को जिनसे तत्काल फायदा पहुँच सकता है उसको क्यों नहीं ऑर्डिनेन्स से लाया जाता?

माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें खामियां हैं। मेरा चार्ज है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरियेट आपका है, लॉ डिपार्टमेंट आपका है, ये सब क्या करते हैं? अगर आप यह समझते हैं कि ये काम नहीं कर सकते तो हटाइये इनको। यह विधान सभा ही जैसा तैसा विधेयक पास कर देगी और बाद में जो खामियाँ नजर आयेंगी उनको एमेंडमेंट ला कर ठीक कर लेगी। यह इतना बड़ा इम्पॉर्टेन्ट बिल है वह काश्तकारों के लिये बहुत ही जरूरी है। आप नहीं सोचते कि इससे क्या-क्या, किस-किस प्रकार के फायदे काश्तकारों को होंगे। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि इससे काश्तकारों को फायदा नहीं होगा, इसको मैं नहीं मानता। मेरी मान्यता है और यह निश्चित मान्यता है कि इससे निश्चित रूप से काश्तकारों को फायदा होगा। यह काश्तकारों के लिये बहुत ही आवश्यक है और इसको शीघ्र से शीघ्र पास किया जाना चाहिये। भवानीमण्डी में एक साल चुनाव हो गये। वाइस चैयरमैन भी चुन लिया गया। हम लोग आशा लगाये बैठे थे कि वहां मार्केटिंग कमेटी काम करने लग जायगी पर हमें बड़ी निराशा हुई। भवानी मण्डी में काश्तकारों की जिस प्रकार से लूट होती है, उसको उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। वहां मंडी में व्यापारियों का माल खरीदने का बड़ा अजीब और गलत सिस्टम है। बेचने वाले काश्तकार को कोई नहीं पूछता खरीदने वाला और काश्तकार का आड़तिया दोनों ही किसानों के अनाज का भाव आपस में मिल कर तय करते हैं। ज्यों ही एक काश्तकार की गाड़ी बाजार में पहुँची तो बाजार में पहुंचते ही वह गाड़ी किसान की नहीं रही। काश्तकार को मालूम ही नहीं होता कि उसका माल किस भाव से बिक रहा है, काश्तकार को आडतिया और खरीदने वाला व्यापारी ये दोनों ही मिल कर कीमत एनाउन्स कर देते हैं। दलाल द्वारा कीमत एनाउन्स कर देने के बाद एक चिट दे दी जाती है और जो व्यापारी खरीदता है उसके घर पर वह चिट व माल जाता है। और जब

(श्री गोविन्दसिंह)

वह तुलाता है तो कहता है कि एक क्विन्टल के पीछे दो किलो कड़दा काटूंगा, यह बट्टा काटूंगा, वह छीजत काटूंगा। खरीद करने वाला व्यापारी काश्तकार ग्राढ़तिया मिले हुए होते हैं। जो लोग दलाल मुनीम, रोक-ड़िया थे वे ही आज आढ़तिया बन गये हैं। पैसा तो उनके पास होता नहीं, बड़े आढ़तिये से रकम उधार लाते हैं। दस, पन्द्रह हजार रुपया ले आते हैं। उधार देने वाला आढ़-तिया उनके सामने शर्तें रखता है कि कम से कम इतना माल तो तुम्हें हमें देना पड़ेगा। वह बाजार में खड़ा है तो देखता है कि फलां आढ़तिये से मैं १० हजार रुपये लाया हूं, उस आढ़तिये को इतनी गाड़ियां देनी हैं। इस तरह से उसका इन्ट्रेस्ट केवल उस आढ़तिये में, जिससे उधार लाता है उसमें रहता है, किसान में उसका कोई इन्ट्रेस्ट नहीं रहता। और खरीदने वाला कहता है कि एक क्विन्टल के पीछे दो किलो कड़दा बट्टा काटूंगा और क्योंकि उस आढ़तिया से काश्तकार का आढ़-तिया दबा रहता है इसलिये वह काश्त-कार के हित के लिये कुछ नहीं बोलता। जैसा वह कहता है, जो शर्तें वह रखता है, उनको मंजूर कर लेता है। अगर कोई काश्तकार उस चीज़ को मंजूर नहीं करता है तो उसके पास चारा ही क्या रहता है। रात पड़ जाती है। अगर एक रात काश्तकार वहां मण्डी में ठहर जाता है तो उसको कितना नुकसान होता है? उसको चारे का नुकसान होता है, आदमी का नुकसान होता है और इस पर भी दूसरे दिन जायगा कहां? वही मंडी और वही लोग, इसलिये झक मार कर नुकसान खाकर उसको माल बेचना पड़ता है, सब शर्तें उसको स्वीकार करनी पड़ती हैं।

एक बोरी का वजन १४८ छटांक होता है, पर उसका वजन वह व्यापारी डेढ़ किलो काटता है, एक क्विन्टल के पीछे २ किलो कड़दा काटता है, काश्तकार परेशान हो जाता है। काश्तकार समझता है कि मेरे लिये गल्ला पैदा करना आसान है, पर गल्ले को बेचना मेरे लिए मुश्किल है।

१ पर्सेंट कमिशन का माननीय सदस्य ने कहा, दरअसल यह बात नहीं है सवा पर-सेंट तो कमिशन है। इसके अलावा धर्मादा है, नमूना है, दूसरा कड़दा बट्टा इत्यादि है, यह सब मिला कर दो-ढाई पर्सेंट कमिशन पड़ता है। इसलिये जो यह कहा जाता है कि इससे काश्तकारों को नुकसान होगा, यह सही नहीं है इससे काश्तकारों को नुकसान नहीं होने वाला है, इससे तो उनको फायदा होगा।

कपास के सीजन में हमारे यहां भवानी मंडी में पांच छः हजार रुपया रोजाना का काश्तकारों को नुकसान हुआ। व्यापारियों ने मन चाहे भाव से कपास खरीदा। किसान सुबह गाड़ी लेकर बाजार में आता है। उसके कपास की कीमत का भुगतान उसको रात के ११ बजे किया जाता है। इस प्रकार के कानून के बिना आज काश्तकारों को लूटा जा रहा है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वैसे ही इस बिल को काफी डिले कर दिया गया है। अगर आप काश्तकारों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इस बिल को आप जल्दी से जल्दी पास करें।

माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें खामियां हैं, इसके लिए मेरा निवेदन है कि इसकी खामियों को दूर करने के लिये इसको

(श्री गोविन्दसिंह)

प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, प्रवर समिति इसका देख कर, इसकी कमियों को दूर करके जल्दी से जल्दी इसे भेजे और इसे जल्दी से जल्दी पास किया जाय। अगर रियल सेंस में आप कहते हैं कि आप काश्तकारों के वफादार हैं, काश्तकारों के आप हिमायती हैं तो इसे प्रवर समिति को भेजकर जल्दी से जल्दी पास करें।

यह जो शंका आपको पैदा की जा रही है कि इससे काश्तकारों को नुकसान होगा, यह सही नहीं है। मैं कहता हूँ कि इससे काश्तकारों को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे काश्तकारों का बड़ा भला होगा, इसलिये इसको प्रवर समिति के पास भेज कर ऐसा फूल प्रूफ कर दिया जावे ताकि इससे काश्तकारों को फायदा हो और किसी प्रकार का लूपहोल इसमें नहीं रहे।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में हर तहसील हैड क्वार्टर पर मार्केटिंग कमेटीज बनाई जांय। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से घिरी हुई है, ऐसा नहीं हो कि कहीं हमारा गल्ला बाहर चला जावे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे प्रवर समिति में भेज कर अच्छी तरह से देख लिया जाये, इसे फूलप्रूफ बना दिया जाये। यही मेरा निवेदन है।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि उपज विपणी (संशोधन तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह बिल जिस भावना के साथ लाया गया है वह ठीक है पर उस भावना से काम नहीं किया जा रहा है। आज किसानों को लूटा जाता है। और दूसरी मंडियों के बारे में मैं नहीं कह सकता पर मैं चित्तौड़ जिले के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि बहुत सी जगह व्यापारी किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मजदूरी रखी है बोरी उठाने की और दूसरी वह भी बहुत कम रखी है।

इस बिल में बहुत सी खामियां हैं। तहसील से लाइसेंस ले, मंडी कमेटी से लाइसेंस ले, उसको भी पैसा दे, इसको भी पैसा दे, यह न्यायसंगत नहीं है। आगे ही जनता पर बहुत टैक्स लगे हुए हैं। आपको पंचायती राज में इस प्रकार का कानून नहीं लाना चाहिये आप इस पर अमल नहीं कर सकते क्योंकि आपका ध्यान दूसरी तरफ लगा हुआ है, अलग-अलग विभाग बना कर टालाटूली करते हैं। एक विभाग दूसरे विभाग के कार्यों में सहयोग दे तो इससे अच्छा कार्य हो सकता है।

आज देखा जाय तो किसान बहुत दुखी है, जंगलों में भील दुखी हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। रोटी और घास बगैर वह परेशान हो रहा है। हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो तरमीम कर दिया, फिर भी इसमें खामी बताई जा रही है।

बारबार नियमों को नहीं रखना चाहिए, उनको दुरुस्त करके रखना चाहिए क्योंकि आपके पास विद्वान् मौजूद हैं, आप उनसे क्या काम लेते है? क्योंकि कोई चैलेंज करता है तो आपकी बात चली जाती है। हम तो रोज देखते हैं कि आज यह कानून हाई कोर्ट में कैंसिल हो गया। आज वह हो गया, आपके यहां कोई दिमाग वाला आदमी नहीं है। ऐसे लोग आपने क्यों रखे हैं जिनकी

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

वजह से बारबार आपको नीचा देखना पड़ता है। सबके सब हुक्म लेकर हाई कोर्ट से क्यों आ जाते हैं? इसी तरह से जमीन की एलॉटमेंट में निवेदन है कि जमीन गरीबों को नहीं दी गई, साहूकार लोग ले लेते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आउट आॅफ पॉइंट न बोलें।

श्री चौसरसिंह बाबेल : इसी से संबंधित बोलता हूं। कृषि मंत्री का सबसे संबंध है। हमारे तहसीलदार ने तो ऐसा अन्याय....

श्री उपाध्यक्ष : हमारा संबंध केवल इसी बिल से है।

श्री चौसरसिंह बाबेल : जो काश्तकारों को जमीनें मिलनी चाहिए उसके बजाय दूसरे लोग ले जाते हैं। हमारे तहसीलदार ने एक जमीन ४०० बीघा जिसके लिए काश्तकारों और भीलों ने मिलकर दरख्वास्तें दीं तो तमाम एलॉटमेंट फर्जी हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें, माल मंडियो में बिके। आप ऐसे कानून नहीं बनाए जिससे जनता का नुकसान हो।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : यह बिल जो आया है उसके लिए मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजें। अभी तक जिन लोगों ने अपनी राय जाहिर की है उनमें किसी ने कहा है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, किसी ने कहा है कि इसे जनमत जानने के लिए भेजा जाय। इस प्रकार का बिल हमारे सामने १९६१ में पहले पेश हुआ, वह सही नहीं था। उसके बाद १९६३ में आया और अब यह बिल सामने आया है। सरकार का ध्येय है कि इससे किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इससे हमारे अन्न की उपज बढ़े। इस प्रकार जल्दी करने से किसानों को विशेष रकम नहीं मिलने वाली है। सरकार जानती है कि हमारे यहां पर अधिकतर लोग खेती करते हैं, ८० प्रतिशत खेती करते हैं, और जब भारत गुलाम था उस समय १२५ करोड़ एकड़ जमीन में खेती होती थी और ४५ करोड़ आबादी थी, और अब आबादी ४६ करोड़ है और आज सारे भारतवर्ष के अन्दर १३२।। करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती है, फिर भी अनाज की कमी है, इसका क्या कारण है? वह यह है कि किसान को अन्न की पूरी रकम नहीं मिलती, इसके कारण किसान खेत में अनाज नहीं बोता, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि नहीं बोता इसके एवज में कैश-क्रॉप बोता है जिससे अनाज की कमी आई है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मार्केटिंग से सम्बन्ध है।

श्री जोधसिंह चौहान : सरकार का ध्येय है कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। लेकिन इससे किसानों को लाभ नहीं होने वाला है क्योंकि इस बिल में प्रावधान है कि अगर किसान अपना अनाज बिक्री के लिए लेकर जायेगा तो वहां टैक्स देना पड़ेगा, दूसरी मण्डी में जायेगा तो वहां टैक्स देना पड़ेगा और तीसरी में

(श्री जोधसिंह चौहान)

जायेगा तो वहां भी देना पड़ेगा । इसी प्रकार से कई लूपहोल्स हैं इसलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए । इतना ही नहीं सरकार ने कई बार निर्णय लिये हैं कि हम मण्डियां खोलें । उदयपुर जिला परिषद् ने एक प्रस्ताव पास किया कि गिरवा क्षेत्र में मंडी खुले लेकिन आज तक वहां नहीं बनी । सरकार तो निर्णय लेती है लेकिन कार्य रूप में परिणत करना नहीं चाहती । अच्छा हो कि सरकार इस प्रकार जहां पर इन्टीरियर है, जहां बड़े-बड़े गांव हैं, बड़ी-बड़ी आबादी है, मण्डियां खोले । अगर उत्पादन बढ़ाना है तो किसान जो ज्यादा अनाज पैदा करे उनको सहूलियतें दें, । उनको बैंक से रकम मिल जाय जिस प्रकार एक व्यापारी को अपने व्यापार करने के लिए जो सहूलियतें बैंक से मिलती हैं वैसे ही अगर किसान को अपनी फसल बोते समय बहुत सी रकम मिल जाय तो ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो सकता है और समस्या का हल निकल सकता है । इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा मार्केट बना कर और मार्केट द्वारा टैक्स लगाकर किसानों को लाभ नहीं होने वाला है । हमारा देश कठिनाई से गुज़र रहा है । बड़ी-बड़ी मण्डियां बनाने से लाभ नहीं होने वाला है । लाभ तब होगा जब भारतवर्ष के ४६ करोड़ व्यक्तियों को खाने के लिए भोजन मिलेगा । वह तभी मिल सकता है जब किसानों को सहायता मिले, खाद्य-उत्पादन के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी, मैन्योर और रकम अनाज बोने के लिए मिल सके तो अन्न का उत्पादन बढ़ सकता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक वैलिडेटिंग बिल पेश किया है । सदन के माननीय सदस्यों के दो तरह के सुझाव हैं । बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस कानून को बनाने के बजाय जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाय । बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि इस कानून का वैलिडेशन करते समय इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । दोनों प्रकार के सुझाव उनके थे । यह कानून वैसे तो, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया कि यह महत्वपूर्ण कानून है और इसमें सन्देह नहीं कि काफी महत्व-पूर्ण कानून हमारे राज्य के लिए है क्योंकि इस कानून की वजह से राजस्थान के काफी लोग प्रभावित होते हैं जिनमें खास तौर से जितने किसान हैं और खेती करने वाले लोग हैं और जो सरप्लस प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, वे सब प्रभावित होते हैं । वह व्यापारी जो कि किसानों की इस पैदा-वार की खरीद-फरोख्त करता है, उन लोगों को भी इस कानून के नियन्त्रण में आकर काम करने की व्यवस्था में...

श्री जोधसिंह चौहान : देखिए कोरम नहीं है, जनता का मन्त्री में विश्वास नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप लेज़र (leisure) से आते हैं और जाते हैं । सदन में सबको आने-जाने की छूट है । जो दूसरे काम जरूरी समझते हैं वे ऐसा करते हैं, इसलिए यह कहना ठीक नहीं हैं कि जनता का अविश्वास है ।

(गण० पूरक घण्टी के पश्चात् पुनः)

तो मैं आप से निवेदन कर रहा था कि हमारे प्रान्त की काफी बड़ी जन-संख्या इस

Page No. 88

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कानून से प्रभावित होती है और इस कानून की अहमियत भी है जैसा कि मैं कई बार सदन में निवेदन कर चुका हूं कि इसके पीछे बहुत अच्छे इरादे हैं और उन इरादों को पूरा कराने में सोचता हूं, हर माननीय सदस्य का मत है कि खेती का उत्पादन करने वाले लोगों को इस कानून और नियमों का लाभ मिलना चाहिये। यह बात ठीक है कि कानून बने चार वर्ष हो गये। नियम बनने में काफी देरी हुई, क्योंकि यह कानून काफी कॉम्प्लीकेटेड कानून है और हिन्दुस्तान के बहुत से प्रान्त हैं और इलाके हैं उनमें ऐसा कानून अभी लागू भी नहीं हुआ है। बहुत से प्रान्तों में लागू है वह भी बहुत थोड़े अर्से पहले लागू हुआ है। इसके नीचे नियम बने हैं, अलग-अलग प्रकार की स्थिति को देख कर नियम बने हैं। हमारे प्रान्त में इस कानून को सदन ने बैठ कर पारित किया। उसके नीचे नियम—उप-नियम बनाये गये और उसके अन्तर्गत मार्केट रेगुलेट करने की कोशिश की गई। जैसा मैंने निवेदन किया था कि इस काम को शुरू किये थोड़ा अर्सा हुआ है। कुछ दिनों पहले एक ऑर्डिनेन्स पास किया था और सदन में उसको कानून के रूप में पारित किया था। मंडियों को ए. बी. सी. डी. में विभाजित किया था। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि हमारे प्रान्त मे कुल १३१ मंडियां हैं। उनमें से ५० मंडियों का गठन किया था जिनको चार-छः महीने का अर्सा हुआ है। उसके बाद भी उस दिशा में ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स इस कानून के नीचे नियन्त्रित हों इस व्यवस्था को चालू रखा है और आज इस सदन को बताना चाहता हूँ कि करीब ७४ मार्केट कमेटियों का गठन हो चुका है और उनके नीचे सब-मार्केट यार्ड्स को मिला कर करीब ६४ की तादाद में हमारे मार्केट्स हैं जो इस कानून के नीचे आते हैं। बड़ी तेजी के साथ इस कानून के जरिये उन मंडियों के नियन्त्रण का काम कर रहे हैं। जैसा मैंने निवेदन किया बहुत से व्यापारी भी प्रभावित होते हैं इस कानून से क्योंकि इस के नियन्त्रण में रह कर उनको लाइसेन्स लेना होगा। उनको नियम और उपनियम के अन्तर्गत बंध कर एक व्यवस्था के निचे काम करना पड़ता है।

तो पुरानी मंडियों और बाजारों में जो एक प्रकार की व्यवस्था उनके जरिये चलती थी मैं नही कहता कि सारी की सारी व्यवस्था गलत थी। आम तौर पर जो पुरानी व्यवस्थायें थीं उनकी कमियों को माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। किसानों के माल को तुलवाने और खरीदने की पुरानी व्यवस्था मार्केट में है। नये वेट्स एन्ड मेजर्स का उपयोग न करना, प्रोड्यूसर्स से कांटा, धर्मादा लाग-बाग मंडियों में वसूल करते थे, छानना और दूसरे तरीकों से जिस तरह से भी हो, जिस तरीके से चाहते उस प्रकार हैन्डल करते थे। और उस दृष्टि से जो भी पैसा इन व्यापारियों के पास में या इनके संगठनों के पास में इकट्ठा होता था उसका प्रॉपर हिसाब रखना और कहां पर उपयोग करना और कहां पर नहीं करना, यह तो कुछ के ही हाथ में था और कन्ट्रोल करने की कोई व्यवस्था बाजार में नहीं थी। इसलिये यह सोचा गया कि किसान ऐसे मार्केट में आयें जहां यार्ड्स हों सुख-सुविधा हों, नियमों के अनुसार कार्यवाही हो इस कानून के द्वारा और इसके नियम और उप-नियमों के द्वारा हमने यह कोशिश

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की। उन पुराने रीति और रिवाज में नहीं बधना चाहते थे उन व्यापारियों ने इसमें कमियां ढूंढने की कोशिश की। वे हाई कोर्ट में गये। कुछ कमियां मिलीं भी। कानून और उसका इन्टरप्रिटेशन. इन्टरप्रिटेशन का समुद्र इतना अगाध है कि यह कोर्ट्स पर ही निर्भर करता है। हमारे बावजूद काफी छानबीन के भी, लॉ डिपार्टमेंट के काफी छानबीन के बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं और हाई कोर्ट जाते हैं और वे गलतियां होने के कारण कुछ सुधार का सुझाव देती हैं और कुछ धाराओं को वॉयड करार देती हैं तो सदन का कर्त्तव्य हो जाता है कि जो कमियां बतायी हैं उनको दूर करे। सदन का काम ही यही है कि समाज की व्यवस्था को चलाने के लिये कानून बनाये, नियम बनाये। ऐसा नहीं हो सकता कि गलतियां न रहें क्योंकि मनुष्य काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसमें कमियां रहना संभव है।

जैसा मैंने निवेदन किया यह सारे देश के लिये नया कानून है। मुद्दों की दृष्टि से और कानून में छोटी २ बातों को चैलेन्ज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और पैरवी करते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है। क्योंकि हमारे विधान के नीचे सब लोगों को ऐसा करने का अधिकार है। तो इसमें उन्होंने गलतियां पायीं। एमेन्डिंग बिल प्रस्तुत किया गया और मंडी कमेटियों ने कार्यवाही की खास तौर से 'सेस' शब्द को कानून से हटा दिया, लेकिन नियमों में लिखा रह गया तो नियमों को वॉयड करार दे दिया। 'सेस' के बजाय 'फीस' नहीं रखा इसलिये उसको वॉयड करार दे दिया। मार्केट एरिया लिखा रह गया। हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि नियम और कानून का कॉन्सोनेन्स नहीं है। नियमों में दायरा बढ़ा दिया गया वे इन्वेलिड हैं और उनके नीचे सेस वसूली की कार्यवाही की गई वह अवैध है इसलिये आप विचार कीजिये कि इस फैसले के बाद सारी मंडी कमेटी के द्वारा किया हुआ काम अवैध हो गया। उसको वेलिडेट करने के लिये सब मंडी कमेटियों ने लाइसेन्सेज इश्यू किये ऑर्डिनेन्स, कानून और नियमों के बाद भी और पहले भी और उनको ठीक करने के लिये यह वेलिडेटिंग कानून आपके सामने लाया गया है। हमने यह कहा कि जहां मार्केट लिखा गया है वह वहां पर मार्केट ही समझा जावेगा और सेस लिखा है उसकी जगह 'फीस' समझा जावेगा। धारा को ड्राफ्ट किया है तो उसके बाद भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। उनको मैं बाद में एमेन्डमेन्ट के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा। उसको अच्छी तरह से क्लीयर कर दिया जावे ताकि शंका की गुन्जाइश नहीं रहे, इस दृष्टि से एमेन्डमेन्ट रखे जावेंगे। 'मार्केट' जहां लिखा है वहां 'मार्केट' ही समझा जावेगा और 'सेस' जहां लिखा है वहां 'फीस' समझा जावेगा। माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं। मेरे अधिकारियों से सलाह करके दो-तीन छोटे २ शब्द जोड़ने का है वह संशोधन के रूप में पेश करूंगा। इस कानून के पीछे जो मंशा है, सब माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं आम लोगों की बहतरी की मंशा है। इसको जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिये और रेग्यूलेट होना चाहिये। इसी फाइनेन्शियल साल के अखीर तक सारी की सारी मंडियां रेग्यूलेट हो जावेंगी ताकि कृषि-उत्पादन की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चीजों की अच्छी प्रकार से व्यवस्था हो सके। इसके लिये लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचता हूं, इस कार्यवाही को हाथ में लिया है, उसको पूरा करेंगे। उस विषय पर माननीय सदस्यों को चिन्ता करने की आवश्यकता नही है। एक साल बाद वे यह जानकर खुश होंगे कि सारे मार्केट्स रेग्यूलेट हो चुके हैं और इलेक्शन के बाद जो स्वरूप बना है वह दूसरा होगा।

किसानों के नुमायन्दे भी हैं और दूसरे लोगों के नुमायन्दे भी हैं। वे सब लोग बैठ कर उनके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से यार्ड बनायेंगे। इस पर बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता जाहिर की कि आज हमें उत्पादन बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट इरिगेशन के बारे में, पॉवर के बारे में, कुएं खोदने के बारे में, अच्छे साधन देने के बारे में, ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। कन्स्ट्रक्शन एक्टीविटीज़ को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए। नये मार्केट यार्ड्स बनाने की आवश्यकता नहीं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बहुत बड़ा कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम हो ऐसी बात नहीं है। मण्डी कमेटियों के पास न इतने साधन ही हैं जो बहुत बड़े कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम को हाथ में ले सकें। केवल मार्केट यार्ड की बात करेंगे लोकेलिटी उसके लिए मुकर्रर करेंगे। जब कभी साधन होंगे तो किसानों के ठहरने के लिए जगह, पीने के लिए प्याऊ, बैलों के ठहरने का स्थान, आदि, व्यवस्था कायम करेंगे, वे तुरन्त ही ये सब व्यवस्था करें, इसकी आवश्यकता नहीं। ज्यों-ज्यों साधन उनके पास बढ़ते जायेंगे उनके अनुसार वे सुविधायें भी बढ़ाते जायेंगे। अभी तो केवल मामूली अहाता मुकर्रर किया जायगा। उसमें एक पानी की प्याऊ और दरख्त आदि लगाए जायेंगे ताकि छाया में लोग-बाग बैठ सकें। आम तौर पर किसान वहां जायेंगे। उनके ठहरने के लिए, व्यापारी जो अपना व्यापार ऑपरेट करते हैं उनके लिए जो मजदूर वहां काम करेंगे उनको बुनियादी तौर पर सुविधायें उपलब्ध हों, ये कमेटियां अपने रिसोर्सेज़ को देखकर इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसकी वजह से उत्पादन-क्षमता में, प्रोडक्शन के लक्ष्य में कोई बाधा पहुंचती हो, यह बात नहीं है।

वैसे माननीय सदस्यों ने बोलते हुए इस बिल का काफी स्कोप बढ़ाने की कोशिश की है। इसमें उत्पादन के मामले को भी जोड़ा गया, खाद्यान्न की मुसीबतों का भी जिक्र किया गया, उत्पादन ज्यादा तेजी से बढ़ाना चाहिए, इसके साथ वितरण की बात को भी जोड़ा गया। मेक्ज़ीमम भावों की भी बात कही गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने कृषि की मांग के सिलसिले में....

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु.) : जोड़ा इसलिये गया की मन्डी में अनाज कहां मिलता है....

श्री नाथूराम मिर्धा : मन्डी अभी क्या सूनी थोड़े ही पड़ी हुई हैं, कौऐ थोडे ही बोलते हैं, मन्डियां तो चल रही हैं।

उत्पादन के सिलसिले में बोलते हुए मैंने कृषि की जब मांग सदन में आयी उस समय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उत्पादन के सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं बड़ी लम्बी-चौड़ी व्याख्या करते हुए मैंने बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है, राज्य सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कर रही है ? उन सब बातों का उस समय जिक्र किया था। अकाल ही पड़ जाय और आज जैसी स्थिति पैदा हो जाय जब कि ११ हजार गांवों में राजस्थान में अकाल है, कम पैदा हुआ है, बरसात ही नहीं बरसे, कुओं में पानी न रहे, नदियों में पानी न रहे इसका उत्पादन पर असर होता है तो यह खाद्य मन्त्री के हाथ में नहीं, न सरकार के हाथ में ही है। इसमें इन्सानों की सरकार कुछ नहीं कर सकती, देवताओं की सतयुग में कभी उतरकर चली आय तो वह कर सकती है। इन्सान के बूते के अन्दर जो बात है वह सब करने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। अभी दिल्ली में खाद्य मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें इन सब मसलों पर चर्चा हुई थी, आने वाले सालों के अन्दर, पांच साल के अन्दर हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे हम देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें। उन्नत बीज काफी बड़े एरिया में फैलाकर, फर्टीलाइजर की जितनी जरूरत हो उसके साथ जोड़कर, माइनर इरिगेशन को तेजी से बढ़ाया जावे जितने करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करें उतने लेवल तक हम इस उत्पादन को ले जावें। इन बातों के बारे में हर लेवल पर फैसला करने की आवश्यकता है। फैसला तकरार के साथ किया जा रहा है मुझे भरोसा है कि आने वाले पांच साल के अन्दर हम जिस प्रकार की योजना हाथ में लेना चाहते हैं जो बातें हमारे सामने आयी है उसको देखते हुए देश के लोग मिल कर के, उसमें किसान भी साथ है, सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करके हम कोशिश करें तो निश्चित तौर से उत्पादन आने वाले सालों में ६४ से ६५ मिलियन टन तक पहुंच सकता है। इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं है। यदि नॉर्मल साल रहे ईश्वर की तरफ से भी हमारे पर दया रहे और हमारी तरफ से पूरे एफटर्स हों तो यह कोई मुश्किल नहीं है।

वितरण के बारे में भी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। खाद्यान्नों की देश में कमी है इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़े पैमाने पर हमें खाद्यान्नों को इम्पोर्ट करना पड़ता है। चावल, माइलो आदि भी दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है खाद्यानों की कमी को दूर करने के लिए। इसका मतलब है देश में उत्पादन की कमी है। जिस समय हमारे देश में उत्पादन की कमी है तो हमारे सामने एक लक्ष्य रहता है कि जो भी कुछ है उसका वितरण ठीक प्रकार से हो उसके लिये जो व्यवस्था आवश्यक होती है वह करने की चेष्टा करते हैं जिससे कम से कम संकट हो। यही दृष्टिकोण हमारे सामने रहा है। हमने फूड कॉन्फ्रेंस में भी इस बारे से सोचा था। अलग-अलग प्रान्तों के मुख्य मन्त्री और खाद्य मन्त्रियों ने यूनियन मिनिस्टर्स के साथ बैठकर इस समस्या के बारे में विचार किया। यहां भी जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें फूड जोन्स को खत्म करने के बारे में चर्चा रही। उन चर्चाओं के आधार पर हमारे सामने इसका क्या आॅल्टर्नेटिव हो सकता है, हम किस प्रकार की व्यवस्था को अपनायें, इस सारे मसले पर गम्भीरता से सोचा गया। हर

Page No. 92

(श्री नाथूराम मिर्धा)

राज्य के मुख्य-मंत्री से अलग अलग राय ली गई। जब हमारे देश में अनाज की कमी है, कमी की वजह यह भी है कि हमारे यहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसी स्थिति में इस कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिये। क्या सारे देश को एक जोन में ला दें कन्ट्रोल और नियन्त्रण नहीं रहेगा। व्यापारियों को छूट हो जायगी, सारा अनाज खुला हो जायगा, व्यापार पर कन्ट्रोल नहीं रहेगा, चीजें मिल जांय एक तरह से यह ठीक है व्यापारियों को खुली छूट मिल जायगी। लेकिन इस बारे में आपने सोचा है कीमतें कहां पर जाकर ठहरेंगी? उसका कौन जिम्मेवार होगा? इस पर सभी चुप हैं। किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा।

हमें यह सोचना है सारे देश के ज़ोन्स हटाकर सारे देश को एक ज़ोन मान लिया जाय। इधर-उधर आने जाने में किसी प्रकार रोक नहीं रहे, किन्हीं चीजों की कीमतें तो इतनी ऊंची चली जायंगी, आसमान को छूने लगेगी कि इस देश के पचास प्रतिशत लोगों के खरीदने के दायरे से बाहर हो जायगीं कि वे खाद्यान्न जैसी भी चीज खरीद सकें। इसलिए इस प्रकार की छूट देना क्या उचित है? तो कोई भी जिम्मेदार सरकार इस प्रकार का फैसला कि देश में कोई जोन हो नहीं रहे, खास तौर से आज की इन अकाल की परिस्थितियों में, नहीं कर सकती।

दूसरा आॅलटर्नेटिव और हो सकता है कि लार्जर ज़ोन बनें जैसे पहले थे। दो-तीन प्रान्त जुड़े हुए थे। उस व्यवस्था को अख्तियार करें तो क्या होगा? मैं निवेदन करूं कि इस पर भी गौर करने पर हम इसी निर्णय पर पहुंचे कि आज जो एक-स्टेट का एक ज़ोन मानकर चलें तो ऑइल सीड्, पल्सेज़ जिन पर जनरल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वे सारे के सारे हमारे देश में एक जोन के रूप में आते जाते हैं, सिर्फ कोर्स ग्रेन और व्हीट को छोड़कर। कोर्स ग्रेन में चना है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का वगैरह है। इनको एक एक स्टेट का ज़ोन मानकर आने-जाने की छूट दी है। अब इसमें जो खामियां हैं वे दूर की जानी चाहिये। ये जिस स्टेट में सरप्लस हों उस सरप्लस को मॉप आफ करके उस सरप्लस को डेफीसिट स्टेट में कैसे पहुंचाया जावे यह प्रॉब्लम है। बाकी ज़ोन इनके लिए भी खोलना खतरे से खाली नहीं है। तो इसको सरप्लस से डेफीसिट ज़ोन में कैसे पहुंचाया जावे इसको हल करने का भी रास्ता निकाला है। फूड कॉर्पोरेशन बना है भारत सरकार का जो राज्य सरकारों में कई जगह काम करने लगे हैं। उसके जरिये हमारे यहां जितना भी सरप्लस है चाहे कोई भी नाज हो, नया व पुराना, उसको मॉप आॅफ करके उसे फूड कॉर्पोरेशन के जरिये डेफीसिट स्टेटों में पहुंचाया जावे।

श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा): इन्टरप्शन के लिए क्षमा चाहूंगा। आप इन ज़ोन्स को रिटाईर कर दें। इससे यह होगा कि पानी जैसे लेवल पर आ जाता है उसी तरह से ये भाव भी नेचुरल कोर्स में अपने आप अपने स्थान पर आ जावेंगे। जहां सरप्लस होगा वहां से निकल जहां डेफीसिट होगा वहां की पूर्त्ति होकर अपने आप स्थिर हो जावेगा, और कुदरत का नियम प्रिवेल कर जावेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बात को मैं पहले कह चुका । कुदरत का भरोसा छोड़ दें। आप अगर कुदरत पर भरोसा रख कर चले तो जहां कमी है वहां क्या भाव होंगे और वहां क्या होंगे जहां ज्यादा है पर जहां से अनाज निकल जावेगा ? वे कीमतें इतनी ऊंची चली जावेंगी कि पचास फी सदी हमारे देश की जनता के बूते से बाहर की बात होगी कि उनको खरीद सके। इन तेज भावों के खाद्यान्नों को हमारे देश की पचास फी सदी जनता नहीं खा सकेगी।

श्री अमरसिंह जासोल : यह तो जितना ज्यादा आप कन्ट्रोल करेंगे उतने पैसे बढ़ेंगे, जितना कन्ट्रोल हटावेंगे उतनी ही कीमतें कम होंगी। फिर आपके पास अपना स्टॉक भी तो है, अमेरिका से आया अन्न भी तो है। जहां ऐसा हो वहां वह देने का प्रबन्ध करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका दृष्टिकोण मैं समझ रहा हूं और उदारता से समझ रहा रहा हूं।। पर आपका दृष्टिकोण मैं अपना नहीं सकता । आपको थ्योरी में कहना है, और हमें प्रेक्टिस में लाना है, हमें इसका इन्तजाम करना है ।

श्री श्रवणलाल : यह तो कुदरत का उसूल सही साबित हो चुका । आपने कन्ट्रोल हटाया कि आप देख लीजिये । आज जयपुर के बाजारों में खुले आम गेहूं मिल रहा है। और ब्लैक से कम भाव पर मिल रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो जोन के बारे में मैं निवेदन कर रहा था कि जोन एक स्टेट के जोन को आज छोड़ने की स्थिति में हम नहीं हैं। पर देश में क्यों-कि कमी है तो इसके लिए यह किया जा सकता है कि जिस स्टेट में जो सरप्लस हो उसको मॉप आफ करके फूड कार्पोरेशन के जरिये चाहे व्हीट हो चाहे चना हो, पुराना धान हो कोर्स ग्रेन हों, उस सारे को हम सरप्लसेज को मॉप आफ करके दूसरी स्टेट में जल्दी से पहुंचा सकते हैं, यह हमें करना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां पहुंचा सकते हैं। डिस्ट्रि-ब्यूशन का सवाल जहां है, वहां सारे देश की परिस्थितियों को समझकर हमें नीतियां निर्धारित करनी पड़ती हैं।

बेसिक तौर से सारे देश में खाद्यान्नों के भाव एक सरीखे रहें, उद्देश्य के रूप में यह बड़ा सराहनीय है। पर इन सारी चीजों को करने के लिए जैसा मैंने आप से निवेदन किया कि सब स्टेटों के दृष्टि कोणों में फूड कॉर्पोरेशन को सहयोग देकर और लेकर जिसके जरिये कि हम प्राइवेट ट्रेड की कुछ लिमिटेशन कायम करना चाहते हैं, समानता आ जावे तो काम आसान होगा। अगर यह स्टेटों का सहयोग इस कॉर्पोरेशन को सब जगह अच्छी तरह से मिलेगा, जैसा सब स्टेटों के चीफ मिनिस्टरों ने वादा भी किया है, तो निश्चित तौर से इसमें सुधार होगा । और जो आज अलग-अलग प्रकार की स्थितियां हैं सारे देश में और देश के अलग-अलग प्रान्तों में वे करीब करीब एक स्तर पर आ जावेंगी। जो सरप्लस है, या मार्जिनल सरप्लस है, या जो डेफीसिट है, या ज्यादा डेफीसिट है उन सब में वहां की परिस्थितियों का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अच्छी तरह से अध्ययन करके यह कॉर्पोरेशन अपना काम करेगा तो कीमतों में भी काफी, एक सीमा तक, लेवल हमारे सारे देश में देखने को मिल सकता है ।

जहां तक राजस्थान का प्रश्न है गेहूं के बारे में कहा कि जिसके पहले मैं पहले ही कह चुका हूं कि दो साल पहले मैग्जिमिम के लिए हमने आशा की थी कि मैग्जिमम प्राइसेज को अपनाने से ६४-६५ में यह मिल जावेगा और उस समय जिस प्रकार का उत्पादन था और जैसी हालत हमने सोची थी उसमें वह ठीक था । पर उस उत्पादन में फर्क आ गया । अकाल हो गया । जिस साल हमने सोचा था उस साल-अच्छा जमाना था । पर हमारे कैलक्यूलेशन कुदरत की वजह से गलत हो गये । कमी का वातावरण ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, भाव भी चढ़ते गये । यह स्थिति कई दिन तक हमने देखी । फिर भी इन्तजार किया कि नेक्स्ट फसल में अच्छी पैदावार हो तो कायम रख सकेंगे । पर तब इतने बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा परिणाम स्वरूप बाजार में गेहूं नहीं मिलने लगा, चुपके चुपके माल ऊंची कीमतों पर बिक रहा था तो गवर्नमेन्ट ने सोचा कि उच्चतम अच्छी किस्म की गेहूं कि हमने कीमत तय की थी, वह सम्भव नहीं है मिलना तो इसकी वजह से सोचा कि यह लिमिट हटाना जरूरी है तो हमने हटा भी दिया ।

आगे के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जो राज्य की फसल है चाहे चना हो, चाहे हमारा कोर्स ग्रेन हो, उसके ऊपर हम जो कुछ जैसा हमने अब उसे खरीदने की व्यवस्था कोटा डिविजन में प्रतापगढ़ और गंगानगर में की है, जो उत्पादन है राजस्थान में एक दूसरी जगह जा-आ सके वाजिब कीमतों पर मिल सके, इस व्यवस्था को चालू रखना चाहते हैं । आप इससे सहमत होंगे । चना पहली बार ७।। लाख टन पैदा हुआ था । इस साल साढ़े चार, पांच लाख टन पैदा हुआ है । तो इतनी बड़ी मात्रा में राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान में चने की कीमत ५५ क्विन्टल तक जो बेचना चाहे हमारे फूड कॉर्पोरेशन को बेचे वह खरीदने को तैयार है । वैसे मैंने ३१ मार्च तक पुराने चने के बारे में ५५ तक फिक्स किया था । ३१ मार्च तक दे दिया ठीक है । नहीं तो फूड कॉर्पोरेशन क्या करे, यह सोचना पड़ेगा । व्यापारी लोग होशियार लोग हैं ।

जब उन्होंने ज़ोन के डिसीजन की बात सुनी कि दिल्ली में इसके बारे में बात चलने वाली है तो वे आशा लगाये बैठे थे कि जोन टूट जावेगा तो कमाई का मौका मिलेगा । इसलिये पुराना चना उसने स्टॉक से नहीं निकाला । व्यापारी हमेशा अपना बेनीफिट सोच कर उच्चतम लेवल पर चलता है । तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है । राजस्थान का सरप्लस चना हो, व्हीट हो, फूड कॉर्पोरेशन के मार्फत ही खरीदा जावेगा और जो राजस्थान की नीडं को पूरा करने के बाद बचेगा तो वह राजस्थान से बाहर डेफीसिट एरिया में फुड कॉर्पोरेशन के मार्फत ही जावेगा । प्राइवेट ट्रेड के मार्फत नहीं जावेगा । तो जो पॉलिसी प्रान्त ने अपना

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रक्खी है उस बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी खराब हालत अकाल की होते हुए भी मण्डियों की पोजीशन यह है कि सब प्रकार का धान राजस्थान की सभी मण्डियों में अवेलेवल अच्छी क्वान्टिटी में और अच्छी क्वालिटी में भी आज दिन भी है। कीमतें उनकी दूसरे सूबों के मुकाबले में अच्छी है। स्वयं पंजाब की कुछ जगहों को छोड़कर दूसरे प्रान्तों में जो कीमतें हैं उससे कम लेवल पर यहां उपलब्ध है और आज भी कीमतों की ट्रेन्ड डाउनवर्ड है।

श्री अमरसिंह जासोल : गये साल आपने जैसा कहा कि साढ़े चार लाख, पांच लाख टन हुआ, उसमें से बरबाद कितना हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक दाना भी नहीं हुआ ?

श्री अमरसिंह जासोल : आपका जो स्टॉक पड़ा है उसकी क्या पोजीशन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब डिस्पोज ऑफ कर दिया, मैंने बता दिया न। अमरसिंहजी साहब आपकी बातों का मैं इस समय क्या जवाब दूं।

श्री अमरसिंह जासोल : इसीलिए क्षमा चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको इसकी डिटेल अलग से बता दूंगा। एक एक दाने का हिसाब बता दूंगा।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जिन नीतियों को हमने लगातार चालू रखकर प्लान्ड वे में देखा है उसके परिणाम अब आने लगे हैं और उसके जरिये आज हमारे यहां एक प्रकार की स्टेबिलिटी है। रवी की क्रॉप ऑडिनरी क्रॉप से करीब साठ-सत्तर फी सदी कम भी मानें तो भी जो उत्पादन होगा उसको ध्यान में रखकर पुराना जो स्टॉक है, पुराने व्यापारियों के पास है जिसके लिये वे बहुत कोशिश करते है अनलोड करके, एक्सपोर्ट करके कमाई करने की वे सपने उनके पूरे होंगे नहीं। यह कह सकते हैं कि हमारी मण्डियों के भाव नीचे की तरफ हैं और इसका सुबूत तो जनता है। आप कहीं जाकर देख लें। बाहर के लोग आकर यहां की हालत देखकर जाते हैं। वे भी सब जगह घूमते हैं तो हिन्दुस्तान के और हिस्सों के खाद्यान्न के प्राइसेज की दृष्टिकोण से, अवेलेबिलिटी के दृष्टिकोण से, उसकी किस्म के दृष्टिकोण से किसी तरह देखें, राजस्थान की व्यवस्था में निश्चित तौर से एक टिकाव आया है और ये सारी चीजें जनता को काफी मात्रा में उपलब्ध हैं और बावजूद इतने बड़े काल के जो हाल ही में यहां पड़ा और जो हालत छः आठ महीने पहले यहां थी उससे हम कितने ठीक हो गये हैं आज। यह स्थिति आज हमारे सामने है।

(४. म. प.)

और ज्यादा उसके सिलसिले में नहीं कहकर जो कुछ भी दृष्टिकोण या पॉलिसी के हिसाब से क्योंकि प्रश्न उठा दिया गया तो मैंने कुछ बातें खुलासा तौर पर कहना उचित समझा, उसको मैंने आपके सामने निवेदन किया। वितरण आदि की बातें

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इससे संबंध नहीं रखतीं और जिन माननीय सदस्य ने यह बात कहा थी वह यहां सदन में सुनने को हाजिर नहीं हैं। लेकिन वह सुन लेंगे और व्यापारी और किसान को भी क्या पॉलिसी है उसके बारे में ज्ञान हो जायेगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस बिल को, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि यह एक वेलीडेटिंग बिल है और इसको वेलीडेट करना जरूरी है क्योंकि मन्डियां जिनका काम अभी स्टेण्डस्टिल पड़ा है उनको भी चालू करना है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वह जो कुछ भी हमने इसमें क्लॉजिज रखे हैं उसमें एक दो वर्ड्स जोड़ना जरूरी है, वह मैं आपके सामने अमेन्डमेन्ट पेश करूंगा। क्योंकि यह बिल बहुत अच्छा है और इसके उद्देश्य भी बड़े पवित्र हैं, इसलिए इसको जनमत जानने को और प्रवर समिति को भेजने से बहुत विशेष महत्व इस बिल का हल होने वाला नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सब प्रस्तावों को माननीय सदस्य वापिस ले लें और इसको विचारार्थ ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव तीन माह, एक माह इत्यादि के लिए और जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए आये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सिलेक्ट कमेटी को भेजने का जो मेरा प्रस्ताव है उसको मैं वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़) : मैं भी विद्ड्रॉ करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(४. ३ म० प०)

नाथद्वारा मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६

पुरः स्थापन

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय; मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान कृषि-उपज विपणि (वैधकरण उपबन्ध) विधेयक १६६६

श्री उपाध्यक्ष : Clause 2. now we again take up to the previous beli.

Page No. 97

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ के ऊपर क्योंकि कुछ बातों की बहुत खुलासा होने की बहुत जरूरत थी इसलिए कुछ संशोधन मैं आपके सामने पेश करता हूं :

"1. After the words 'The Rajasthan Agricultural Produce Markets Rules, 1963, insert the expression 'hereinafter referred to as the said Rules.'

2. In sub-clause (2), after the word 'issued' occurring for the second time, the words 'for operating in a market' shall be inserted.

3. After sub-clause (2) and before the proviso, insert the following new clause; namely:—

'(3) rules 69 to 74 of the said Rules shall, as from 26th day of August, 1965, be deemed to have been validly made as if—

(a) for the word 'cess' wherever occorning in the said rules, the word 'fee' were substituted; and

(b) for the word 'market area' occurning in rules 69 (4) and 72 (1), (3) (iv) and (4) of the said Rules, the word 'market' were substituted;

and for removal of doubt it is hereby declared that the said Rules shall as from the said date be construed accordingly."

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाह रहे हैं ?

श्री श्रवणलाल : मैं बोल तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि पहले किसी भी मण्डी के अन्दर जो किसान अपना धान ले जाता था उसके लिए वहां के किसान से धर्मादा के रूप में और अन्य जो व्यापारी उनसे अपनी आड़त के रूप में या किसी भी माल से जो ठीक नहीं होता है उसकी उचित रूप से ठीक करने की दृष्टि से जो किसान को परेशानी होती थी क्या वह परेशानी इस मण्डी कमेटी में उनसे कोई धर्मादा या जो व्यापारी के यहां कठिनाइयां होती थीं वहां नहीं होंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, नहीं होंगीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन मंत्री महोदय ने पेश किया, उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ वह स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज २, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज १, प्रिएम्बल, टाइटल और इनेक्टिंग फॉरमुला प्रस्तुत विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल, टाइटल और इनेक्टिंग फॉमुला विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(विराम)

अब चूंकी बिजिनेस खत्म हो गया है अतः सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४ बज कर ८ मिनट पर दिनांक १२ अप्रेल, १९६६ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बयाना का परीक्षा केन्द्र

७१७. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बयाना, जिला भरतपुर से हायर सैकण्ड्री परीक्षा का केन्द्र हटाया जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम दोराला में अनधिकृत कब्जा

७१८. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (थोई) : क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम दोराला के अन्तर्गत तहसील श्री माधोपुर की गोचर भूमि पर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि वहां की पंचायत व अन्य जन-प्रतिनिधियों ने उपरोक्त गोचर भूमि से अनधिकृत कब्जा हटवाने के लिए जिला के समस्त रेवेन्यू अधिकारियों तथा रेवेन्यू बोर्ड तक को लिखा परन्तु इसके बावजूद भी कोई कारवाई नहीं की गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? जिन सम्बन्धित अधिकारियों ने इस मामले में अपनी कर्तव्यपरायणता नहीं दिखलाई है क्या राज्य सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

(३) इस गोचर भूमि से कब तक अनधिकृत कब्जा हटा दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इसमें कार्यवाही शुरू की गई परन्तु अब मामला अदालत के विचाराधीन होने से फिलहाल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(३) अदालत के फैसले के बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

प्राथमिक कन्या शालाओं का माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन

७१९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा कालू तथा नापासर की प्राथमिक कन्या शालाओं में छात्राओं की पर्याप्त संख्या है ? अगर हां, तो क्या सरकार इन स्कूलों को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने का इरादा रखती है ?

(श्री भीमसेन)

(२) क्या यह है सरपंच, कालू उक्त उद्देश्य हेतु भवन बनाने को तैयार है तथा नापासर के नागरिक किराये के भवन का प्रबन्ध करने को तैयार हैं ?

उत्तर

(१) प्राथमिक कन्या शाला, नापासर को माध्यमिक शाला में १-७-६४ से प्रोन्नत करने की स्वीकृति कुछ शर्तों पर दी गई थी परन्तु शर्त पूरी न होने के कारण इस शाला का स्तर उच्च न हो सका। प्राथमिक शाला, कालू को प्रोन्नत करने के प्रस्ताव पंचायत समिति व जिला परिषद से प्राप्त नहीं हुये थे। इस शाला की ५ वीं कक्षा में छात्रों की संख्या केवल ८ ही थी जबकि कम से कम १० होनी चाहिये फिर भवन के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अतः यह शाला प्रोन्नत न हो सकी। यदि ये शालाएं भी शर्तों की पूर्ती करती होंगी और प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो दूसरी शालाओं के साथ साथ इन पर भी विचार किया जा सकेगा।

(२) ऐसी कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

चरागाह की जमीन पर नाजायज कब्जा

७२०. **श्री हुरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील प्रतापगढ़ में कितनी ऐसी पंचायतें हैं जिनके एरिया में चरागाह की जमीन पर लोग नाजायज काश्त कर रहे हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि जहां २ की जमीन पर नाजायज काश्त जिन लोगों ने करली है उनकी तहसील को जानकारी होते हुए भी तहसील द्वारा जमीन छुड़ाने की कोई कार्यवाहियां नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों व लोगों द्वारा चरागाह की जमीन पर नाजायज कब्जे के विषय में तहसील एवं एस०डी०एम० कार्यालय में शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही होकर क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(१) ऐसी २७ पंचायतें हैं।

(२) जी, नहीं। जिन व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा काश्त कर लिया है उनके कब्जे हटाने के निर्णय उनकी मिसलों पर हो चुके हैं।

(३) जी, नहीं। अलबत्ता ग्राम पंचायत मादौला की चरागाह की भूमि के सम्बन्ध में शिकायत आई उस पर नाजायज कब्जे की मिसल दायर कराई जाकर कार्यवाही नायब तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा की जा रही है।

(स्थगित प्रश्न)

(४-४-६६)

उदयपुर नगर की माध्यमिक शालाओं के अध्यापक

५८२. **श्री मानसिंह महार** (आमेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर की माध्यमिक शालाओं में कई एम. ए. बी. एड. अध्यापक नियुक्त हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उदयपुर नगर की उच्चतर माध्यमिक शालाओं में कई ऐसे अध्यापक नियुक्त हैं जो नॉन-ग्रेजुएट हैं ?

(२) क्या सरकार माध्यमिक शालाओं में नियुक्त एम. ए. बी. एड. अध्यापकों को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ये स्थानान्तरण होंगे ?

उत्तर

(१) केवल ७ अध्यापक व अध्यापिकाएं नियुक्त हैं ।

(२) जी हां, ३२ अध्यापक हैं जो नॉन-ग्रेजुएट है । उन्हें विशेष योग्यता के कारण उच्च शालाओं में रखना आवश्यक है कुछ नॉन-ग्रेजुएट अध्यापक उच्च शालाओं की मिडिल कक्षाओं को ही पढ़ाते हैं ।

(३) ऐसे अध्यापकों का उनके विषय के अध्यापकों के स्थान रिक्त होने पर ही स्थानान्तर किया जा सकता है ।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७१४ का उत्तर देखिये)

जिला चित्तौड़गढ़ में १९६४–६५ व ६५–६६ में भूमिहीनों को आवंटित भूमि की तहसीलवार सूचि

	नाम तहसील	भूमि का क्षेत्र	भूमिहीनों की संख्या	कब्जा दे दिया गया	शेष
	१	२	३	४	५
१.	गंगरार	२८५३।।	७०६	७०६	—
२.	प्रतापगढ़	१३८२९	३७३०	३७३०	—
३.	निम्बाहेड़ा	३५५५	११६४	११०४	६०
४.	छोटीसादड़ी	२०१०	५८५	५८५	—
५.	चित्तौड़गढ़	२४३४	४९६	४३५	६१
६.	कपासन	२७७६	६६८	६६८	—
७.	बड़ीसादड़ी	५००	२२९	१९६	३३
८.	राशमी	१२०२	४२६	३९०	३६
९.	मदेसर	१२७५	४४५	४४५	—
१०.	बेंगू	६७५७	१६६२	९९८	६६४

———

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२	८,१४	छट्टियों	छुट्टियों
३	५	,,	,,
६	शीर्षक	तारांकित्त	तारांकित
,,	२०	लडढा	लड्ढा
६	८	एक्वूअल	एक्वुअल
१०	७	आफिशियॉटग	आफिशियेटिंग
११	६	पास	पेश
११	२०	की	के
१६	१६	अनूथी	अगूनी
१७	अन्तिम से १ व ५	अनाधिकृत	अनाधिकृत
१८	अन्तिम से ५	,,	,,
१९	७	ने	को
,,	८	को	का
,,	१३	खिलाफ	तहत
२० व २१	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
२७	अन्तिम से ९	निरिक्षणार्फ	निरीक्षणार्थ
३०	अन्तिम से ५	मगॉकर	मंगाकर
३४	३१	जिसमें	जिनमें
३५	अन्तिम से १३	बारे	बारे में
,,	,, ३	समने	सामने
३६	,, १०	को	का
४८	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
,,	१	(बेगू)	(बंगू)
४९	न्तिम से ८	भूम	भूमि
५५	१७	निरीक्षका	निरीक्षक
५९	१३	नाटिस	नोटिस
६१	१४	इक्सटेन्शन	एक्सटेन्शन

१	२	३	४
६२	अन्तिम से ७	है	हैं
६७	शीर्षक	अप्रेस	अप्रेल
६८	अन्तिम	अधिकारियों	अधिकारियों
६९	शीर्षक	को	की
७०	१९	सही	यही
७०	अन्तिम से ४	वे	(विलोप)
७१	शीर्षक	अप्रेल २६	अप्रेल, ६६
,,	अन्तिम से २	महिने	महीने
,,	अन्तिम से ६	कम	कम से
७२	१०	की	को
७३	६	पड़ता	(विलोप)
,,	अन्तिम से ३	मांमलों	मामले
७४	,, ११	तो भी	तो वे भी
७५	१५ १७	ग्रांतक	ग्रातंक
७८	७	मांग	भाग
,,	१०	मांथर	माथुर
,,	२०	इन्टस्टेड	इन्ट्रेस्टेड
८०	अन्तिम से २	रिफार्म्स	रिफॉर्म्स
८१	५	पहु –	पहुं –
८३	१०	कि	की
,,	११	हड़ताल है	हड़ताल से है
८५	अन्तिम से ४	प्रांव –	प्राव –
८७	१	विधेयको	विधेयक को
८९	अन्तिम मे १३	बचेगी	बेचेंगी
,,	,, ६	ताय	जाय
९०	८	बे	बे
९३	१५	विवेदन	निवेदन
,,	२४	लोंग	लोग
९७	१३	वाद	बाद
९९	१	काशमीरी	काश्मीरी
,	५	ग्रार्मस	ग्रार्म्स
,,	१८	जब की	जब कि

१	२	३	४
१००	२२	तो हैं	हैं तो
१०१	६	मेस्ट्रिट	मजिस्ट्रेट
,,	१०	लिखबाया	लिखवाया
१०२	११	खरोदे	खरीदे
,,	१३	बिक्रो	बिक्री
,,	अन्तिम से ७	वीबियों	वीबियों
१०३	४	अगने	अपने
,,	१६	वनाया	बनाया
,,	२१	देचने	बेचने
१०४	११	अतुसार	अनुसार
,,	अन्तिम से १०	विकेगा	बिकेगा
,,	,, ५	पूर्ण	मूर्ख
,,	अन्तिम	विल	बिल
०५	१३	मातेहत	मातहत
०७	१५	पोछे	पीछे
११४	शीषक	हर	पर
११५	१७	मार्तसिह	मार्नसिंह
,,	अन्तिम से १०	वधकरण	बंधकरण
११६	शीर्षक	उपबन्द	उपबन्ध
,,	५	राजस्यान	राजस्थान
,,	१२	कि में	कि में
,,	अंतिम से १२	राजस्थ्थान	राजस्थान
११७	शीर्ष	(श्रो	(श्री
११८	२१	कन्ट्रो	कन्ट्रोल
११९	१	में	में
,,	अन्तिम से २,३	में	में
१२०	शीर्षक	उपबन्द	उपबन्ध
१२१	६	प्रीन्सीपल	प्रिंसीपल
,,	१६	उपको	उसको
,,	अन्तिम से ५	मे	में
१२२	१५	के	से
१२४	अन्तिम से ७	उसको	उसकी

१	२	३	४
१२८	१४	किया	दिया
,,	२०	जावे	जावे
१२६-१३०	शीर्षक	विनेयक	विधेयक
१२६	२	यां	या
,,	अन्तिम से ६	तो तो	हैं तो
१३०	अन्तिम से ८	दण्डित	दण्डित
१३१	१	अग्रबाल	अग्रवाल
,,	अन्तिम से १५	सरवे	सर्वे
१४३	अन्तिम से १	हिन्दुस्थान	हिन्दुस्तान
१४७	अन्तिम से ३	पदावार	पैदावार
१५४	स्कम्भ	१४४	१५४
१६०	अन्तिम से ७	मंड़ियें	मंडियें
१६३	१५	अच्छी काश्तकार	अच्छा काश्तकारों
,,	१६	कानून इफेक्टिव	इफेक्टिव कानून
१६६	१५	फूल	फुल
,,	अन्तिम से ८	फूल	फुल
१७६	११	निचे	नीचे
१७७	१८	मनुष्य काफी	मनुष्य के काफी
१८०	१२	करेंगे	करेंगी
१८१	१६	आय	आये
,,	१८	हभ	हम
१८६	७	है	हो
१६०	१७	हिम्दुरतान	हिन्दुस्तान
१६२	१२	पुरःस्थायन	(पुरःस्थापन)
,,	अन्तित से १	beli	Bill
१६३	८	1963,	1963.'
,,	अन्तिम से ११	occorning	occurring
..	अन्तिम से ८	occurning	occurring